₹25

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

क्रान्ति

जनवरी 2017



- इस्लाम में ईशदूतत्व
  —डॉ॰ मुहम्मद अहमद
- इस्लाम धर्म परिवर्तन के विरुद्ध
  —मौलाना अबू मुहम्मद रामनगरी
- ब्याजमुक्त अर्थव्यवस्था की ज़रूरत
  —एच॰ अब्दुर्रक़ीब
- नोटबंदी से ठिठकी अर्थव्यवस्था
  —बाल मुकुन्द



Aman's Group

Shop No.3- 4, Ground Floor, Karma Empress Bldg., Near K.T.C Bus Stand, Vasco-da-Gama, Goa.

Ph: 0832 2500823 / 2514134 Cell: 9326127351 / 9823577351

Sales: 9637888409 Email: amanbuilders4u@gmail.com

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 26 अंक 7 जनवरी 2017

उनके पास दिल हैं जिनसे वे समझते नहीं, उनके पास आंखें हैं जिनसे वे देखते नहीं, उनके पास कान हैं जिनसे वे सुनते नहीं। वे पशुओं की तरह हैं, बल्कि वे उनसे भी अधिक पथभ्रष्ट हैं। यही लोग हैं जो ग़फ़लत में पड़े हुए हैं। =क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

* * *

फ़ोन संपादकीय एवं प्रबंधकीय

011-26949430, 09818799223

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 25/- विशेषांक रु० 50/-

वार्षिक रु० 270/-, दो वर्ष 500/-

पांच वर्ष 1100/-, आजीवन रु० 6000/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–110 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–40 US डॉलर

वेब : **www.kanti.in**

चेक / ड्राफ्ट **'मासिक कान्ति'** के नाम से बनवाएं

रिश्तों में है रिक्तता

(1)

चाहे घर में दो जने, चाहे हों दस-पांच ।
रिश्तों में दिखती नहीं, पहले जैसी आंच ।।

(2)

रिश्ते सब 'इन लॉ' हुए, क्या साला, क्या सास ।
पड़ी गांठ-पर-गांठ है, ग़ायब हुई मिठास ।।

(3)

हर रिश्तों की नींव की, दरकी आज ज़मीन ।
पति-पत्नी भी अब लगें, जैसे भारत-चीन ।।

(4)

न ही युद्ध की घोषणा, न युद्ध-विराम ।
शीत-युद्ध के दौर-से, रिश्ते हुए तमाम ।।

(5)

रिश्तों में है रिक्तता, सांसों में संत्रास ।
घर में भी अब भोगते, लोग यहां वनवास ।।

(6)

'स्वारथ' जी जब से हुए, रिश्तों के मध्यस्त ।
रिश्ते तब से हो गये, घावों के अभ्यस्त ।।

(7)

अब ऐसे कुछ हो गये, शहरों में परिवार ।
बाबूजी चाकर हुए, अम्मा चौकीदार ।।

(8)

मां मूरत थी नेह की, बापू आशीर्वाद ।
बातें ये इतिहास की, नहीं किसी को याद ।।

(9)

समकालिक संदर्भ में, मुख्य हुआ बाज़ार ।
स्वार्थपरता बनी तभी, रिश्तों का आधार ।।

(10)

क्यों रिश्ते पत्थर हुए, गया कहां सब ताप ।
पूछ रही संवेदना, आज आप से आप ।।

डॉ० रामनिवास 'मानव'

अनुकृति, 706, सेक्टर-13, हिसार-125005 (हरि०)



कहां क्या है ?

रिश्तों में है रिक्तता (कविता)	–डॉ॰ रामनिवास 'मानव'	3
कुरआन ज्योति		5
थोड़े पर संतोष (हदीस मंजरी)		6
नोटबंदी की आड़ में काले धन का करतब! (संपादकीय)		7
नोटबंदी के प्रभाव (आपके पत्र)		10
इस्लाम बलात् धर्म परिवर्तन के विरुद्ध (आस्था)	–मौलाना अबू मुहम्मद रामनगरी	15
हज़रत हिन्द बिन्त उत्बा (रज़ि॰) (नेकी के सिपाही)	–तालिब हाशमी	19
क्या जिहाद आतंकवाद है (अभिमत)	–अब्दुर्रहीम अंसारी	22
नोटबंदी से ठिठकी अर्थव्यवस्था (ज्वलंत सामयिक)	–बाल मुकुन्द	23
भारत नेपाल संबंध के विविध आयाम (देशान्तर)	–शाहिद इलियास	25
इस्लाम में ईशदूतत्व (विशेष आयोजन)	–डॉ॰ मुहम्मद अहमद	26-27
भ्रूण हत्याओं पर रोक लगे (महिला जगत)	–विद्या प्रकाश	31
डॉन की हत्या (कहानी)	–इक़बाल अंसारी	33
हृदय रोगों का उपचार (स्वास्थ्य-चर्चा)	–डॉ॰ भारती लालचंदानी	35
डोपिंग : खेलों में एक कलंक (खेल-खिलाड़ी)	–ए॰ एन॰ शिब्ली	37
उर्दू पत्रकारों का योगदान (अतीत के झरोखे से)	–संपादन प्रभाग	39
ब्याजमुक्त अर्थव्यवस्था की ज़रूरत (अर्थ उपभोक्ता)	–एच॰ अब्दुर्रक़ीब	41
इस्लाम की आर्थिक शिक्षाएं (पुस्तक समीक्षा)	–मुहम्मद इलियास हुसैन	43
पब्लिक स्कूलों की उपादेयता (दृष्टिकोण)	–डॉ॰ विभा सिंह	45
आधी-अधूरी खाद्य सुरक्षा (जनसमस्याएं)	–ज़ाहिद ख़ान	47
अपने देश को जानिए (बालवीथी)	–दीपिका जोशी	49

कुरआन ज्योति

(12) मनुष्य का हाल यह है कि जब उस पर कोई कठिन समय आता है तो खड़े और बैठे और लेटे हमको पुकारता है, मगर जब हम उसकी विपदा टाल देते हैं तो ऐसा चल निकलता है कि मानो उसने कभी अपने किसी बुरे समय पर हमको पुकारा ही न था। इस तरह सीमा पार कर जाने वालों के लिए उनके करतूत सुन्दर बना दिये गये हैं। (13) लोगो ! तुमसे पहले की क़ौमों को[16] हमने नष्ट कर दिया जब उन्होंने ज़ुल्म की[17] रीति अपनाई और उनके रसूल उनके पास खुली-खुली निशानियां लेकर आए और उन्होंने ईमान लाकर ही न दिया। इस तरह हम अपराधियों को उनके अपराधों का बदला दिया करते हैं। (14) अब उनके बाद हमने तुमको धरती में उनकी जगह दी है, ताकि देखें कि तुम कैसे कार्य करते हो।[18]

–क़ुरआन, 10 : 12,14

16. मूल अरबी में शब्द 'क़र्न' प्रयुक्त हुआ है जिससे तात्पर्य सामान्य रूप से अरबी भाषा में तो एक युग के लोग होते हैं, लेकिन क़ुरआन मजीद में जिस ढंग से अलग-अलग अवसरों पर इस शब्द का प्रयोग हुआ है उससे ऐसा लगता है कि 'क़र्न' से तात्पर्य वह क़ौम है जो अपने युग में पूर्ण विकसित हो और उसने कुछ या पूरे तौर पर दुनिया का नेतृत्व किया हो। ऐसी क़ौम का विनाश अनिवार्य रूप से यही अर्थ नहीं रखता कि उसकी नस्ल को बिल्कुल ही नष्ट कर दिया जाए, बल्कि उसका विकास और नेतृत्व के पद से गिरा दिया जाना, उसकी संस्कृति व सभ्यता का नष्ट हो जाना, उसकी पहचान का मिट जाना और उसके अंशों का टुकड़े-टुकड़े होकर दूसरी क़ौमों में गुम हो जाना, यह भी विनाश ही का एक रूप है।

17. यह 'ज़ुल्म' शब्द उन सीमित अर्थों में नहीं है जो सामान्य रूप से इससे समझे जाते हैं, बल्कि यह उन तमाम पापों पर छाया हुआ है जो इन्सान बन्दगी की सीमा का उल्लंघन करके करता है।

(व्याख्या के लिए देखिये सूरा-2 बक़रा, टिप्पणी-49)

18. संबोधन अरबों से है और उनसे कहा यह जा रहा है कि पिछली क़ौमों को अपने-अपने समय में काम करने का अवसर दिया गया था, पर उन्होंने (अपने पैग़म्बरों की बात न मानी और अत्याचार व विद्रोह की रीति अपनायी और इस तरह) हमारी परीक्षा में विफल हो गयीं और मैदान से हटा दी गयीं। अब ऐ अरब वालो ! तुम्हारी बारी आयी है। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा अंजाम भी वही हो जो उनका हुआ तो इस अवसर से, जो तुम्हें दिया जा रहा है, सही फ़ायदा उठाओ, पिछली क़ौमों के इतिहास से शिक्षा लो और उन ग़लतियों को न दोहराओ जो उनकी विनाश का कारण बनीं।



दुनिया के प्रति उदासीनता और थोड़े पर संतोष

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "उसकी तरफ़ देखो जो तुमसे (धन आदि में) नीचे है और उसकी तरफ़ मत देखो जो तुमसे ऊपर हैं । यही अधिक उचित है ताकि तुम अल्लाह की उन नेमतों को तुच्छ न समझो जो उसने तुम्हें दी हैं ।"

–बुख़ारी, मुस्लिम । शब्द मुस्लिम के हैं ।

बुख़ारी की एक रिवायत में है : "जब तुममें से कोई उस व्यक्ति को देखे जो माल और रूप की दृष्टि से उससे बढ़ा हुआ है, तो उसे चाहिए कि वह उसको भी देखे जो उससे कम दर्जे का है ।"

● हज़रत इब्न उमर (रज़ि॰) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने मेरे कंधों को पकड़कर कहा : "दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम परदेसी हो या राहगीर।"

हज़रत इब्न उमर (रज़ि॰) कहा करते थे कि जब तुम शाम करो, तो सुबह की प्रतीक्षा न करो और जब सुबह करो, तो शाम की प्रतीक्षा न करो और स्वस्थ अवस्था में अस्वस्थ अवस्था के लिए और जीवन में मृत्यु के लिए तैयारी कर लो । –बुख़ारी

● हज़रत अबुल अब्बास सह्ल बिन सअद अस-सायदी (रज़ि॰) कहते हैं कि एक व्यक्ति नबी (सल्ल॰) के पास आया और उसने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰), आप मुझे एक ऐसा काम बता दें जब मैं उसे करूं, तो अल्लाह भी मुझसे प्रेम करने लगे और लोग भी मुझसे प्रेम करने लगें ? आप (सल्ल॰) ने कहा : "दुनिया के प्रति उदासीन हो जाओ अल्लाह तुमसे प्रेम करने लगेगा और लोगों के पास जो कुछ है उसके प्रति उदासीन हो जाओ तो लोग तुमसे प्रेम करने लगेंगे ।"

–इब्न माजा । इब्न माजा आदि ने इसे सहीह सनदों से रिवायत किया है । यह हदीस 'हसन' है।

● हज़रत सहल बिन साअद अस-सायदी (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "अगर दुनिया अल्लाह की दृष्टि में मच्छर के पर के बराबर भी होती, तो वह उसमें से काफ़िर को दुनिया से एक घूंट पानी तक न पिलाता ।"

–तिरमिज़ी । तिरमिज़ी ने कहा कि यह हदीस 'हसन सहीह' है ।

● हज़रत अब्दुल्लाह बिन अस-सिख़ीर (रज़ि॰) कहते हैं कि मैं नबी (सल्ल॰) की सेवा में उपस्थित हुआ । आप सूरह अलहाक मुत्तकासुर (102) पढ़ रहे थे । आपने कहा : "आदम का बेटा कहता है : मेरा माल, मेरा माल । ऐ आदम के बेटे ! मेरा माल क्या है सिवाय उसके जो तुमने खा लिया और समाप्त कर दिया या पहन लिया और फटा-पुराना कर दिया या दान दिया और उसे आगे भेजा ?!" –मुस्लिम

('रियाज़ुस्सालिहीन' से)

इस्लाम-परिचय : हिन्दी वेबसाइटें

www.islamdharma.org
www.islamic videos.com
www.islamicwebdunia.com
www.quranhindi.com

नोटबंदी की आड़ में काले धन का करतब !

आज नोटबंदी की आड़ में कालेधन का इतना शोर है कि भ्रष्टाचार से प्रभावी रूप से लड़ने वाली संस्था लोकपाल की ओर किसी का ध्यान ही नहीं है मानो इस भवितव्य संस्था को भुला दिया गया हो और इसके लिए कोई प्रयास न किये जा रहे हों । दर हक़ीक़त यह बात सही भी है, तभी देश के मुख्य न्यायाधीश टी॰एस॰ ठाकुर ने देश में अभी तक लोकपाल की नियुक्ति न होने पर एतिराज़ जताते हुए पिछले दिनों केन्द्र सरकार से पूछा कि 2014 में संसद से लोकपाल क़ानून पास होने के बावजूद अब तक नियुक्ति क्यों नहीं हुई । इस पर एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बताया कि क़ानून के मुताबिक़ सर्च कमेटी में लोकसभा में विपक्ष के नेता को रखने का प्रावधान है । इस समय कोई नेता विपक्ष न होने की वजह से सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को कमेटी में रखने के लिए संशोधन किया जाना है । बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित लोकपाल विधेयक को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक जनवरी 2014 को मंज़ूरी दी थी । 17 दिसंबर 13 को इस विधेयक को राज्यसभा ने पारित किया था और अगले दिन लोकसभा ने भी मुहर लगा दी थी । सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिये कि जब तक क़ानून में संशोधन नहीं हो जाता अदालत इसका आदेश दे सकती है । सुप्रीम कोर्ट के रुख़ को देखकर लग रहा है कि देश को देर-सवेर लोकपाल मिल सकता है और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ कारगर लड़ाई लड़ी जा सकेगी । नोटबंदी तो एक सामयिक हंगामा है, जिसका हासिल कुछ ख़ास नहीं !

सभी जानते हैं कि केन्द्रीय सत्ता में आने से पहले से ही भ्रष्टाचार और काले धन को जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना बड़ा मुद्दा बनाया था, उससे इस सोच को बल मिला था कि नयी सरकार भ्रष्टाचार और भ्रष्ट लोगों के ख़िलाफ़ सख़्त क़दम उठाएगी, लेकिन लगभग ढाई वर्ष से अधिक गुज़र जाने के बाद भी अमलन कुछ ख़ास नहीं हो सका । नोटबंदी से कालेधन पर प्रहार नामुमकिन है । इससे अर्थव्यवस्था ही गर्क होगी । सबसे अधिक काला धन राजनेताओं के पास है । सरकार बनाते ही प्रधानमंत्री मोदी ने न्यायालयों में भ्रष्ट नेताओं पर चल रहे मामलों की फास्ट ट्रैक सुनवाई करने की अपील की, मगर अभी तक कुछ हो न सका ! पिछले दिनों सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की, जिसे निरंकुश फ़ैसले के तौर पर भी देखा जाएगा । नोटबंदी से जनता की परेशानी किसी से छिपी नहीं है । पिछले वर्ष 8 नवंबर को जिन 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उनको नोटबंदी की विफलता की आशंका के मद्देनज़र उनकी सरकार ने सफ़ेद करने का नया क़ानून बनाया, जिसके अनुसार, अघोषित नक़दी की स्वेच्छा से घोषणा करने पर 50 प्रतिशत टैक्स लगेगा । इस प्रकार काला धन रखने वालों ने आधी रक़म देकर अपने धन को सफ़ेद किया । वैसे नोटबंदी की घोषणा के बाद से काले धन को सफ़ेद बनाने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं, जिन पर सफलतापूर्वक अमल किया गया । लोकसभा में गत 28 नवंबर 2016 को पेश संशोधित आयकर विधेयक आया, जिसमें 30 दिसंबर तक अघोषित पुराने नोटों में नक़दी के बारे में स्वेच्छा से घोषणा पर 50 प्रतिशत कर

लगाने का प्रस्ताव किया गया । यह प्रावधान भी किया गया कि कर अधिकारियों द्वारा पता लगाने पर अघोषित संपत्ति पर उच्चतम 85 प्रतिशत तक कर लगाया जा सकता है । विधेयक में प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण योजना (पी॰एम॰जी॰के॰) 2016 का प्रस्ताव किया गया । इसमें यह कहा गया कि जो लोग ग़लत तरीक़े से कमाई गयी राशि अपने पास 500 और 1,000 के पुराने नोट में दबाकर रखें हुए थे और जो उसकी घोषणा करने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें पी॰एम॰जी॰के॰ के तहत इसका खुलासा करना होगा । उन्हें अघोषित आय का 30 प्रतिशत की दर से कर भुगतान करना होगा । इसके अलावा अघोषित आय पर 10 प्रतिशत जुर्माना लगेगा । साथ ही पी॰एम॰जी॰के॰ उपकर नाम से 33 प्रतिशत सरचार्ज (30 प्रतिशत का 33 प्रतिशत) लगाया जाएगा । इस प्रकार, कुल मिलाकर 50 प्रतिशत शुल्क देना होगा । जिन लोगों ने अपनी अघोषित आय नहीं बतायी है और पकड़े जाते हैं, उनके लिए आयकर क़ानून के वर्तमान प्रावधानों को संशोधित कर एकमुश्त 60 फ़ीसदी टैक्स तथा इस पर 25 फ़ीसदी सरचार्ज (15 प्रतिशत) किया जाएगा, जो कि अघोषित आय का 75 प्रतिशत होगा । इसके अलावा जांच अधिकारी चाहे तो 10 फ़ीसदी पेनाल्टी भी वसूल सकता है । इस स्थिति में कुल जुर्माना रक़म का 85 फ़ीसदी हो जाएगा । यह भी प्रावधान है कि घोषणा करने वालों को अपनी कुल जमा राशि का 25 प्रतिशत ऐसी योजना में लगाना होगा जहां कोई ब्याज नहीं मिलेगा । साथ ही इस राशि को चार साल तक नहीं निकाला जा सकेगा । इस योजना में आयी राशि का उपयोग सिंचाई, आवास, शौचालय, बुनियादी ढांचा, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य तथा आजीविका जैसी परियोजनाओं में किया जाएगा । इस 'महान कार्य' में 'दान' करने वाले काले धन के मालिकों के नाम गुप्त रखे जाएंगे और उनसे काली कमाई का स्रोत भी नहीं पूछा जाएगा । इससे पहले भी केन्द्र सरकार ने काला धन रखने वालों को मौक़ा दिया था और 30 सितंबर 16 तक इसे उजागर करने का समय दिया गया था, लेकिन यह स्कीम बुरी तरह विफल हो गयी । अरबों रुपये का लेन-देन करने वाले लोगों का पता फ़र्ज़ी पाया गया है । छह लाख 90 हज़ार नोटिसें बैरंग वापस लौट आयीं हैं ।

यह बड़ा खुलासा हुआ है कि बैंकों के ज़रिए बहुत बड़ी तादाद में काले धन का ट्रांजेक्शन हो रहा है । नियम-क़ानून ताक़ पर रखकर देश के विभिन्न बैंक पैन नंबर दर्ज किये बग़ैर करोड़ों और अरबों रुपये का लेन-देन धड़ल्ले से कर रहे हैं । केन्द्र सरकार को समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऐसे में क्या किया जाए ! पैन नंबर दर्ज किये बग़ैर हुए करोड़ों और अरबों रुपये के सात लाख बड़े व सामूहिक लेन-देन (क्लस्टर ट्रांजैक्शन) से संबंधित लोगों को जो नोटिसें भेजी गयी थीं, उनमें से छह लाख 90 हज़ार नोटिसें 'एड्रेसी नॉट फाउंड' लिखकर वापस आ गयीं । इन बड़े ट्रांजैक्शंस में जो पते लिखाए गये थे, उन पतों पर कोई नहीं मिला । न नाम का पता चल पा रहा है, न पते पर कोई पाया जा रहा है और न उनके के॰वाई॰सी॰ (नो योर कस्टमर) का ही कोई ओर-छोर मिल रहा है । 90 लाख बैंक लेन-देन (ट्रांजैक्शन) पैन नंबर के बग़ैर हुए, जिनमें 14 लाख बड़े (हाई वैल्यू) ट्रांजैक्शन हैं और सात लाख बड़े ट्रांजैक्शन 'हाई-रिस्क' वाले हैं । इन्हीं सात लाख ट्रांजैक्शन के सिलसिले में नोटिसें जारी हुई थीं, जो लौट कर वापस आ गयीं । प्रधानमंत्री मोदी ने अघोषित आय का ब्यौरा देने के लिए तय 30 सितंबर तक की मोहलत के बारे में साफ़ किया था कि यह अंतिम मौक़ा है । लेकिन यह 'अंतिम मौक़ा' कब तक आता रहेगा ? यक़ीनी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता । प्रधानमंत्री मोदी ने अपने प्रिय कार्यक्रम 'मन की बात' में कहा था कि 'इसको एक आख़िरी मौक़ा मान लीजिए । मैंने बीच में हमारे सांसदों को भी कहा था कि 30 सितम्बर के बाद अगर किसी नागरिक को तकलीफ़ हो, जो सरकारी नियमों से जुड़ना नहीं चाहता है, तो उनकी कोई मदद नहीं हो सकेगी । मैं देशवासियों को भी कहना

चाहता हूं कि 30 सितम्बर के बाद ऐसा कुछ भी न हो, जिससे आपको कोई तकलीफ़ हो, इसलिए भी मैं कहता हूं। अच्छा होगा 30 सितम्बर के पहले आप इस व्यवस्था का लाभ उठाएं और 30 सितम्बर के बाद संभावित तकलीफ़ों से अपने-आपको बचा लें।' लेकिन हुआ क्या ? उन सभी को तो छूट दे दी गयी और आम जनता को जबरन तकलीफ़ों के हवाले कर दिया गया। काले धन और आतंकवाद की आड़ में लागू नोटबंदी ने आम जन को ठिकाने लगा दिया ! पैसे-पैसे के लाले पड़ गये और देश का दीवाला निकल गया ! प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए इन शब्दों में नोटबंदी का ऐलान किया, 'देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख़्त क़दम उठाना ज़रूरी हो गया है। आज मध्य रात्रि यानी 8 नवम्बर 2016 की रात्रि 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे यानी ये मुद्राएं क़ानूनन अमान्य होंगी। 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों के ज़रिये लेन-देन की व्यवस्था आज मध्य रात्रि से उपलब्ध नहीं होगी। भ्रष्टाचार, काले धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 एवं 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल काग़ज़ के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे।' यहां सवाल यह भी है कि पुराने नोट क्या काग़ज़ के टुकड़े हो गये ? क्या इन्हें सफ़ेद नहीं कराया गया ? आयकर क़ानून में संशोधन ने क्या इसे और विस्तार नहीं दिया है ? क्या दो हज़ार के नये नोटों ने काला धन रखने वालों को आसानी नहीं पहुंचाई है ?

लोकपाल भी अभी तक हवा में हैं। आप के लोकपाल को भी मोदी सरकार ने रोककर क़ानूनी दांव-पेंच के हवाले कर दिया है और केजरीवाल को निबटाने पर पूरा ज़ोर लगा रखा है। भ्रष्टाचार विरोधी क़ानून में उचित संशोधन करने के साथ ही लोकपाल जैसी व्यवस्था को लागू करने से भ्रष्टाचार पर रोकथाम में काफ़ी मदद मिल सकती है। आर्थिक विकास से ही भ्रष्टाचार उन्मूलन-संभव नहीं। फिर देश का अपेक्षित आर्थिक विकास भी तो नहीं हो पा रहा ! 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भ्रष्टाचार को वैश्विक चलन कहा था। इस वक्तव्य के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री के ऐसी बात करने पर खेद जताया था। 1989 के लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया रहा। तबसे लेकर आज तक चुनावी अभियानों में भ्रष्टाचार मिटाने के दावे बढ़-चढ़कर उछाले जाना आम बात हो गयी है। ऐसे में इन दावों की कलई तब खुलती है, जब भारत सूची में बुर्किना फासो, जमैका, पेरु और जाम्बिया जैसे ग़रीब देशों के पायदान जैसा पाया जाता है। वस्तुस्थिति यह है कि आज हमारा देश भ्रष्टाचार और नैतिक पतन से गंभीर रूप से जूझ रहा है। भ्रष्टाचार पूरी व्यवस्था को तबाह और बर्बाद कर रहा है। जब तक इन्सान के नैतिक अस्तित्व को सबल नहीं बनाया जाएगा और उसके अंदर ईशपरायणता एवं ईशभय नहीं पैदा होगा, तब तक भ्रष्टाचार-उन्मूलन असंभव है। पूरी सृष्टि में केवल इन्सान ही ऐसा प्राणी है, जिसे कर्म और इरादे का अधिकार प्राप्त है। वह ईश्वर द्वारा स्रष्ट सभी जीवों और चीज़ों में सर्वश्रेष्ठ है, अतः सृष्टि की बहुत-सी चीज़ें उसके वशीभूत की गयी हैं, जिनका वह अधिकारपूर्वक उपभोग करता है और कर सकता है। यहां यह तथ्य भी स्पष्ट रहे कि इन्सान के न तो अधिकार असीमित हैं और न ही उपभोग। उसके लिए भी एक सीमा-रेखा है, जिसे मर्यादा कहते हैं। यह चीज़ ही इन्सान को नैतिक अस्तित्व प्रदान करती है। मर्यादा और नैतिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ही सदाचरण के द्वारा इन्हें परिमार्जित करने एवं जीवन को उच्चता की ओर ले जाने के लिए इन्सान को आध्यात्मिकता की ज़रूरत होती है, जो उसके जीवन की नैसर्गिक, बुनियादी और अपरिहार्य आवश्यकता है। अतः भ्रष्टाचार-निवारण के लिए अनिवार्य है कि इन्सान अपने स्रष्टा-पालनहार की ओर पलटे और उसका आज्ञाकारी और ईशपरायण बने।

नोटबंदी के प्रभाव

8 नवम्बर 2016 की रात्रि 8 बजकर 30 मिनट पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 500 और 1000 के नोटबंदी की अचानक घोषणा से जहां पूरा देश सन्न रह गया, वहीं सरकार और उसके समर्थक साथी इसे क्रांतिकारी, साहसिक और ऐतिहासिक क़दम बता रहे हैं । प्रधानमंत्री मोदी जिस ढंग से अपनी बात रखते हैं और निराले ढंग से काम करते हैं उसके कारण वह अकेले देशहित और देश का भला करने वाले देश-भक्त के रूप में खुद को प्रस्तुत करते हैं । इससे देश के लोगों में सब कुछ ठीक हो जाने के सपने जग जाते हैं । वह उनकी पार्टी और सरकार कभी सवाल उठाने वालों के अतीत के दाग़ दिखाकर तो कभी अंधराष्ट्रवाद के नारे के साथ विरोधियों को देश विरोधी साबित करने का प्रयास भी करती है ।

अगर प्रधानमंत्री मोदी की बातों में विश्वास किया जाए तो दिक्क़त सिर्फ़ 50 दिनों की है । इसके बाद जमा काला धन बाहर निकलेगा, अर्थव्यवस्था को शक्ति मिलेगी, आतंकवाद, और नक्सलवाद की ताक़त ख़त्म होगी, सरकार और बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होगा जनकल्याणकारी और संरचनात्मक विकास की योजनाओं के लिए, ब्याज दरें कम होगी, अमीर और ग़रीब के बीच फ़ासला कम होगा, भ्रष्टाचार मिटेगा, अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता और ईमानदारी आएगी । ऐसा एकॉनॉमी को ''कैशलेस एकॉनॉमी'' में बदलकर होगा और नोटबंदी पहला क़दम है ।

अब आइए 'नोटबंदी' से जुड़ी तस्वीर के दूसरे पहलू को भी समझने की कोशिश तथ्यों की रोशनी में करें–

1. 8 नवम्बर 2016 को जिस करेंसी को अवैध कर दिया गया, वह कुल करेंसी का 86 प्रतिशत यानी 16 लाख करोड़ रुपये में से लगभग 14 लाख करोड़ रुपये है । इसे छापने में 8 से 10 महीने लगेंगे न कि 50 दिन । ये रद्द करेंसी 16 वर्षों में छापी गयी थी ।

2. करेंसी के लिए इंक, काग़ज़ और मशीनों के लिए विदेशी आयात पर निर्भर रहना पड़ता है, रख-रखाव और वर्कर्स की भी समस्या है ।

3. छपी हुई करेंसी को सुरक्षित इस विशाल देश के सुदूर एवं दुर्गम स्थानों तक पहुंचाना भी एक समस्या है ।

4. काला धन कैश के रूप में ही नहीं, सोना, रत्न, शेयर, प्लैट और प्लॉट के रूप में ही ज़्यादातर होता है, जबकि नोटबंदी ख़ाली ''कैश'' से संबंधित है । इसलिए अन्य रूपों में जमा काला धन नोटबंदी से बाहर नहीं आएगा।

5. 'नोटबंदी' काला धन पैदा करने के तरीक़ों पर चोट नहीं करता । लोग नयी करेंसी से भ्रष्टाचार कर काला धन फिर से इकट्ठा कर लेंगे ।

6. जब भी नोटबंदी होती है 'करेंसी होल्डिंग' की समस्या हो जाती है, यानी लोग करेंसी को अपने पास रख लेते हैं और मार्केट में नहीं निकालते हैं ।

7. नोटबंदी से गतिमान अर्थव्यवस्था ठप पड़ गयी है, कैश के अभाव में ख़रीदारी, उत्पादन, उपभोग और मज़दूरी ठप हो गयी है ।

8. जिस 14 लाख करोड़ करेंसी को अवैध क़रार दिया गया है, उसमें 8 लाख करोड़ तो वह पैसा है जो सफ़ेद बिजनेस पर लगा है और बाक़ी का 6 लाख करोड़ वह है जो लोगों के पास है ।

9. जो 6 लाख करोड़ लोगों के पास है उसमें सिर्फ़ 3 प्रतिशत लोगों के पास काला धन है, वह भी 70 हज़ार से एक लाख करोड़ । बाक़ी पैसा आम लोगों की ख़ून-पसीने की कमाई की जमा पूंजी है ।

10. अब इन 3 प्रतिशत लोगों के पास जो वास्तविक काला धन है, उसे भी वे लोग सफ़ेद करने की कोशिश करेंगे । इस तरह एक लाख करोड़ का दो तिहाई यानी लगभग 70 हज़ार करोड़ वे सफ़ेद कर लेंगे । तब हाथ लगने वाला कुल काला धन 25 से 30 हज़ार करोड़ होगा और इतना तो नयी करेंसी छापने और पहुंचाने का ख़र्च है यानी परिणाम शून्य ही रहेगा ।

11. इस पर भी 8 से 10 महीने की इस अवधि में संपूर्ण रूप से हमारी अर्थव्यवस्था को जो नुक़सान होगा उसकी भरपाई नहीं की जा सकती और न ही आकलन ।

12. भ्रष्ट राजनीति के चलते 'नोटबंदी' के रूप में मोदी का आर्थिक स्वच्छता का मिशन कैसे सफल होगा । फिर जब तंत्र भ्रष्ट है फिर भ्रष्टाचार को कैसे रोका जा सकता है ।

जैसा कि जे॰एन॰यू॰ के रिटायर्ड प्रोफ़ेसर अरुण कुमार, अपनी प्रसिद्ध किताब 'द ब्लैक इकॉनॉमी इन इंडिया में कहते हैं–''भ्रष्टाचार के तरीक़ों को रोके बिना सिर्फ़ कैशबन्दी से काला धन आधारित व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता ।''

13. नोटबंदी से लोकसमावेशी एवं जनकल्याणकारी योजनाओं यथा मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, पेंशन स्कीम, सिंचाई और कृषि उन्नतिकरण के नाम से जो पैसा सरकार द्वारा दिया गया, वह वापस सरकार के पास पहुंच जाएगा और लोग ख़ाली हाथ रह जाएंगे ।

नोटबंदी को लेकर अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का विचार है कि नोटबंदी 93 प्रतिशत भारतीयों के लिए मुसीबत से कम नहीं । 50 दिनों में रोज़ कमाने खाने वाले लोगों, लघु उद्योगों, कामगारों और किसानों की कमर टूट जाएगी ।

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह ने भी संसद में बोलते हुए नोटबंदी को सांगठनिक लूट और बग़ैर सोचा-समझा ऐसा क़दम कहा जिससे जी॰डी॰पी॰ में 2 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है । ऐसा सच भी प्रतीत होता है कि नोटबंदी के शुरुआती 16 दिनों में 21 बार नियम बदले गये, जिससे पूरे देश में ऊहापोह और अफ़रा-तफ़री की स्थिति पैदा हो गयी ।

दरअस्ल प्रधानमंत्री मोदी का मक़सद समाज को कैशलेस करने और कैशलेस एकॉनॉमी के तौर-तरीक़ों जैसे–मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रोनिक वॉलेट आदि को लागू करने का है । अब समस्या यह है कि जिस प्रकार शरीर और उसके तंत्र रक्त के बिना नहीं चल सकते, उसी प्रकार अर्थव्यवस्था के सारे तंत्र कैश के बिना जीवित नहीं रह सकते । सभी तक बैंकों, डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड, स्वाइप मशीन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, साक्षरता और प्रशिक्षण सुनिश्चित किये बिना आम आदमी के समक्ष रोज़ी-रोटी की विकराल समस्या खड़ी कर दी है ।

सरकार ने पहले कालाधन घोषित करने की अंतिम तारीख़ 30 सितम्बर 2016 निर्धारित की थी, फिर नोटबंदी के साथ मोदी ने कहा कि अब काले धन वालों की ख़ैर नहीं, बेईमान, भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं । लेकिन 28 नवम्बर 2016 को आयकर अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव लोकसभा में पेश कर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अब आप 50 प्रतिशत जुर्माना अदा कर 30 दिसम्बर 2016 तक काला धन घोषित कर सकते हैं । ऐसा फ़ैसला सरकार के वक़ार और विश्वास के डगमगाने का संकेत है । फिर नोटबंदी का क्या फ़ायदा । जब सरकार बेईमानों को एक और मौक़ा दे रही है, तब आम लोगों, ग़रीबों, मज़दूरों, किसानों के जीवन को कष्टप्रद कैसे बनाया जा सकता ।

ऐसा प्रतीत होता है सनसनी से भरी योजनाओं को लांच करने के मुग़ालते में सरकार बुरी तरह से उलझ गयी है । लगता है नोटबंदी उसके गले की फांस बनती जा रही, चूंकि इससे एक ओर जहां आम लोगों का भरोसा टूटेगा तो दूसरी ओर आर्थिक रूप से भी कुछ लाभ होने की उम्मीद विशेषज्ञों के विश्लेषणों के आधार पर धूमिल होती जा रही है ।

फिर भी, यदि प्रधानमंत्री देश की बहुत बड़ी भलाई और सुनहरे भविष्य के लिए 50 दिन मांग रहे हैं, तो उन्हें ज़रूर दिये जाने चाहिए । तब भी जब 90 प्रतिशत आबादी विभिन्न समस्याओं से जूझ रही है लेकिन नेताओं और मंत्रियों के वी॰आई॰पी॰ कल्चर में कोई भी गिरावट नोटबंदी से नहीं आयी । फिर भी, हमारे देश के लोग सब्र कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी शक्तिशाली और जवाबदेह नहीं कि 50 दिनों के बाद कोई आम आदमी सरकार और उसके मुखिया से जवाब मांगने का साहस कर सके ।

रिज़वान अहमद

बाक़रगंज, फतेहपुर

क्रांतिकारी भूमिका

आपके द्वारा सप्रेम प्रेषित 'कान्ति' के अंक मिलते रहे हैं । आनंद एवं आभार ।

इस्लाम का सही स्वरूप, महिला उत्पीड़न की समस्या, भ्रष्टाचार का देश पर कुप्रभाव, वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट एवं प्रेरक कविताएं 'कान्ति' को क्रांतिकारी सामयिक सिद्ध करते हैं । आज देश को समभाव एवं सद्भाव की आवश्यकता है । 'कान्ति' की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

डॉ॰ चन्द्रकान्त मेहता

पूर्व उपकुलपति, गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद

परमाणु अस्त्रों के प्रति अतिशय प्रेम

अमेरिका के प्रिंस्टन विश्वविद्यालय की न्यूक्लियर यूचर्स लेबोरेट्री व प्रोग्राम ऑन साइंस एंड ग्लोबल सिक्यूरिटीसे जुड़े और गूगेनहेम फैलोशिप से सम्मानित जाने-माने परमाणु भौतिकशास्त्री डॉ॰ एम॰व्ही॰ रमन्ना ने पिछले माह अगस्त 2016 में मुंबई पत्रकार संघ के कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में भाषण देते हुए भारतीय उपमहाद्वीप के शासकों के परमाणु शस्त्रों के प्रति अतिशय आकर्षण पर प्रश्न चिन्ह लगाया । वे 'दक्षिण एशिया में परमाणु अस्त्र कार्यक्रम, योजनाएं और ख़तरे'' विषय पर बोल रहे थे ।

कार्यक्रम का आयोजन प्रसिद्ध पत्रकार व शांतिवादी प्रफुल्ल बिदवई की याद में डॉ॰ असग़र अली इंजीनियर स्मृति सलाहकार परिषद और कोएलेशन फॉर न्यूक्लियर डिस्आर्मामेंट एंड पीस (सी॰एन॰डी॰पी॰) द्वारा किया गया था ।

प्रसिद्ध पुस्तक ''द पॉवर ऑफ़ प्रॉमिस : एग्जामिनिंग ऑफ़ न्यूक्लियर इनर्जी इन इंडिया'' के लेखक डॉ॰ रमन्ना ने दक्षिण एशिया के दो पड़ोसी देशों के बीच चल रही परमाणु अस्त्रों की दौड़ की चर्चा करते हुए उसके ख़तरनाक निहितार्थों पर प्रकाश डाला ।

डॉ॰ रमन्ना ने कहा कि भारत के स्वतंत्र होने के तुरंत बाद, एक अधिनियम के ज़रिये एक ऐसे संगठन को अस्तित्व में लाया गया जिसका मूल उद्देश्य परमाणु ऊर्जा का विकास करना था । परमाणु अस्त्रों से लैस होने से मिलने वाले संभावित लाभों से मोहित शासक, यद्यपि लगातार यह कहते रहे कि परमाणु ऊर्जा का विकास 'शांतिपूर्ण उद्देश्यों' के लिए किया जा रहा है । परंतु, एक मौक़े पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह स्वीकार किया कि–'वे यह नहीं जानते कि दोनों (शांतिपूर्ण व रक्षा उद्देश्यों) के बीच अंतर कैसे किया जाए ।'

परमाणु ऊर्जा से जुड़ी संस्थाओं ने ढांचागत सुविधाओं का निर्माण करते समय इस संभावना को संज्ञान में लिया कि इन सुविधाओं और तकनीकी का इस्तेमाल सैनिक उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है ।

सन 1960 में स्थापित किये गये साइरस रिएक्टर और सन 1964 में स्थापित ट्राम्बे पुनर्प्रसंस्करण संयंत्र ने भारत को ऐसे प्लूटोनियम का उत्पादन करने की क्षमता दी, जिसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है । यद्यपि, परमाणु परियोजनाओं की ओर जनता का अधिक ध्यान नहीं गया । तथापि, परमाणु शस्त्र विकसित करने के मुद्दे पर बहस ने नेहरू की मृत्यु और चीन द्वारा 1964 में परमाणु अस्त्र के परीक्षण के बाद ज़ोर पकड़ लिया । यह बहस मुख्यतः सुरक्षा, क़ीमत, नैतिकता और प्रतिष्ठा जैसे मुद्दों पर केन्द्रित रही ।

परंतु परमाणु शस्त्रों पर चल रही बहस के बीच, सन 1974 में भारत ने राजस्थान के पोकरण में परमाणु बम परीक्षण किया । यह विडंबना ही थी कि सरकार ने इसे 'शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण' बताया । यह परीक्षण सन 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद और बंगलादेश के निर्माण के आसपास किया गया ।

रमन्ना का तर्क है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहला परमाणु बम परीक्षण, भारत ने अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के दो टुकड़ों में बंटने के बाद, उपमहाद्वीप पर अपना प्रभुत्व घोषित करने के लिए किया । यह स्पष्ट है कि यह विस्फोट भारत के असुरक्षा के भाव से प्रेरित नहीं था । परीक्षण के लिए जो समय चुना गया, उससे परमाणु अस्त्रों के समर्थकों का यह तर्क खोखला सिद्ध होता है कि भारत का परमाणु शस्त्रों की ओर झुकाव, चीन द्वारा परमाणु परीक्षण करने के कारण हुआ ।

यद्यपि भारत ने अन्य परमाणु शस्त्र सम्पन्न देशों की राह नहीं चुनी, परंतु 1974 के परीक्षण के बाद से, परमाणु शस्त्र कार्यक्रम कभी रुका नहीं । परमाणु लॉबी ने परमाणु शस्त्रों की डिजाइन को बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखी और ज़्यादा परीक्षण करने की अनुमति मांगी । भारत ने अपना मिसाईल कार्यक्रम भी शुरू किया, जिसके अंतर्गत पृथ्वी और अग्नि मिसाईलें बनायी गयीं जो कि परमाणु शस्त्रों से लैस की जा सकती है ।

सन 1990 के दशक में परमाणु बम समर्थक लॉबी की सक्रियता के कारण, भारत ने कॉम्प्रीहैंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी (सी॰टी॰बी॰टी॰) के विरुद्ध अपना मत दिया । यह दिलचस्प है कि जहां एक ओर सत्ता के गलियारों में परमाणु शस्त्रों के पक्ष में वातावरण बन रहा था, वहीं इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी और हिन्दू प्रभुत्ववादियों की ताक़त में वृद्धि हो रही थी । इन ताक़तों की सोच सैन्यवादी और फासीवादी है ।

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एन॰डी॰ए॰ के सत्ता

में आने के कुछ ही समय बाद, मई 1998 में, भारत ने एक और परमाणु परीक्षण किया और यह दावा भी किया कि भारत ने हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण कर लिया है । पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की चर्चा करते हुए रमन्ना ने बताया कि शीत युद्ध के दौर में अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ दोस्ताना और रणनीतिक संबंध स्थापित किये ताकि दक्षिण एशिया में उसे एक ठिकाना मिल सके ।

पाकिस्तानी वैज्ञानिकों को अमेरिका ने अपने 'एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम' (शांति के लिए परमाणु कार्यक्रम) के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया । सन 1965 के भारत-पाक युद्ध के बाद, अमेरिका ने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देनी बंद कर दी (यद्यपि चीन ने इसे जारी रखा)। पाकिस्तान के कुछ नेताओं, विशेषकर विदेश मंत्री जेड ए भुट्टो ने परमाणु बम बनाने की मांग की ।

सन 1971 के युद्ध के बाद, सन 1972 में पाकिस्तान में परमाणु अस्त्र कार्यक्रम शुरू किया गया । सन 1974 के भारतीय परमाणु परीक्षण के बाद इसमें तेज़ी आयी । नीदरलैंड में रह रहे पाकिस्तानी धातु वैज्ञानिक ए॰ क्यू ख़ान ने पाकिस्तान के लिए परमाणु बम बनाने का प्रस्ताव किया । इस गुप्त योजना का खुलासा होने के बाद, अमेरिका ने पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिये जो 1979 में अफ़ग़ानिस्तान पर सोवियत आक्रमण के बाद उठा लिए गये और 1989 में सोवियत संघ के अफ़ग़ानिस्तान छोड़ने के बाद पुनः लगा दिये गये । परंतु इस बीच पाकिस्तान ने अति समृद्ध यूरेनियम का उत्पादन शुरू कर दिया और परमाणु बम की डिजाइन तैयार की, जिसका परीक्षण मई 1998 में किया गया ।

सन 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद से पाकिस्तान और भारत, दोनों ने, परमाणु शस्त्रों के संभावित इस्तेमाल के लिए प्रक्रिया निर्धारण का काम शुरू कर दिया । भारत में सेना ने परमाणु शस्त्रों पर और अधिक नियंत्रण प्राप्त कर लिया है । दोनों देशों के बीच शांति वार्ताएं चलती रहती हैं, परंतु इनका उद्देश्य मात्र यह साबित करना होता है कि भारत और पाकिस्तान ज़िम्मेदार राष्ट्र हैं । लेकिन, इन वार्ताओं के कोई ठोस नतीजे सामने नहीं आये हैं ।

सन 2014 में भारत के पास परमाणु शस्त्र बनाने के लिए उपयुक्त प्लूटोनियम का लगभग 600 किलोग्राम का भंडार होना बताया जाता है । एक परमाणु बम बनाने के लिए पांच किलोग्राम प्लूटोनियम पर्याप्त होता है । भारत के पास अति समृद्ध यूरेनियम (एच॰ई॰यू॰) का 3.2 टन भंडार बताया जाता है, जिसमें से लगभग एक टन यू-235 का है । ऐसा कहा जाता है कि यह भंडार मुख्यतः अरिहंत परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम के लिए है । परंतु चूंकि यह मात्रा परमाणु पनडुब्बियों के लिए आवश्यक मात्रा से कहीं ज़्यादा है, इसलिए यह संभावना है कि एच॰ई॰यू॰ का इस्तेमाल परमाणु शस्त्र बनाने के लिए किया जा सकता है । एक परमाणु बम बनाने के लिए लगभग 25 किलो एच॰ई॰यू॰ काफ़ी होता है ।

सन 2014 के अंत में पाकिस्तान के पास लगभग 3.1 टन एच॰ई॰यू॰ और 190 किलो प्लूटोनियम का भंडार होने का अनुमान है । मिसाईल परीक्षणों के रिकार्ड से ऐसा लगता है कि भारत दो ऐसी तकनीकों का विकास कर रहा है जो भारतीय उपमहाद्वीप में अस्थिरता ला सकती हैं । ये हैं बैलिस्टिक मिसाईल डिफेंस और पूर्व चेतावनी प्रणालियां, जिनके अंतर्गत रेडार और उपग्रहों का इस्तेमाल कर मिसाईलों के छोड़े जाने और उनकी उड़ान के रास्ते पर नज़र रखी जा सकती है ।

भारत के न्यूलिक्यर सप्लाएर्स ग्रुप (एन॰एस॰जी॰) का सदस्य बनने पर जो जश्न मनाया गया उसकी चर्चा करते हुए डॉ॰ रमन्ना ने कहा कि इससे भारत को कोई सीधा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास पहले से ही न्यूक्लियर रियेक्टर एवं यूरेनियम उपलब्ध हैं । दरअस्ल यह अमेरिका की एक चाल है जिसके ज़रिये वह यह चाहता है कि भारत, चीन के साथ अमेरिका के संघर्ष में उसके साथ खड़ा हो । ऐसे में, हमें स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि-क्या भारत को अमेरिका का पिट्ठू बनना चाहिए ? क्या चीन के साथ प्रतियोगिता कर हम कुछ हासिल कर सकेंगे ? सत्र की अध्यक्षता, आनंद पटवर्धन ने की । श्रोताओं में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थी, जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना का विरोध कर रहे कार्यकर्ता, प्राध्यापक और शोधकर्ता शामिल थे ।

प्रतीक्षा नायर
सेंटर फॉर स्टडी
ऑफ़ सोसायटी एंड सेक्युलरिज़्म,
सांताक्रुज़, मुंबई

قال اللہ تعالیٰ

احل اللہ البیع وحرم الربوا (القرآن)

اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام فرمایا۔

HALAL
INVESTMENT & FINANCE

Eat Halal Earn Halal

HALAL
INVESTMENT & FINANCE

Best Concept For Bright Future & Best Economic Conditions

Nihal Co-Operative Credit Society Ltd.

Eat Halal Earn Halal
INTEREST FREE INVESTMENT & FINANCE

Regd No. TNA/(TNA)/RSR/1029 Year : 1998/99
Regd. Office : 3rd Floor, Nihal House,
N. H. School Road, Opp. Ideal Tower, Mira Road (E)
Mumbai (Maharashtra)

Chairman : Janab Imammuddin Nihaluddin Shaikh

Contact Us : 9022665544, 9869641648

इस्लाम बलात् धर्म परिवर्तन के विरुद्ध

■ मौलाना अबू मुहम्मद रामनगरी

इस्लाम विरोधियों ने जिस प्रकार इस्लामी जिहाद पर यह मिथ्या आरोप लगाया है कि उसका उद्देश्य बलपूर्वक इस्लाम का प्रचार करना है उसी प्रकार यह मिथ्या आरोप भी लगाया है कि इस्लाम बलपूर्वक ग़ैर-मुस्लिमों को मुसलमान बनाने का आदेश देता है ।

यह आरोप सर्वथा निराधार है । हम जिहाद के विषय में बता चुके हैं कि जो व्यक्ति इस्लाम के गुणों को समझे बिना स्वेच्छापूर्वक इस्लाम स्वीकार न करे वह इस्लाम के किसी काम का मुसलमान नहीं हो सकता । ऐसे व्यक्ति को इस्लाम स्वयं स्वीकार नहीं करता ।

विभिन्न स्थान पर, विभिन्न शैलियों में यह तथ्य स्पष्ट कर दिया है कि संदेष्टा का कार्य इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है कि वह सच्चाई की घोषणा करने वाला है, सत्य संदेश पहुंचा देने वाला, कल्याण की बात समझा देने वाला है । विश्वास एवं कर्म के परिणाम की शुभ सूचना देने वाला और अस्वीकृति एवं कुकर्म के परिणामों से सावधान करने वाला है । इससे अधिक उस पर कोई दायित्व नहीं ।

धर्म के संबंध में पवित्र कुरआन की आधारभूत आयत का अर्थ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के शब्दों में यह है–"धर्म के विषय में किसी प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि वह आंतरिक विश्वास से संबंध रखता है और ज़बरदस्ती और हिंसा द्वारा विश्वास नहीं उत्पन्न किया जा सकता । नि:संदेह सुपथ का मार्ग पथभ्रष्टता से अलग और स्पष्ट हो गया है और अब दोनों मार्ग लोगों के सामने हैं अत: जिसे चाहें ग्रहण करें । फिर जो कोई ताग़ूत (अर्थात उद्दंडता और उपद्रववादी शक्तियां) से विमुख हो जाए और अल्लाह पर ईमान लाएं तो नि:संदेह उसने कल्याण एवं भलाई की मज़बूत टहनी पकड़ ली, यह टहनी टूटने वाली नहीं (जिसके हाथ आ गयी वह गिरने से सुरक्षित हो गया)।"

(कुरआन, 2:256)

इस आयत का जो अर्थ मौलाना आज़ाद ने लिया है वही इस्लाम के प्राचीन आचार्यों और विद्वानों ने भी लिया है । हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि॰), ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के चचा, हज़रत अब्बास (रज़ि॰) के बेटे कुरआन के प्रमुख आचार्य थे । उनके द्वारा एक घटना वर्णन की गयी है जिसका आशय यह है कि अंसार (मदीना के वे मुसलमान जिन्होंने मुहाजिर मुसलमानों की मदद की) में से एक आदमी के दो बेटे ईसाई हो गये थे । उन्होंने हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) से निवेदन किया कि मेरे बेटे ईसाई मत को छोड़ने पर राज़ी नहीं होते, क्या मैं उनको बाध्य कर सकता हूं । इस पर वह आयत उतरी जो ऊपर उद्धृत की गयी है ।

अल्लामा इब्ने कसीर पवित्र कुरआन के महान और प्रमुख आचार्य हैं उन्होंने इस आयत की व्याख्या करते हुए जो कुछ लिखा है उसका आशय यह है–

"किसी व्यक्ति को इस्लाम धर्म में दाख़िल होने पर विवश न करो, क्योंकि वह इतना प्रकट और स्पष्ट है और उसकी उक्तियां और प्रमाण इतने दिव्य हैं कि किसी व्यक्ति को इसमें प्रविष्ट होने पर बाध्य करने की ज़रूरत ही नहीं है । अल्लाह ने जिस व्यक्ति को ज्ञान दिया हो और जिसका हृदय सत्य को स्वीकार करने के लिए खोल दिया हो और जिसको ज्ञान चक्षु की ज्योति प्रदान की हो वह स्पष्ट प्रमाण के कारण स्वयं इस्लाम को स्वीकार करेगा और जिसके दिल को ख़ुदा ने अंधा कर दिया और जिसकी सुनने और देखने की शक्तियों पर मुहर लगा दी, उसका बल और हिंसा द्वारा इस्लाम में दाख़िल होना उसे कोई फ़ायदा न देगा ।"

इमाम फ़ख़रुद्दीन राज़ी भी कुरआन के प्रसिद्ध टीकाकार रह चुके हैं । उन्होंने उपरोक्त आयत के बारे में कुरआन के

आचार्य अबू मुस्लिम अस्फ़हानी और क़फ़ाल का कथन उद्धृत किया है । उसका आशय यह है–

"ख़ुदा ने दीन के कार्य को बलात् और ज़बरदस्ती पर निर्भर नहीं रखा है, बल्कि अधिकार और इच्छा पर रखा है । ख़ुदा ने एकेश्वरत्व के प्रमाण ऐसे संतोषप्रद और अटूट रीति से वर्णन कर दिये कि बहाना और इन्कार की कोई जगह नहीं रही, तो उसने कहा कि इन तर्कों के स्पष्टीकरण के बाद किसी इन्कारी के लिए इन्कार पर जमे रहने को कोई कारण बाक़ी नहीं रहा, फिर भी अगर वह ईमान न लाए तो उसको मनवाने की केवल यही एक सूरत बाक़ी रह जाती है कि उसको ज़बरदस्ती ईमान लाने पर बाध्य किया जाए मगर यह उचित नहीं है, क्योंकि यह संसार आज़माइश और परीक्षा की ज़गह है और बलात् और ज़बरदस्ती इस्लाम को मानने पर बाध्य करना, परीक्षा और आज़माइश के उद्देश्य को नष्ट कर देता है । उसका प्रमाण ख़ुदा का यह फ़रमान है ।"

ख़ुदा ने दीन के कार्य को बलात् और ज़बरदस्ती पर निर्भर नहीं रखा है, बल्कि अधिकार और इच्छा पर रखा है । ख़ुदा ने एकेश्वरत्व के प्रमाण ऐसे संतोषप्रद और अटूट रीति से वर्णन कर दिये कि बहाना और इन्कार की कोई जगह नहीं रही, तो उसने कहा कि इन तर्कों के स्पष्टीकरण के बाद किसी इन्कारी के लिए इन्कार पर जमे रहने को कोई कारण बाक़ी नहीं रहा, फिर भी अगर वह ईमान न लाए तो उसको मनवाने की केवल यही एक सूरत बाक़ी रह जाती है कि उसको ज़बरदस्ती ईमान लाने पर बाध्य किया जाए मगर यह उचित नहीं है, क्योंकि यह संसार आज़माइश और परीक्षा की जगह है और बलात् और ज़बरदस्ती इस्लाम को मानने पर बाध्य करना, परीक्षा और आज़माइश के उद्देश्य को नष्ट कर देता है ।

इसके बाद इसी आशय की क़ुरआन की और कई आयतों को प्रमाणस्वरूप दिया गया है । अंत में इमाम फ़ख़रुद्दीन राज़ी ने भी इसी मत की पुष्टि की है ।

इस विषय पर जितना लिखा जा चुका है वह पर्याप्त है फिर भी कुछ और आयतें प्रस्तुत की जाती हैं, एक स्थान पर है–"देखो, तुम्हारे पालनकर्ता की ओर से तुम्हारे पास ज्ञान और प्रमाण की ज्योतियां आ चुकी हैं, अज्ञानता और अनभिज्ञत का कोई कारण शेष नहीं रहा तो अब जो कोई देखे और समझे तो (उसका लाभ) स्वयं उसी के लिए है और जो कोई (अपनी आंखों से काम न ले और) अंधा हो जाए तो उसकी (हानि) उसी के सिर पड़ेगी, और (ऐ संदेष्टा! तुम कह दो) मैं तुम पर कुछ संरक्षक नहीं हूं (कि बलात् तुम्हारी आंखें खोल दूं)।" (क़ुरआन, 6:105)

"(ऐ संदेष्टा !) लोगों से कह दो कि ऐ लोगो ! तुम्हारे पालनहार की ओर से सच्चाई तुम्हारे पास आ गयी है जो सुपथ ग्रहण करेगा तो वह अपने ही भले के लिए करेगा और जो भटकेगा तो उसकी पथभ्रष्टता उसी के आगे आएगी । मैं तुम पर संरक्षक नहीं हूं (कि बलात् किसी मार्ग पर खींच ले जाऊं और फिर उससे निकलने न दूं)।" (क़ुरआन, 10:108)

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस आयत की व्याख्या इस प्रकार की है–

"पवित्र क़ुरआन में तुम विभिन्न स्थान पर इस प्रकार की घोषणा पाओगे जैसी कि इस आयत में है । उसने पीछे संदेष्टाओं के जो उपदेश वर्णित किये हैं उनमें भी हर स्थान पर ऐसी ही बात पायी जाती है अर्थात धार्मिक आह्वान का विषय पूर्णतया समझने-बूझने और समझ-बूझकर स्वीकार कर लेने का विषय है । इसमें न तो किसी प्रकार की ज़बरदस्ती है न किसी प्रकार का लड़ाई-झगड़ा । तुम्हारी भलाई के लिए एक बात कही गयी है कि यदि समझ में आ जाए तो मान लो, न आये तो न मानो । तुम्हारा मार्ग तुम्हारे लिए, हमारा मार्ग हमारे लिए । यदि मान लोगे तो अपना भला करोगे, न मानोगे तो अपनी ही हानि करोगे । हर व्यक्ति अपने प्राणों का अधिकारी है चाहे भलाई का मार्ग ग्रहण करे और भलाई प्राप्त करे, चाहे बुराई की चाल चले और बुराई कमाये । यदि कोई भलाई के मार्ग पर चलेगा तो किसी दूसरे को कुछ नहीं देगा कि वह उसके पीछे पड़ जाए, यदि कोई

बुराई की चाल चलेगा तो किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएगा कि वह उससे बिगड़ने लगे । अपना-अपना मार्ग है और अपनी-अपनी कमाई ।''

कुरआन में एक स्थान पर यह कहा गया है–''जिसने अच्छे काम किये उसने अपने ही लिए किये और जिसने बुरे काम किये उसकी हानि उसी पर होगी और तेरा पालनहार अपने दासों पर अत्याचार करने वाला नहीं है ।''

(कुरआन, 41:46)

साथ ही स्पष्ट कर दिया कि सच्चाई की ओर बुलाने वाले की स्थिति क्या है, कहा–

''मैं केवल आवाहक और उपदेशक हूं । तुम पर कुछ शासक या अधिकारी नहीं हूं । (अर्थात मेरा कार्य यह है कि लाभ की बात सुझा दूं, यह नहीं है कि दारोग़ा बनकर तुम पर आधिपत्य जमा लूं और समझूं मुझे तुम्हारे पथ-प्रदर्शन की ठेकेदारी मिल गयी है ।)'' (कुरआन, 7:68)

'दूसरे स्थान पर इस्लाम के संदेश को बताते हुए यही उद्देश्य यूं प्रकट किया गया है–''तू सावधान कर । तू तो सिर्फ़ सावधान करने वाला है ।

तू उन लोगों पर बलात् शासक के समान नियुक्त नहीं है कि बलपूर्वक और ज़बरदस्ती बात मनवा दे ।''

(कुरआन, 88:21-22)

और कहा–''तुझे उन लोगों पर शासक बनाकर नहीं बैठा दिया गया है कि वे मानें या न मानें किन्तु तू उनके सत्य पथ पर अग्रसर कर देने के लिए बाध्य है ।''

(कुरआन, 6:107)

विभिन्न स्थान पर, विभिन्न शैलियों में यह तथ्य स्पष्ट कर दिया है कि संदेष्टा का कार्य इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है कि वह सच्चाई की घोषणा करने वाला है, सत्य संदेश पहुंचा देने वाला, कल्याण की बात समझा देने वाला है । विश्वास एवं कर्म के परिणाम की शुभ सूचना देने वाला और अस्वीकृति एवं कुकर्म के परिणामों से सावधान करने वाला है । इससे अधिक उस पर कोई दायित्व नहीं ।

विचार करो, इससे अधिक स्पष्ट और बेलाग, शांतिमय और सुखदायक कोई मार्ग हो सकता है ? यदि संसार ने सत्य संदेश की इस आत्मा को समझ लिया होता तो क्या यह संभव था कि कोई व्यक्ति केवल विश्वास एवं कर्म की विभिन्नता के कारण लड़ता ? किंतु कठिनाई यह है कि मनुष्य के अत्याचार और उद्दंडता ने कभी इस सच्चाई को ग्रहण नहीं किया और यही बात सारे विवाद का आधार बन गयी । कुरआन ने पिछले संदेष्टाओं की शिक्षाओं की जितनी कथाएं वर्णन की हैं उन्हें जगह-जगह पढ़ो, हर जगह देखोगे कि विवाद की जड़ यही थी । ईश्वर के संदेष्टाओं ने सदा यही घोषणा की कि हम उपदेशक मात्र हैं, मानना न मानना तुम्हारा काम है, यदि नहीं मानते तो तुम अपने मार्ग पर चलो हमें अपने मार्ग पर चलने दो, और देखो परिणाम क्या निकलता है, किन्तु उनके विरोधी कहते थे कि न तो हम तुम्हारी बात मानेंगे, न तुम्हें तुम्हारे इस सत्य मार्ग पर चलने देंगे ।

इस्लाम और उसके विरोधियों में जो विवाद आरंभ हुआ वह भी सर्वथा यही था । कुरआन कहता था, मेरा मार्ग धर्म प्रचार एवं कल्याण उपदेश का है । विरोधी कहते थे, हमारा मार्ग बलात् और हिंसा का है । कुरआन कहता था, यदि मेरी बात समझ में आये तो मान लो, न समझ में आये तो मानने वालों को उनके मार्ग पर चलने दो । वे कहते थे हमारी बात तुम्हारी समझ में आये या न आये तुम्हें माननी ही पड़ेगी, नहीं मानोगे तो ज़बरदस्ती मनवाएंगे ।

सत्य यह है कि कुरआन की इस आयत में और उसकी समर्थक आयतों में जो बात कह दी है, अगर दुनिया उसे समझ लेती तो यह समस्त रक्तपात जो विचार एवं कर्म की विभिन्नता से उत्पन्न हुए, सर्वथा समाप्त हो जाते और आजकल भी जो इतने झगड़े हो रहे हैं सब समाप्त हो जाएं । विचार करो सारे झगड़ों का वास्तविक कारण क्या है ? यही है कि लोग उपदेश और आदेश में अन्तर नहीं करते । कुरआन कहता है दोनों में अन्तर करो । उपदेश का मार्ग यह हुआ कि जो बात ठीक समझते हो उसकी दूसरों को भी प्रेरणा दो, किंतु केवल प्रेरणा दो इससे आगे न बढ़ो अर्थात यह भूल न जाओ कि पसन्द करने, न करने का अधिकार दूसरों को है । तुम इसके लिए उत्तरदायी नहीं हो । ज़बरदस्ती यह हुई कि डंडा लेकर खड़े हो जाओ और जो कोई तुम से सहमत न हो उसके पीछे पड़ जाओ । मानो ईश्वर ने तुम्हें लोगों को पथ-प्रदर्शन और पथ-भ्रष्टता का ठेकेदार बना दिया है । जब कुरआन साफ़-साफ़ कहता है कि ईशदूतों का मठ भी उपदेश एवं धर्म प्रचार के अन्दर सीमित था हालांकि वे अल्लाह की ओर से नियुक्त थे तो फिर स्पष्ट है कि वह किसी दूसरे मनुष्य के लिए यह कब सहन कर सकता है कि वह ठेकेदार बन जाए ।

(शेष पृष्ठ 44 पर)

मुनअम पब्लिक स्कूल

(इंगलिश मिडियम, सी॰बी॰एस॰ई॰, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त)

महाराजगंज, पो॰ दादपुर, ज़िला हज़ारीबाग, (झारखण्ड)

नामांकण सूचना : एल के जी से कक्षा नवम् तक

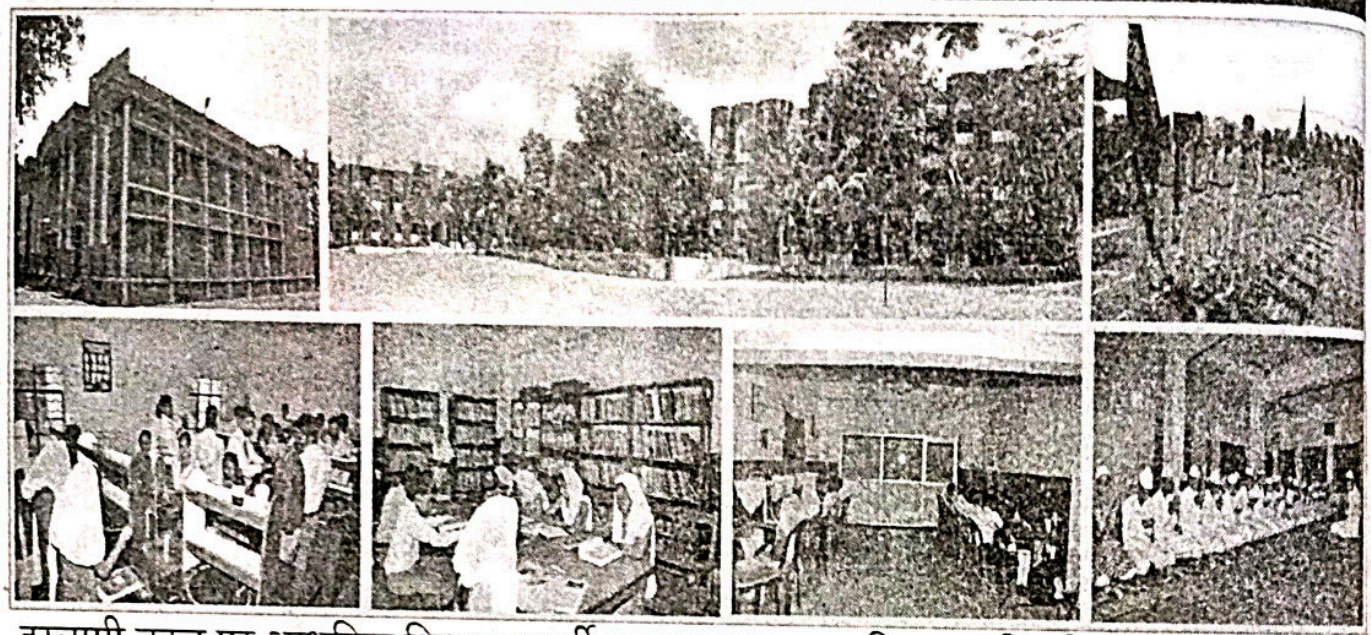

इस्लामी नहज पर आधुनिक शिक्षा का पूर्वी भारत का एकमात्र विद्यालय जिसके छात्रों ने दसवीं एवं बारहवीं के बोर्ड परीक्षा में शानदार कामयाबी हासिल की।

उपलब्ध सहूलियतें

विशाल कैंपस, भव्य इमारतें, छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग आरामदेह साफ़-सुथरे छात्रावास की व्यवस्था, साइंस एवं कंप्यूटर लैब, ज्ञानवर्धक किताबों से भरपूर पुस्तकालय, स्पोर्ट्स एवं पी॰टी॰ के लिए विशाल खेल मैदान, सभी विषयों के लिए अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की टीम, नमाज़ पंजगाना के लिए ख़ूबसूरत मस्जिद।

नामांकण फ़ार्म मिलने की अंतिम तिथि : 15 मार्च 2016

एस॰एम॰ नईम
एम.ए., बी.एड.ए (अलीग.)
निदेशक

साद राशिद ख़ान नदवी
फ़ाज़िल, नदवा, लखनऊ
छात्रावास अधिक्षक

वकील अहमद
एम.एस.सी., बी.एड
प्राचार्य

विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें

मोबाइल : 09431530878/7739748279, वेबसाइट : munammission.org

ई॰मेल : hmpt.mission@gmail.com

हज़रत हिन्द बिन्त उत्बा (रज़ि॰)

■ माइल ख़ैराबादी

अल्लाह तआला जिन बहुत-सी ख़ूबियों का मालिक है कोई उनकी हद और इन्तिहा को नहीं पा सकता । न तो अल्लाह के क़हर व ग़ज़ब का अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है और न उसके रहम व करम की हदबन्दी की जा सकती है । अल्लाह तआला ने अपनी सिफ़ात (ख़ूबियों) की मज़हर (नमूना) नबियों को बनाया । अम्बिया अलैहि॰ में जनाब नबी करीम (सल्ल॰) के हालात जिस तफ़्सील से हमें मिलते हैं इस तरह किसी दूसरे नबी के हालात हमारे सामने नहीं । अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के बहुत-से वाक़िआत ऐसे हैरान कर देने वाले हैं कि जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो यह सोचने लगते हैं कि एक इन्सान ऐसा कर भी सकता है ? मिसाल के तौर पर मक्का की फ़तह के वक़्त हुज़ूर (सल्ल॰) ने जिस तरह माफ़ी और करम से काम लिया, अस्ल में वह तमाम का तमाम बहुत ही हैरतअंगेज़ है ।

उस वक़्त हुज़ूर (सल्ल॰) के सामने आपके बदतरीन दुश्मन सर झुकाए खड़े थे इन्तिज़ार में थे कि हुज़ूर की ज़बान से क्या हुक्म सादिर होता है ? लेकिन अल्लाह के नबी (सल्ल॰) ने सबको माफ़ कर दिया सय्यदुश्शोहदा हज़रत हम्ज़ा (रज़ि॰) आपके चचा थे और इस्लाम के सरफ़रोशों में जिनका मक़ाम ऊंचे से ऊंचा है उन्हीं हम्ज़ा (रज़ि॰) के क़ातिल वहशी जब माफ़ी मांगने आये तो अल्लाह के नबी (सल्ल॰) ने माफ़ कर दिया । हालांकि चचा की शहादत का हुज़ूर के दिल पर बेहद सदमा था । फिर मुहब्बत के साथ वहशी से फ़रमाया कि देखो, तुम्हें माफ़ तो कर दिया गया है लेकिन अब मेरे सामने मत आना ।'

शायद यह कहने से मंशा यह हो कि कहीं इन्सान होने के तक़ाज़े की वजह से ज़बान से कोई लफ़्ज़ ऐसा निकल जाए जो वहशी की आख़िरत के लिए नुक़सानदेह हो या फिर यह कि चचा की शहादत से हुज़ूर (सल्ल॰) के दिल पर चोट पड़ी थी, वह ताज़ा हो जाए ।

देखा आपने । ऐसे आदमी को माफ़ कर दिया और आज हम उन्हीं वहशी को हज़रत वहशी (रज़ि॰) कहते हैं । क्यों...? इसलिए कि अल्लाह का रसूल उनसे राज़ी हो गया । इसी तरह हज़रत वहशी से ज़्यादा मुजरिम एक ऐसी औरत को माफ़ कर दिया गया जिसने हज़रत हम्ज़ा (रज़ि॰) की शहादत के बाद उनकी लाश का मुसला (अनादर) किया था । नाक, कान काटे और हार बनाया और गले में पहना ।

उसके दिल की सख़्ती की फिर भी तसल्ली नहीं हुई तो फिर सीना चीरकर कलेजा निकाला और चाहा कि चबाकर निगल जाए, लेकिन निगला न गया और मुंह से उगल दिया । इसे भी हुज़ूर (सल्ल॰) ने माफ़ कर दिया और फिर आज हम उसी औरत या उन्हीं ख़ातून को बिल्कुल इसी तरह याद करते हैं जिस तरह एक सहाबी को याद किया जाता है । हम उनका नाम इस एहतिराम से लेते हैं "हज़रत हिन्द बिन्त उत्बा (रज़ि॰)" हमारे इस तरह नाम लेने की वजह यह है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने उनको माफ़ कर दिया और उनसे राज़ी हो गये ।

आज हम उन्हीं हज़रत हिन्द (रज़ि॰) का मुख़्तसर हाल बयान करते हैं और इससे हमारा मक़सद यह है कि उनके वाक़ियात जानकर हम ख़ुद सबक़ हासिल करें ।

हज़रत हिन्द बिन्त उत्बा (रज़ि॰) क़ुरैश के सबसे बड़े रईस उत्बा की बेटी थी । यह उत्बा वही शख़्स हैं जिसे क़ुरैश ने नबी करीम के पास सुलह के लिए भेजा ताकि आप (सल्ल॰) अपनी दावत में नरमी और लचक पैदा कर लें और इसके बदले में चाहें तो उन्हें सरदारी दे दी जाए, चाहें तो इतनी दौलत दे दी जाए कि सात पुश्तों तक काफ़ी हो, या चाहें तो अरब की सबसे बड़ी हसीना आपकी ख़िदमत में पेश कर दी जाए ।

यह उत्बा वही उत्बा हैं जो जंगे बद्र में काफ़िरों के लश्कर का सिपहसालार बन गया था और अपने को इतना ऊंचे दर्जे का सबझता था कि अपने से कमतर सिपाही से लड़ना पसन्द नहीं करता था । यही उत्बा नबी करीम (सल्ल०) के बहादुर चचा हज़रत हम्ज़ा (रज़ि०) के हाथ से मारा गया । यही उत्बा हज़रत हिन्द (रज़ि०) का बाप था । आप समझ लीजिए कि ऐसे बाप की तरबियत में जो लड़की पले-बढ़ेगी, वह किस दिल व दिमाग़ की औरत बन सकती है ? सोने पर सुहागा यह कि शादी भी हुई तो ऐसे आदमी से जो मिजाज़ व किरदार के एतिबार से दूसरा उत्बा था यानी अबू सुफ़ियान बिन हरब । हरब अरब का वह मशहूर बहादुर शख़्स हुआ है जो अरब की मशहूर लड़ाई जंगे फ़ुज्जार में क़ुरैश का सिपहसालारे आज़म था । ग़ौर कीजिए, बाप वैसा और शौहर ऐसा ।

हक़ीक़त भी यही है कि हज़रत हिन्द बिन्त उत्बा (रज़ि०) का दिल चट्टान की तरह सख़्त था । जब तक वे इस्लाम न लायीं, मुसलमानों के मुक़ाबले में उनकी बदतरीन दुश्मन रहीं । फिर जब मुसलमान हो गयीं तो दिल की सख़्ती का रुख़ कुफ़्र की तरफ़ हो गया और वे कुफ़्र की मुख़ालफ़त में चट्टान की तरह साबित हुईं । हज़रत हिन्द के ये दोनों रुख़ दिलचस्प होने के साथ-साथ इबरतअंगेज़ भी हैं । एक तर्बियत पाने वाला बड़ी नसीहत हासिल कर सकता है ।

हम ऊपर यह बता ही चुके हैं कि बद्र की लड़ाई में मक्के का रईसे आज़म उत्बा हज़रत हम्ज़ा (रज़ि०) की तलवार से मारा गया । जंगे बद्र के मक्के के और भी बहुत-से बड़े-बड़े लोग मारे गये थे । इनके बाद क़ुरैश का सबसे बड़ा रईस अबू सुफ़ियान हुआ । इधर अबू सुफ़ियान ने जंगे बद्र का बदला लेने की क़सम खायी, उधर उसकी बीवी हिन्द ने बाप के क़ातिल हम्ज़ा (रज़ि०) से इन्तिक़ाम लेने की ठानी ।

जंगे बद्र के बाद दूसरे साल ही जब मक्के से बड़े लावलश्कर के साथ अबू सुफ़ियान सिपहसालार बनकर मदीने की तरफ़ चला तो हिन्द की बहुत-सी औरतों के साथ चलीं । हिन्द ने मक्के के मुश्रिकों की हिमायत में इस लड़ाई (जंगे उहद) में जिस जोश और ग़ैज़ो ग़ज़ब का मुज़ाहिरा किया, उससे दिल कांप जाता है ।

जिस वक़्त मक्के के काफ़िरों और मदीने के मुसलमानों का मुक़ाबला हुआ, उस वक़्त हिन्द रिज्ज़िया (लड़ाई पर उभारने वाले) और जोशीले गीत गा-गाकर काफ़िरों को मारने और मरने पर उभार रही थीं । उनके जोश का अंदाज़ा उनके गीत से लगाया जा सकता है जो दूसरी औरतों के साथ अरब के मशहूर साज़ 'दफ़' पर गा रही थीं । नमूने के तौर पर सिर्फ़ दो शेअरों का अनुवाद नीचे दिया जाता है–

हम आसमान के तारों की बेटियां हैं
हम क़ालीनों पर चलने वालियां हैं
अगर तुम आगे बढ़कर लड़ोगे तो
हम तुमसे गले मिलेंगी ।
और पीछे क़दम हटाया तो हम
तुम से अलग हो जाएंगी ।

इस लड़ाई में हिन्द की वह दिली मुराद पूरी हो गयी जो हज़रत हम्ज़ा (रज़ि०) की शहादत के लिए वह मांग रही थी । जैसे ही सुना कि हज़रत हम्ज़ा ज़ख़्मी होकर घोड़े से गिरे और उनकी रूह जिस्म से निकल गयी, वे हज़रत हम्ज़ा की लाश की तरफ़ बढ़ी । लाश का मुसला किया । कलेजा निकालकर चबाया और इस तरह अपने दिल को मस्कीन दी । हिन्द का यह इन्तिक़ाम इस क़दर दर्दनाक था कि बड़ों-बड़ों से देखा न जाता था । ख़ुद उनके शौहर अबू सुफ़ियान ने जब यह सुना तो बोला कि मैंने यह हुक्म नहीं दिया था लेकिन हिन्द ने जो कुछ किया उससे मुझे रंज नहीं हुआ ।

हज़रत हम्ज़ा (रज़ि०) हुज़ूर (सल्ल०) के चचा थे । अरब के मशहूर बहादुर पहलवान थे । इस्लाम के एक बड़े जिमायती और पुश्तीबान थे । सच्चे मुसलमान थे । हुज़ूर (सल्ल०) के दूध शरीक भाई भी थे । साथ खेलते थे उम्र में साल सवा साल ही का फ़र्क़ था । रिश्ते के एतिबार से भी काफ़ी मुहब्बत करते थे । फिर यह कि ग़रीबों के हमदर्द और बड़े फ़य्याज़ इन्सान थे । उनकी ख़ूबियों ने हुज़ूर (सल्ल०) को उनका मतवाला बना दिया था । इन्हीं हज़रत हम्ज़ा (रज़ि०) की दिल हिला देने वाली हालत देखी तो आपको कितना ग़म हुआ ? इसका अंदाज़ा इस क़सम से हो सकता है जो आपने इस मौक़े पर खाई–"ख़ुदा की क़सम! एक हम्ज़ा का बदला सत्तर काफ़िरों से लूंगा ।" लेकिन फ़ौरन अल्लाह ने ऐसा बदला लेने से मना फ़रमाया । आपने

सब्र किया और क़सम का कफ़्फ़ारा दे दिया ।

हिन्द की यह संगदिली हरगिज़ इस क़ाबिल न थी कि उन्हें माफ़ किया जाता । लेकिन जब हुज़ूर (सल्ल०) ने मक्का फ़तह किया तो अबू सुफ़ियान को भी माफ़ कर दिया और हिन्द को भी । हिन्द को जब इस माफ़ी की ख़बर मिली तो वे हैरान रह गयीं । अब दिल ने करवट बदली, अपने किये पर पछतायीं, शर्म के मारे चेहरे पर नक़ाब डालकर हुज़ूर (सल्ल०) की ख़िदमत में आयीं । लेकिन इस शान की औरत को हुज़ूर भला कैसे न पहचान लेते ? आपने पहचान लिया तो हज़रत हिन्द ने कहा कि मैं बैअत करते वक़्त आपसे सख़्ती के साथ बात करूंगी । हुज़ूर (सल्ल०) ने मंज़ूर फ़रमाया । इसके बाद यह बातचीत हुई ।

हिन्द–"ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०)! आप हमसे किन बातों पर बैअत लेते हैं ?"

हुज़ूर–"यह कि ख़ुदा के साथ किसी को शरीक न करना ।"

हिन्द–"यह इक़रार आपने मर्दों से नहीं लिया । फिर भी हमें मंज़ूर है ।"

हुज़ूर–"चोरी न करना ।"

हिन्द–"मैं अपने शौहर अबू सुफ़ियान के माल में से दो-चार आने कभी ले लिया करती हूं । मालूम नहीं जायज़ है या नहीं ?"

हुज़ूर–"औलाद को क़त्ल न करना ।"

हिन्द–"हमने अपने बच्चों को पाला था, बड़े हुए तो जंगे बद्र में आपने उनको मार डाला, अब आप और वे आपस में समझ लें ।"

हज़रत हिन्द ने इस ढिठाई के साथ बैअत की, लेकिन जब देखा कि हुज़ूर (सल्ल०) ने चेहरे पर बल तक नहीं आया तो बोलीं, "ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०)! इस वक़्त से पहले हैं आपको अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती थी, लेकिन अब आपसे बढ़कर मेरा कोई महबूब नहीं ।"

बैअत के बाद हिन्द घर पहुंची तो अब वह हिन्द न थी जो पहले थीं । घर में इबादत के लिए जो बुत नसब कर रखा था उसे उठाकर पटक दिया । इस पर लानत भेजी और कहा, "तेरी ही वजह से हम सब गुमराही में पड़े थे ।"

मुसलमान होने के बाद उन्होंने अपने ईमान को पुख़्ता से पुख़्तातर किया । जिस क़दर नफ़रत उनको इस्लाम से थी अब उसकी जगह कुफ़्र ने ले ली । चुनांचे एक ऐसा ही वलवला जो कुफ़्र की हालत में उहुद की लड़ाई के वक़्त उनमें जोश मार रहा था, वैसा ही वलवला जंगे यरमूक के मौक़े पर देखा गया ।

हज़रत उमर (रज़ि०) की ख़िलाफ़त के ज़माने में यरमूक की लड़ाई सख़्ततरीन जंगों में से एक थी । इस जंग में हज़रत अबू सुफ़ियान उनकी बीवी हिन्द और उनके बेटे यज़ीद बिन अबू सुफ़ियान बड़े जोश के साथ शरीक हुए । इस लड़ाई में एक वक़्त ऐसा भी आया कि मुसलमानों के एक दस्ते ने कम हिम्मती दिखायी और उन्होंने पीछे क़दम हटाया तो हज़रत हिन्द (रज़ि०) ने तमाम औरतों के साथ ख़ेमों की चोबें हाथों से लेकर डांटा और कहा कि अगर तुम पीछे हटे तो हम इन चोबों से तुम्हें मारेंगे । उनके इस तरह ग़ैरत दिलाने से उन पस्त हिम्मत मुसलमानों के क़दम जमे और फिर उन्होंने यह लड़ाई जीत ली ।

हज़रत हिन्द (रज़ि०) बड़े बाप की बेटी और रईस की बीवी थीं । इसलिए सख़ावत में बढ़कर-चढ़कर हिस्सा लेतीं । मुसलमान होने के बाद तो बहुत ज़्यादा ख़ैरात करतीं । कुफ़्र के ज़माने में इस्लाम के मुक़ाबले में जो ताक़त ख़र्च कर चुकी थी उसे याद करके रोतीं और अपने रब से माफ़ी मांगा करती थीं ।

M/s. ABBAS SOAP FACTORY

77/2, Topsia Road (South)
KOLKATA - 700 046

अगर कोई अपने ब्रांड के नाम से माल बनवाना चाहते हैं तो भी राबिता क़ायम करें।

PRODUCTS

- ✓ WASHING POWDER
- ✓ TOILET SOAP
- ✓ WASHING SOAP
- ✓ DETERGENT POWDER
- ✓ BATH SOAP

Contact For Business
For
Agency & Distributor Ship

M : 08100226137 (Mohd. Abbas)
M : 09831496237 (Mohd. Khalid)
M : 08981605834 (Mohd. Khalid)

क्या जिहाद आतंकवाद है ?

हम अक्सर जिहाद और आतंकवाद को पर्यायवाचक समझते हैं, जबकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं । जिहाद अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ कोशिश जद्दोजहद और दौड़-धूप होता है और आतंकवाद का तात्पर्य डराना, धमकाना, भय पैदा करना होता है । जिहाद के माध्यम से कुछ पाने की चेष्टा की जाती है और आतंकवाद में छीनने की प्रवृत्ति होती है । अर्थात जिहाद निर्माणकारी और आतंकवाद विनाशकारी होता है । जिहाद शांति का दूत है, तो आतंकवाद युद्ध का । जिहाद धर्म है, तो आतंकवाद अधर्म ।

इतिहास साक्षी है कि श्रीराम ने रावण ने जो कुछ किया आतंकवाद था । उसी प्रकार कौड़वों ने जब पांडवों की हक़तल्फ़ी की तो पांडवों ने अपने हक़ की प्राप्ति के लिए जो भी किया वही जिहाद था और कौरवों ने पांडवों के साथ जो किया वह आतंकवाद था । इस्लाम और मुसलमानों को जिहाद और आतंकवाद के साथ जोड़कर देखा जाता है तथा प्रमाण स्वरूप तालिबान, अल-क़ायदा, जमातुद्दावा, दाऊश और बोको हरम सरीखे आतंकी संगठनों को पेश किया जाता रहा है । ये आतंकी संगठन वर्चस्ववादी शक्ति की नाजायज़ संतान है । इस्लाम पर यह भी आरोप लगता रहा है कि इस्लाम तलवार के बल पर फैलाया गया है । यह सभी न्यायोचित नहीं है ।

तो कोई तलवार के बल पर किसी को मुसलमान कैसे बना सकता है, वह तो स्वयं इस्लाम से ख़ारिज हो जाएगा । ईश्वर ने मुसलमानों को अतिउदारवादी बनाया है । सच्चे मुसलमान वे हैं जो कहते हैं–

"हम ईश्वर (अल्लाह) के रसूलों को एक-दूसरे से अलग नहीं करते ।" (कुरआन, 2:285)

अतएव इस्लाम में संकीर्णता के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि इस्लाम सभी धर्मों का आदर-सम्मान करना सिखाता है । हम भाग्यशाली हैं कि भारतीय मुसलमानों को अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय आतंकवाद से कुछ लेना-देना नहीं है । जहां तक आतंकवाद के कारणों का प्रश्न है, इसके लिए मुख्यत: निम्नलिखित कारण ज़िम्मेदार हैं–

1. लोगों के बीच व्याप्त सामाजिक व आर्थिक असमानता व अराजकता के कारण व्यापक असंतोष आतंकवाद का जनक बनता है । अतएव देश में क़ानून का राज क़ायम कर ऐसे आतंकवाद को रोका जा सकता है ।

2. लोग स्वयं आतंकवादी बनते नहीं, बल्कि कुछ देश अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं । तालिबान और अल-क़ायदा इसकी जीवित मिसाल है । अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उचित क़दम उठाकर इससे छुटकारा पाया जा सकता है ।

3. अनुचित, अनुपयुक्त, असंयमित, अनैतिक, अभद्र, अशिष्ट अनियंत्रित आज़ाद अभिव्यक्ति आतंकवाद की सहयोगी है । इसी आज़ाद अभिव्यक्ति के कारण ही चित्रकार एम०एफ० हुसैन को स्वयं जलावतन का दंश झेलना पड़ा, निर्भया बलात्कार हत्या के मृत्यु दंड याफ़्ता मुजरिम को लोगों का कोप भाजन बनना पड़ा ।

आज़ाद अभिव्यक्ति के अधिकार को देश में मौजूद नियमों व अधिनियमों पर अमल करके माननीय न्यायालयों के मतों का सम्मान करके, पुलिस बल का सदुपयोग करके, राज नेताओं के सकारात्मक विचारों व रुझानों का सदुपयोग करके मीडिया, पत्रकारों व लेखकों के उपयुक्त विचारधारा को प्रोत्साहित करके नियंत्रित किया जा सकता है तथा आतंकवाद की जड़ काटी जा सकती है ।

अंत में मैं यही आग्रह करूंगा कि एक ईश्वर पर ईमान लाकर केवल उसी की इबादत करके तथा लोगों में प्रेम, सद्भावना, सहानुभूति तथा भाईचारा का संचार करके संसार को आतंकवाद से निजात दिलाया जा सकता है ।

शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है ।
धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है ।।

अब्दुर्रहीम अंसारी
(भूतपूर्व मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी
सह अवर न्यायाधीश सह सहायक सत्र न्यायाधीश)
हाजीपुर, वैशाली (बिहार)

नोटबंदी से ठिठकी अर्थव्यवस्था

■ बाल मुकुन्द

2011 के विश्व कप क्रिकेट का एक सेमीफाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया था । फिल्म और टेलीविज़न से संबंधित आंकड़े बताते हैं कि उस सनसनीखेज मुक़ाबले को भारत में लगभग दस करोड़ लोगों ने टी०वी० पर देखा । मैच के दौरान सारा देश मानो ठप हो गया था । गलियों में सन्नाटा पसरा था । लोगों ने ऑफ़िसों से छुट्टियां ले ली थीं । जिन्हें मजबूरी में जाना पड़ा था, वे भी आख़िरी घंटों में कहीं न कहीं से टी०वी० का जुगाड़ कर उससे चिपके पड़े थे । उन दस करोड़ दर्शकों ने उस दिन कोई काम नहीं किया । बाद में कुछ अर्थशास्त्रियों ने दबे स्वर में कहा कि यह दस करोड़ कार्य दिवसों की हानि थी । क्योंकि उस दिन उनका उत्पादन लगभग शून्य रहा था और सकल राष्ट्रीय आय को वे अपना कोई योगदान नहीं दे सके थे । पर्यावरणवादी कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से अगले तीन दशकों में मनुष्य की कार्यक्षमता में 4 प्रतिशत की कमी आ जाएगी । वार्मिंग से उनकी उत्पादकता लगातार घट रही है और अगले डेढ़ दशकों में इसके कारण दो हज़ार अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर नुक़सान हो जाएगा ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में सिर्फ़ जल जनित बीमारियों की वजह से हर साल साढ़े सात लाख कार्य दिवसों का नुक़सान होता है, यानी वे हमारी राष्ट्रीय आय को 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर का घाटा पहुंचाती हैं । पीने का साफ़ पानी नहीं मिलने से लोग हैजा, पीलिया, आंत्रशोथ और टायफायड के शिकार बनते हैं । फिर उन्हें इलाज के लिए छुट्टी लेनी पड़ती है और हमारा राष्ट्र उन नागरिकों के श्रम के योगदान से वंचित रह जाता है ।

कैश की क़िल्लत

1991 में देश में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई तो श्रमिक हड़तालों के ख़िलाफ़ सबसे मज़बूत तर्क यही रखा गया है कि काम रोकने से कार्य दिवसों की हानि होती है और देश को नुक़सान पहुंचता है । हम अपना असंतोष ज़रूर व्यक्त करें, लेकिन देश की प्रगति को क्यों बाधित

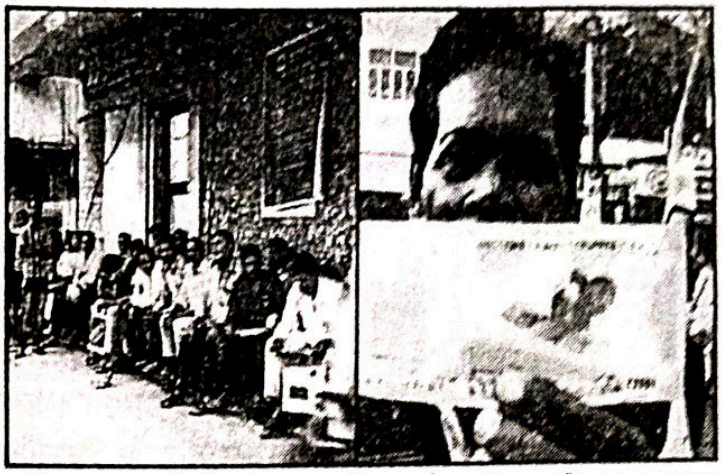

करें ? अदालतों ने भी इस दलील को स्वीकार किया । आम लोगों को यह बात समझ में आयी और कामबंदी के ख़िलाफ़ एक माहौल बनने लगा । 2007 से अब तक के इन दस वर्षों का पैटर्न देखें तो एक 2010 को छोड़कर बाक़ी वर्षों में देश में होने वाली हड़तालों और उनसे कार्य दिवसों को होने वाले नुक़सान में लगातार और तेज़ी से कमी आयी है ।

इस तरह की कमी हड़ताली या असंतुष्ट कर्मचारियों की संख्या में नहीं दर्ज की गयी है । लेकिन उन्होंने प्रतिकार के ऐसे उपाय निकालने शुरू कर दिये हैं, जिससे कार्य दिवसों की हानि कम से कम हो । इस साल 29 जुलाई को बैंक कर्मचारियों ने एक दिन की हड़ताल की थी । वे स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के सहायक बैंकों के उनके मूल बैंक में विलय के प्रस्ताव के विरोध में अपने काम पर नहीं आये । तब एसोचैम की ओर से बयान आया कि उससे 12 से 15 हज़ार करोड़ तक का नुक़सान हुआ ।

इस समय हम हज़ार और पांच सौ के पुराने नोट बदलने और नये नोटों के जुगाड़ में इस क़दर उलझे हैं कि इससे हो रहे कार्य दिवसों के नुक़सान पर ध्यान नहीं जा रहा है । सच्चाई यह है कि प्राइवेट और सरकारी, दोनों तरह के बैंकों में नोट बदलने और जमा करने के अलावा और कोई काम नहीं हो रहा है । चेक जमा करने और लाइफ़ सर्टिफिकेट जमा करने जैसे छोटे-छोटे काम बाधित हो रहे हैं । दैनिक मज़दूर, किसान, धोबी, दर्जी, रेहड़ी वाले, रिक्शा

वाले, फेरी वाले सब क्यू में लगे हैं । इस बात का अनुमान कम ही लोगों को होगा कि देश की अर्थव्यवस्था में इन निम्न स्तरीय आर्थिक क्रियाकलापों का कितना बड़ा योगदान है । जो कार्यालयों में काम करते हैं, वे हाज़िरी लगाकर ए०टी०एम० की लाइन में लगने निकल जाते हैं । ज़िम्मेदार कर्मचारी सुबह लाइन में लगते हैं तो लंच तक ऑफिस पहुंचते हैं । उनमें से कुछ लोग बहानेबाज़ी भी कर रहे हों, तो कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं है । कैश की क़िल्लत सर्वव्यापी है ।

आधिकारिक तौर पर 8 नवम्बर की रात से नोटबंदी शुरू हुई है । तब से अब तक स्थिति सामान्य नहीं हुई है । श्रम दिवसों की हानि के इस पहलू पर ग़ौर करना चाहिए । देश को काले धन से मुक्त करने का फ़ैसला अच्छा और साहसपूर्ण है । लेकिन उसे जिस तरह से क्रियान्वित किया गया है, उसके परिणामों पर भी अवश्य विचार करना चाहिए । इसके पहले भारत की गिनती सबसे तेज़ रफ़्तार अर्थव्यवस्थाओं में हो रही थी । हमारे जी०डी०पी० में 6.8 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही थी । अब कुछ अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि नोटबंदी से वह दर घटकर आधी हो सकती है ।

एंबिट कैपिटल का अनुमान है कि वह 3.8 पर आ जाएगी । हालांकि बैंकों की ब्याज दरों में कमी आने से बाज़ार में थोड़ी हलचल फिर से शुरू होगी । अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में बढ़ोत्तरी की संभावना के कारण रुपये की हालत पहले से ही कमज़ोर है । मैक्लाइं फाइनेंशियल सर्विसेज के अनुसार नोटबंदी उसे 69 रुपये प्रति यू०एस० डॉलर के मनोवैज्ञानिक स्तर पर ले जा सकती है । जबकि यह स्पष्ट है कि नोटबंदी सारा काला धन नहीं, सिर्फ़ काली करेंसी ही बाहर निकाल सकती है ।

क़ीमत क्या है ?

नोटबंदी द्वारा देश से 'काला धन' निकालने के लिए हम इससे बड़ी क़ीमत भी देने को तैयार हैं, लेकिन इसका आकलन किया जाना चाहिए वह क़ीमत क्या है और उसका असर हम पर और अर्थव्यवस्था पर क्या होगा । इसके बिना हम कैसे जान पाएंगे कि देश से काला धन निकालने की इस विशेष मुहिम के लिए इस पीढ़ी ने कितनी बड़ी क़ुरबानी दी है ।

पुनश्च: गैंगरीन के इलाज के लिए कई बार अंग काट देना पड़ता है, लेकिन ब्रेन ट्यूमर का इलाज कभी भी सर काट कर नहीं हो सकता । (सा० : नभाटा)



भारत-नेपाल संबंध के विविध आयाम

■ शाहिद इलियास

भारत और नेपाल के मध्य आज़ादी के बाद से ही मज़बूत संबंध रहे हैं । नेपाल हिमालय के इलाक़े में एक पहाड़ी, पथरीला एवं स्थलरुद्ध देश है । भारत की नेपाल के साथ 1700 किमी की सीमा है । पारस्परिक मैत्री बनाए रखने हेतु इनके मध्य 1950 में मैत्री संधि हुई, जिसमें अखंडता, स्वतंत्रता एवं सम्मान को अक्षुण्ण बनाए रखने का उल्लेख है । जुलाई-अगस्त 2000 में नेपाल के प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला भारत की यात्रा पर आये । विमान अपहरण कांड प्रकरण के कारण दोनों देशों के मध्य थोड़ी-सी दूरी दिखायी दी, किंतु सीमा प्रबंधन, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास तथा जल संसाधनों के क्षेत्र में परस्पर सहयोग को और अधिक मज़बूत बनाया गया है । भारत व नेपाल के मध्य सुरक्षा से संबंधित सहयोग को प्रभावी बनाने हेतु द्विपक्षीय संस्थागत तंत्रों का एक नेटवर्क भी तैयार किया गया है ।

वर्ष 2007 में राजशाही की समाप्ति एवं 2008 में संविधान सभा चुनावों में नेपाल गणतंत्र स्थापित हुआ जिसके परिणामस्वरूप भारत-नेपाल संबंधों में नये आयाम दिखायी दिये । श्री कुमार दहल प्रचंड के नेतृत्व में माओवादियों की सरकार बनने से भारत-नेपाल संबंधों में करवाहट कुछ आने लगी । नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड द्वारा 1950 की मैत्री संधि की पुनर्समीक्षा की घोषणा एवं चीन की तरफ़ उसके बढ़ते झुकाव ने इस बात को पुख़्ता किया । उल्लेखनीय है कि सेना अध्यक्ष की बर्ख़ास्तगी के मुद्दे पर प्रचंड को इस्तीफ़ा देना पड़ा । तत्पश्चात उन्होंने नेपाल की आंतरिक अस्थिरता के लिए भारत को ज़िम्मेदार ठहराया ।

ग़ौरतलब है कि माओवादियों के सत्ता में आने से नेपाल में चीन का प्रभाव असामान्य रूप से फैला है । नेपाल को तिब्बत से जोड़ने के लिए आंतरिक सड़कों एवं रेल की व्यवस्था की गयी है । चाइना रेडियो इंटरनेशनल ने काठमांडू में स्थानीय एफ०एम० रेडियो स्टेशन भी खोला है । यहां से पूरे नेपाल में एफ०एम० कार्यक्रम चलाए जाते हैं । नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ने 4 मई 2009 को इस्तीफ़ा दे दिया एवं उनके स्थान पर माधव कुमार नेपाल ने प्रधानमंत्री पद संभाला । वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति पद पर भारतीय मूल के व्यक्ति हैं ।

20-23 अक्तूबर 2011 के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री डॉ० बाबूराम भट्टाराई ने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की यात्रा की । यात्रा के दौरान भारत एक एमीनेंट पर्सन ग्रुप स्थापित करने पर सहमत हुआ । भारत-नेपाल के प्रधानमंत्रियों की नेपाल द्विपक्षीय निवेश में एक भारत संवर्द्धन समझौता (बी०आई०पी०पी०ए०) पर हस्ताक्षर किये गये । इस समझौते के तहत नेपाल सरकार एवं भारतीय आयात-निर्यात बैंक के मध्य 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की साख उपलब्ध कराने का प्रावधान है । साथ ही नेपाल में घेघा नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 1.875 करोड़ रुपये की भारतीय सहायता के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर शामिल है ।

पिछले दिनों गये भारत के राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने नेपाली राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के साथ वार्ता की । वार्ता के दौरान, दोनों नेताओं ने उम्मीद जतायी कि भारत के राष्ट्रपति के दौरे से द्विपक्षीय संबंध और मज़बूत होंगे । पिछले 18 वर्षों में यह भारत के किसी राष्ट्रपति की पहली आधिकारिक यात्रा थी ।

पूर्व में ही भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी नेपाल का दौरा किया । जो एक महत्वपूर्ण यात्रा है और भूगोल, प्रकृति, इतिहास और संस्कृति के गहरे रिश्तों में बंधे दो भ्रातासम पड़ोसियों के बीच एक नये अध्याय की शुरुआत करने की उम्मीद जगाती है । संभवत: अन्य किसी दो पड़ोसियों के बीच इतने घनिष्ठ और अंतरंग संबंध नहीं है, इनकी जड़ें अतीत में हैं और हज़ारों अलग-अलग तरीक़ों से दिनोंदिन अस्तित्व में उजागर होते हैं । तथ्य और आंकड़े अपनी कहानी बताते हैं और व्यापार तथा निवेश, संस्कृति तथा सुदृढ़ व्यक्तिगत संपर्कों से बने संबंधों को सामने लाते हैं ।

इस्लाम में ईशदूतत्व

■ डॉ॰ मुहम्मद अहमद

अल्लाह ने विशाल सृष्टि की रचना की और इसमें सर्वश्रेष्ठ प्राणी–मनुष्य को पैदा किया । मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक चीज़ों की व्यवस्था की । हवा, पानी, अन्न, फल आदि के प्रबंध किये । अल्लाह ने यह सब सोद्देश्य किया है । यह उसके गौरव और प्रताप के विरुद्ध बात है कि किसी निरुद्देश्य चीज़ की रचना करे । यह भी बुद्धि-विवेक से परे बात है कि अल्लाह वह उद्देश्य मनुष्य को न बताए, जिसके अंतर्गत उसने मनुष्य को पैदा किया है । मनुष्य को अपने ज्ञान और विधान की जानकारी न दे और उसे जीवन जीने और बरतने की शिक्षा न दे एवं उसे यूं ही भटकता छोड़ दे ।

इस्लाम अवतारवाद की इस धारणा के सर्वथा विरुद्ध है कि ईश्वर स्वयं धरती में अवतरित होता है । उसकी दृष्टि में ईश्वर किसी प्रयोजन से किसी भी प्राणी का रूप नहीं धारण करता और न किसी कार्य के लिए शरीर धारण करने के लिए वह बाध्य है । उसने जब अपनी इच्छा-शक्ति ही से इतनी विशाल सृष्टि की रचना कर दी, तो किसी कार्य के लिए उसको शरीर धारण करने की क्या आवश्यकता पड़ सकती है ? फिर यह बात कितनी असंगत और अनौचित्यपूर्ण है कि केवल एक भू-भाग और वह भी कुछ विशिष्ट लोगों को दुखों और संकटों से छुटकारा दिलाने के लिए ईश्वर को विभिन्न रूपों और प्रकारों में अवतार ग्रहण करना पड़े और उसका भी एक लंबा सिलसिला हो । इस्लाम किसी भी तरह से इसका समर्थन नहीं करता ।

प्रश्न यह उठता है कि क्या अवतार (प्रचलित अर्थ में) के स्थान पर इस्लाम की दृष्टि में कोई ऐसी व्यवस्था है, जिससे सारे संसार के मनुष्यों का मार्गदर्शन होता हो ? इस व्यवस्था को जानने से पहले यह समझ लेना उचित प्रतीत होता है कि इस्लाम की ईश्वर के संबंध में मौलिक धारणा क्या है ?

"अल्लाह" शब्द का अर्थ

इस्लाम विशुद्ध एकेश्वरवादी धर्म है, अर्थात उसकी यह धारणा है कि संपूर्ण जगत का एक ही ईश है और वही एकमात्र पूज्य एवं उपास्य है । इस्लामी शब्दावली में इस पूज्य-प्रभु को "अल्लाह" कहा जाता है । परन्तु "अल्लाह" का शाब्दिक अर्थ क्या है ? इसे भी जान लेना उचित होगा । "अल्लाह" शब्द का अर्थ-निरूपण मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी पुस्तक "तफ़्सीर सूरह फ़ातिहा" में निम्नलिखित शब्दों में किया है–

"सामी भाषाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि व्यंजनों और स्वरों का एक मुख्य समूह है, जो "पूजित" के अर्थ में प्रयुक्त होता रहा है । इबरानी, सुरयानी, कलदानी, हमीरी, अरबी आदि भाषाओं में उसका यही शाब्दिक गुण पाया जाता है । यह 'अलिफ़', 'लाम' और 'हे' का धतु है । कलदानी और सुरयानी का 'अलाहिया' इबरानी का 'उलूह' और अरबी का 'इलाह' इसी से बना है और निस्संदेह यही 'इलाह' है, जो 'अलिफ़' और 'लाम' अक्षरों के बढ़ा देने से 'अल्लाह' हो गया है, और इस प्रयोग ने 'अल्लाह' नाम को उस सत्ता के लिए विशिष्ट कर दिया है, जो संपूर्ण सृष्टि का रचयिता है । परन्तु यदि 'अल्लाह' 'इलाह' से बना है तो 'अल्लाह' का अर्थ क्या है ? इसके संबंध में विद्वानों के विभिन्न कथन हैं । परन्तु सबसे अधिक प्रबल पक्ष यह ज्ञात होता है कि इस नाम का उद्गम शब्द 'अलह' है । 'अलह' का अर्थ चकित व विवश हो जाना

अंतिम पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (स०)

अल्लाह ने मनुष्य को बता दिया कि यह सांसारिक जीवन तुम्हारे लिए एक परीक्षा की अवधि है, जिसके पश्चात तुम्हें मेरे पास लौटना होगा और मैं तुम्हें परीक्षा-फल दूंगा। अत: तुम मेरे आज्ञाकारी (मुस्लिम) बनो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें संसार में भी अम्न और इत्मीनान प्राप्त होगा और जब मेरे पास पलटकर आओगे, तो शाश्वत जीवन और प्रसन्नता प्राप्त होगी। तुम्हारा प्रवेश जन्नत (स्वर्ग) में होगा और यदि मेरी अवज्ञा की, तो परलोक में तुम दुख, कष्ट और मुसीबत के उस गढ़े में फेंक दिए जाओगे जिसका नाम जहन्नम (नरक) है।

है। कुछ ने कहा कि 'अल्लाह', 'वलह' शब्द से बना है। इसका अर्थ भी यही है।

अत: सृष्टि के रचयिता का नाम 'अल्लाह' इसलिए हुआ कि इस सत्ता के विषय में मनुष्य जो कुछ जानता है और जान सकता है वह इससे अधिक और कुछ नहीं है कि बुद्धि चकित रह जाए और उसकी वास्तविकता को समझने के लिए विवश हो जाए।"

"अल्लाह" शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए मौलाना अबू मुहम्मद इमामुद्दीन 'रामनगरी' लिखते हैं : "'इलाह' का अर्थ है : पूज्य। इसलिए 'इलाह' प्रत्येक उस व्यक्ति, जीव और निर्जीव वस्तु को कह सकते हैं जिसकी पूजा की जाए। इस 'इलाह' शब्द में 'अलिफ़' और 'लाम' संयुक्त कर 'अल्लाह' कर देने का अभिप्राय यह है कि एक ईश्वर ही पूज्य है। इसके अतिरिक्त कोई पूजा और उपासना का अधिकारी नहीं है।"

('इस्लाम का एकेश्वरवाद',
इस्लामी साहित्य सदन, रामनगर, वाराणसी)

'अल्लाह' शब्द में यह विशिष्ट गुण निहित है कि उसका प्रयोग एक ही उपास्य-प्रभु के लिए हो सकता है। भाषा विज्ञान के अनुसार, उसके सिवा किसी अन्य के लिए इसका प्रयोग नहीं हो सकता। इस शब्द का न तो कोई बहुवचन है और न ही इसका कोई लिंग (Gender) है। इस शब्द का सटीक हिन्दी अनुवाद 'ईश्वर' इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि यह शब्द भगवान, देवी-देवता, देव, विशिष्ट पुरुष अथवा जीव आदि उपास्यों के लिए भी भाववाचक रूप में प्राय: प्रयुक्त होता है। यह ज़रूर है कि काम चलाने अथवा समझने-समझाने के लिए 'अल्लाह' का अनुवाद 'ईश्वर' किया जा सकता है। वैसे सारे अच्छे नाम अल्लाह ही के लिए हैं। एक हदीस के अनुसार अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अल्लाह के लिए 99 नामों का उल्लेख किया है।

ईशदूतत्व की ज़रूरत

अल्लाह ने विशाल सृष्टि की रचना की और इसमें सर्वश्रेष्ठ प्राणी–मनुष्य को पैदा किया। मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक चीज़ों की व्यवस्था की। हवा, पानी, अन्न, फल आदि के प्रबंध किये। अल्लाह ने यह सब सोद्देश्य किया है। यह उसके गौरव और प्रताप के विरुद्ध बात है कि किसी निरुद्देश्य चीज़ की रचना करे। यह भी बुद्धि-विवेक से परे बात है कि अल्लाह वह उद्देश्य मनुष्य को न बताए, जिसके अंतर्गत उसने मनुष्य को पैदा किया है। मनुष्य को अपने ज्ञान और विधान की जानकारी न दे और उसे जीवन जीने और बरतने की शिक्षा न दे एवं उसे यूं ही भटकता छोड़ दे।

अल्लाह ने मनुष्यों पर अनगिनत उपकार किये हैं।

मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाकर उसे जानने, सोचने और समझने की शक्तियां व क्षमताएं प्रदान कीं । मनुष्य को पैदा करने के उद्देश्य बताए । अपना ज्ञान प्रदान किया और सिर्फ़ अल्लाह का बन्दा बनकर जीवन बिताने का निर्देश दिया । साथ ही उसने मनुष्य को अच्छे-बुरे की समझ प्रदान की और चयन व इरादे की स्वतंत्रता देकर धरती में उसे अपना ख़लीफ़ा बनाया । यह विशिष्ट पद सिर्फ़ मनुष्य को प्रदान किया गया है । इस पद पर नियुक्त करते समय उसने मनुष्य को भली-भांति बता दिया कि तुम्हारा एकमात्र उपास्य मैं हूं । मैं सारे जगत का नियन्ता, स्वामी और सम्राट हूं । मेरे राज्य में किसी की भी कोई भागीदारी और दख़ल नहीं है ।

अल्लाह ने मनुष्य को बता दिया कि यह सांसारिक जीवन तुम्हारे लिए एक परीक्षा की अवधि है, जिसके पश्चात तुम्हें मेरे पास लौटना होगा और मैं तुम्हें परीक्षा-फल दूंगा । अतः तुम मेरे आज्ञाकारी (मुस्लिम) बनो । यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें संसार में भी अम्न और इत्मीनान प्राप्त होगा और जब मेरे पास पलटकर आओगे, तो शाश्वत जीवन और प्रसन्नता प्राप्त होगी । तुम्हारा प्रवेश जन्नत (स्वर्ग) में होगा और यदि मेरी अवज्ञा की, तो परलोक में तुम दुख, कष्ट और मुसीबत के उस गढ़े में फेंक दिए जाओगे जिसका नाम जहन्नम (नरक) है ।

मनुष्य कितना कृतघ्न है

अल्लाह ने मनुष्य को उसका मौलिक और वास्तविक जीवनोद्देश्य बताकर धरती में मानव-जाति का आरंभ हज़रत आदम (अलैहिस्सलाम) और हव्वा को भेजकर किया । अल्लाह ने उन्हें जीवन बरतने के वे निर्देश भी दिये, जिनके अनुसार उन्हें और उनकी संतान को धरती में काम करना था । इस प्रकार धरती में मानव-जीवन का प्रारंभ ज्ञान के आलोक में हुआ । हज़रत आदम (अलैहि०) और हव्वा के जीवन का तरीक़ा अल्लाह का आज्ञापालन (इस्लाम) था और वे अपनी संतान को यही सत्य-तथ्य सिखाकर गये कि अल्लाह के आज्ञाकारी (मुस्लिम) बनकर रहें । इस विवेचन से यह वास्तविकता प्रकट हुई कि इस्लाम मानव-जीवन के प्रारंभ से है और इसे मानने वालों अर्थात, मुसलमानों के द्वारा मानव-जीवन का प्रारंभ हुआ । लेकिन बाद में लोग सत्य-मार्ग पर जमे न रह सके और सत्य-धर्म की शिक्षाएं भुलाते रहे और शरारत से उसे विकृत भी कर डाला । वे अज्ञानता में यहां तक पड़े कि अल्लाह को छोड़कर दूसरों की पूजा और आराधना करने लगे ।

रिसालत ही वह व्यवस्था है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने पालनहार की इच्छा, उसके आदेश और जीवनोद्देश्य मालूम कर सकता है । हज़रत आदम (अलैहि०) से शुरू होकर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) तक रिसालत का सिलसिला पहुंचता है । जब इसका प्रबंध हो गया कि इस्लाम की शिक्षाएं रहती दुनिया तक बाक़ी रहेंगी और मानव-जीवन की अभीष्ट उन्नति पूरी हो गयी, तो किसी रसूल, नबी, पैग़म्बर या ईशदूत भेजने की आवश्यकता न रही ।

अल्लाह ने मनुष्य के पथ-प्रदर्शन के लिए और उसे सत्य-धर्म (इस्लाम) की शिक्षाओं को उस तक पहुंचाने के लिए रिसालत की व्यवस्था की है । रिसालत (ईशदूतत्व, पैग़म्बरी) पर ईमान इस्लाम की मौलिक धारणा है । इस्लाम के प्रथम सूत्र वाक्य (कलिमा) का दूसरा वाक्यांश है–

''मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह''

(मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं)। इस्लाम में यह सूत्र-वाक्य मुस्लिम होने की पहली स्वीकारोक्ति है । पूरे कलिमे का अर्थ यह है : अल्लाह के सिवा काई पूज्य-प्रभु नहीं और मुहम्मद (सल्ल०) उसके रसूल हैं ।

रिसालत ही वह व्यवस्था है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने पालनहार की इच्छा, उसके आदेश और जीवनोद्देश्य मालूम कर सकता है । हज़रत आदम (अलैहि०) से शुरू होकर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) तक रिसालत का सिलसिला पहुंचता है । जब इसका प्रबंध हो गया कि इस्लाम की शिक्षाएं रहती दुनिया तक बाक़ी रहेंगी और मानव-जीवन की अभीष्ट उन्नति पूरी हो गयी, तो किसी रसूल, नबी, पैग़म्बर

या ईशदूत भेजने की आवश्यकता न रही । ये सारे पुण्यात्मा मनुष्यों में से ही थे । सभी की शिक्षा इस्लाम थी । क़ुरआन में है–"अल्लाह के निकट धर्म केवल इस्लाम है ।"

(क़ुरआन, 3:19)

"ऐ नबी (सल्ल०), कहो कि 'हम अल्लाह को मानते हैं, उस शिक्षा को मानते हैं जो हम पर उतारी गयी है, उन शिक्षाओं को भी मानते हैं जो इबराहीम, इस्माईल, इसहाक़, याक़ूब की संतान पर उतरी थीं, और उन आदेशों को भी मानते हैं जो मूसा और ईसा एवं दूसरे पैग़म्बरों को उनके रब की ओर से दिये गये थे । हम उनके बीच अंतर नहीं करते और हम अल्लाह के आज्ञाकारी (मुस्लिम) हैं ।" (3:84)

रिसालत की महत्ता

अल्लाह की बन्दगी और उसके आज्ञापालन पर लौकिक और पारलौकिक जीवन की सफलता व कल्याण निर्भर है । स्पष्ट है कि आज्ञा के बिना आज्ञापालन संभव नहीं । अत: एक मनुष्य ज्यों ही अपने पालनहार का बन्दा और उसका आज्ञाकारी होने का निर्णय करेगा, तो वह अवश्य जानना चाहेगा कि अल्लाह के आदेश क्या हैं ? वह किन बातों को पसन्द करता है और किन बातों को पसन्द नहीं करता ? वह कौन-कौन से कर्म करे, ताकि उसके प्रति निष्ठावान रहे और किन-किन चीज़ों से बचे, ताकि उसकी अवज्ञा न हो ? जब तक हमें इनकी जानकारी न होगी, अल्लाह की बन्दगी और उसकी आज्ञा के पालन की दिशा में एक क़दम भी आगे न बढ़ा सकेंगे ।

आख़िर हमें इन सब बातों की जानकारी कैसे प्राप्त हो ? इसके लिए हमारे पास कोई माध्यम नहीं है । मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक से इनकी वास्तविक जानकारी नहीं प्राप्त कर सकता है । वह अपनी कल्पनाओं से आगे नहीं बढ़ सकता है । कल्पनाओं में यथार्थ और वास्तविकताएं हों, यह आवश्यक नहीं । दूसरी ओर हर मनुष्य की अलग-अलग कल्पनाएं होती हैं । ऐसे में मनुष्य के लिए असंभव है कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक कोशिश करके भी वास्तविकता तक पहुंच सके । अल्लाह ने मनुष्य की भी रचना की है । वह उसकी विवशताओं से भी अवगत है । अत: उसने मनुष्य को पैदा करने के पश्चात यूं ही नहीं छोड़ दिया कि निरुद्देश्य भटकता फिरे, बल्कि उसने उस पर अपार कृपा की और उसे जीवनोद्देश्य एवं अपनी इच्छा व शिक्षा से अवगत कराने के रिसालत यानी अपने रसूलों, नबियों और पैग़म्बरों को भेजने की व्यवस्था की । रिसालत का यह सिलसिला हज़रत आदम (अलैहि०) से प्रारंभ होकर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) पर समाप्त होता है । अल्लाह ने इस उद्देश्य के लिए मनुष्यों में से ही अच्छे और पुण्यात्मा लोगों को अपना पैग़म्बर और संदेशवाहक बनाया । यह तो उसके गौरव और प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है कि धरती में ख़ुद आये और दुखों-कष्टों से दो-चार हो ।

अल्लाह ने इन्सानों पर अनगिनत उपकार, अनुग्रह और कृपाएं की हैं । उसने जगत के प्राणियों में इन्सान को सर्वश्रेष्ठ बनाया और उसे सोच-विचार एवं समझ-बूझ की क्षमता प्रदान की । उसे अपने ज्ञान और मार्गदर्शन के आलोक में भेजा । पहले इन्सान हज़रत आदम (अलैहि०) अल्लाह के पहले पैग़म्बर और ईशदूत भी थे । अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि अपनी संतान को इस्लाम की शिक्षा दें । यह उपदेश दें कि अल्लाह एक है जो तुम्हारा और सारी दुनिया का उपास्य है । उसी की पूजा, उपासना और इबादत करो, उसी के आगे सिर झुकाओ, उसी से सहायता की प्रार्थना करो और उसी की आज्ञा का पालन करते हुए भलाई और नेकी के साथ जीवन व्यतीत करो । यदि तुम ऐसा करोगे, तो इसका उत्तम पुरस्कार मिलेगा और परलोक में जन्नत (स्वर्ग) के पात्र होगे, परन्तु यदि तुमने ऐसा न किया और इरादे व अपनाने की अल्लाह द्वारा आज़ादी का दुरुपयोग करते हुए उसकी अवज्ञा की और स्वेच्छाचार किया, तो दंड मिलेगा और जहन्नम (नरक) के हवाले कर दिए जाओगे ।

हज़रत आदम (अलैहि०) के दुनिया से चले जाने के बाद उनकी संतान ने कुछ अवधि तक तो इस्लाम की कल्याणकारी शिक्षाओं का अनुगमन किया, परन्तु जैसे-जैसे समय बीतता गया, वह शिक्षाओं से विचलित होती चली गयी । धीरे-धीरे लोगों में नैतिक और धारणा संबंधी बुराइयां पैदा हो गयीं । तौहीद (एकेश्वरवाद) के स्थान पर शिर्क (बहुदेववाद) का चलन हुआ । इसके अनेक रूप बन गये । मूर्तिपूजा के साथ ही प्रकृति पूजा भी शुरू हुई और पेड़, पर्वत, सूर्य, चन्द्रमा, हवा, पानी आदि की पूजा होने लगी । आदम (अलैहि०) की संतान दुनिया के विभिन्न

भू-भाग में फैल गयी और उसके अन्दर इतनी पतनशीलता आ गयी कि उसने अच्छी बातों को बुरा और बुरी बातों को अच्छा समझ लिया गया ।

अल्लाह ने इन्सानों की यह दुर्दशा देखी, तो उसने उन पर उदार-अनुग्रह किया और उनके सुधार व मार्गदर्शन के लिए फिर अपने पैग़म्बर, रसूल, नबी, ईशदूत भेजे । ये पुण्यात्मा और महापुरुष लोगों को वही शिक्षा देते थे, जो हज़रत आदम (अलैहि०) ने अपनी संतान को दी थी । दुनिया के प्रत्येक भू-भाग में अल्लाह के पैग़म्बर आये और लोगों को अल्लाह की मर्ज़ी पर चलकर जीवन बिताने का तरीक़ा बताया । अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुख किया और उन्हें सीधा मार्ग दिखाया । परन्तु इन्सान का हाल भी अजीब है । उन्होंने अल्लाह के पैग़म्बरों और रसूलों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, जो उनके सुधार के लिए आये थे । उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया, यहां तक कि किसी को देश से निकाला, तो किसी की हत्या कर दी गयी । लेकिन अल्लाह के भेजे हुए महापुरुषों का मिशन चलता रहा । लोगों को उनकी बातें समझ में आने लगीं और वे रसूलों और महापुरुषों के अनुयायी बनकर अल्लाह का आज्ञापालन करने लगे ।

इस प्रकार इस्लाम दुनिया में फैला । सभी रसूलों, पैग़म्बरों और महापुरुषों की शिक्षाएं इस्लाम ही की शिक्षाएं थीं । इनके दुनिया से चले जाने के बाद सदैव ऐसा होता रहा कि उनके अनुयायियों ने अज्ञानतापूर्ण श्रद्धा और अंधविश्वास के कारण स्वयं उनको ही ईश्वर, ईश्वरपुत्र या ईश्वरत्व में साझी बना डाला और वे भी उन्हीं उपास्यों में शामिल कर दिये गये, जिनके खंडन में उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया था । यह विडम्बना ही है कि जिन बुराइयों के ख़ात्मे के लिए उन्होंने अपनी क़ुर्बानियां दीं और मानवता के उत्थान में लगे रहे, लोगों ने उन्हीं बुराइयों को फिर से पैदा करके मानवता को पतन के मार्ग पर डाल दिया । अल्लाह के पैग़म्बरों और रसूलों की शिक्षाएं विकृत कर दी गयीं और मनगढंत बातें एवं अकल्याणकारी चीज़ें फैला दी गयीं ।

मानव-सभ्यता के विकास के साथ ही जन-सुविधाओं का भी विकास हुआ । आवागमन के रास्ते बने, यातायात के साधन बढ़े । दुनिया की विभिन्न क़ौमें और विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले इन्सानों के बीच संपर्क बढ़ा । जलमार्ग खोजे गये और व्यापार के साथ ही आचार-विचार का आदान-प्रदान होने लगा । अब वह समय आ गया कि यदि सारी दुनिया के लिए ईश्वरीय जीवन-व्यवस्था भेजी जाए, तो वह दुनिया के लिए काफ़ी हो जाए, और सारी दुनिया के लोगों को संबोधित करके दो टूक अन्दाज़ में यह बता दिया जाए कि इन्सानों के जीवन का उद्देश्य क्या है ? उनका सहज-स्वाभाविक धर्म कौन-सा रहा है और है ? अल्लाह की इच्छा क्या है ? इन्सान को पैदा करने का उद्देश्य क्या है ? इन्सान अपने पालनकर्ता-प्रभु की प्रसन्नता और निकटता कैसे प्राप्त कर सकता है ? आदि-आदि ।

इसके लिए सर्वशक्तिमान अल्लाह ने अपने अंतिम प्रिय पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को अरब प्रायद्वीप में भेजा और आप (सल्ल०) पर नुबूवत के (ईशदूतत्व) सिलसिले को समाप्त कर दिया । अरब में मुहम्मद (सल्ल०) को भेजे जाने का एक कारण यह भी था कि अरब संसार में ऐसी जगह पर है, जहां से एशिया, अफ़्रीक़ा और यूरोप सब निकट हैं । अरब इन सबके मध्य स्थित है । यहां से पूरी दुनिया को संबोधित करने की सुगमता भली-भाँति समझी जा सकती है । अल्लाह ने आप (सल्ल०) को इस्लाम की पूरी शिक्षा और विधान देकर इसलिए भेजा कि अब रहती दुनिया तक अल्लाह का भेजा हुआ धर्म–इस्लाम–दुनिया के सभी इन्सानों को जीवन का सीधा मार्ग दिखाता रहे ।

दुनिया में बहुत-से महान शासक, सुधारक, धर्म-संस्थापक और क्रांतिकारी पैदा हुए हैं, परन्तु इनका मानव-जीवन पर अपेक्षित व दीर्घकालिक प्रभाव नहीं पड़ा । दूसरी ओर जब हम बिना किसी पूर्वाग्रह के हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के जीवन और कार्यों पर नज़र डालते हैं, तो पाते हैं कि आपके अनुपम व्यक्तित्व के प्रभाव से इन्सान के व्यक्तिगत और सामूहिक कुसंस्कारों और कुप्रवृत्तियों का अंत हो गया । इन्सान की बिगड़ी प्रकृति का पूरी तरह सुधार हुआ और मानव-समाज में समग्र परिवर्तन हो गया । मस्जिद से बाज़ार, स्कूल से अदालत और घर से सार्वजनिक स्थल-सब जगह यह बदलाव दिखायी पड़ने लगा और इन्सान की चहुंमुखी उन्नति एवं नैतिकता व सद्गुणों पर आधारित जीवन की आधारशिला रखी गयी ।

भ्रूण हत्याओं पर रोक लगे

● विद्या प्रकाश

भ्रूण-हत्या, दहेज हत्या, सती-प्रथा, देवदासी प्रथा आदि विभिन्न स्वरूपों में नारी उत्पीड़न का सिलसिला शिक्षा के बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार के बावजूद जारी है। भ्रूण-हत्या के मध्यकालीन तरीक़ों का स्थान अब आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों तथा मेडिकल तकनीकों ने ले लिया है।

नारी उत्पीड़न के विभिन्न रूप में भ्रूण-हत्या कम ख़तरनाक और भयंकर नहीं है। पहले नवजात और अब अजन्मी बच्चियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। खुल्लम-खुल्ला अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड तकनीक के माध्यम से उनका लिंग-निर्धारण किया जा रहा है और थोड़े से पैसे के लिए मां के गर्भाशय में पल रहे बालिका-भ्रूण को जन्म लेने से पहले ही मारा जा रहा है। इस संबंध में उपलब्ध आंकड़े इतने ख़तरनाक और लोमहर्षक हैं कि उन्हें सुनकर किसी भी संवेदनशील व्यक्ति की अंतरात्मा और हृदय कांपे बग़ैर नहीं रहता। इस संबंध में सारे नियम-क़ानून छलावा मात्र बनकर रह गये हैं।

इस सिलसिले में एक आकलन के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष एक लाख से ज़्यादा महिलाएं गर्भ संबंधी कारणों से अकाल मौत का शिकार होती हैं। इनमें से ग्यारह प्रतिशत महिलाओं की मौत का कारण गर्भपात संबंधी जटिलताएं बताया जाता है। आज स्थिति यहां तक बन आयी है कि बालिका भ्रूण की हत्या ने भयावह सामाजिक एवं चिकित्सा संबंधी समस्या का रूप ले लिया है। इस संबंध में यह निश्चित तौर पर नहीं कहा और बताया जा सकता कि कितनी महिलाओं के गर्भपात होते हैं और कितनी महिलाएं स्वेच्छा से अथवा अन्य किसी पारिवारिक या सामाजिक विवशता के कारण गर्भपात का विकल्प चुनती हैं।

यह भी तयशुदा तौर पर दावा नहीं किया जा सकता कि ख़तरनाक क़िस्म के गर्भपात के दौरान कितनी महिलाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, मगर हमारे देश में विभिन्न स्थानों एवं भूभागों में सारे क्षेत्रीय, भाषाई और आर्थिक विषमताओं के बावजूद बालिका भ्रूण की हत्या के



कारण समान हैं और वे हैं–ख़ानदान को पुत्र की चाह, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण लड़की पैदा होने पर दहेज की समस्या आदि।

इस संबंध में सरकार को भी कोई चिन्ता नहीं है। किसे इतनी फ़िक्र और फ़ुरसत है, जो गर्भपात के आंकड़ों के गिरने या चढ़ने को लेकर नाहक़ अपनी नींद ख़राब करें। ऐसे में तथ्य संबंधी केवल अनुमान ही किये जा सकते हैं। इस बारे में जो आंकड़े और आकलन उपलब्ध हैं भी, वे बहुत अधिक विश्वसनीय तथा वस्तुनिष्ठ नहीं कहे-माने जा सकते।

एक अनुमान के अनुसार स्वदेश में 5 लाख से दो करोड़ वार्षिक गर्भपात कराया-किया जाता है तथा गर्भधारण की उम्र की प्रत्येक हज़ार महिलाओं में से 260 से लेकर 450 तक महिलाएं विभिन्न कारणों से अपना गर्भपात कराती हैं। फैमिली मेडिसिन इंडिया ने रामी छाबड़ा और नुना शील द्वारा वर्ष 1994 के एक अध्ययन और आकलन के आधार पर जानकारी दी है कि वर्ष 1992 में देश में कुल एक करोड़ 10 लाख गर्भपात हुए। यह बात कम आश्चर्यजनक नहीं है कि देश में गर्भपात को वैधानिक मान्यता मिले 20 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इनमें से केवल 6.6 प्रतिशत ही पंजीकृत गर्भपात (एम०टी०पी०) थे।

एक आकलन के अनुसार वर्ष 1991 से पंजीकृत गर्भपात की दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 1991 ई० में पंजीकृत संस्थानों में कुल 6 लाख 36 हज़ार 456 गर्भपात

हुए, जबकि वर्ष 1998-99 में यह संख्या 6 लाख 66 हज़ार 882 रही । ऐसा माना जाता है कि हर दर से बारह अवैध गर्भपात पर एक एम॰टी॰पी॰ होता है ।

विश्व बैंक की 1996 की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा आधुनिक स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क में हर साल 50 लाख गर्भपात अवैध ढंग से होते और कराए जाते हैं । आई॰सी॰एम॰आर॰ के वर्ष 1989 के एक अध्ययन के अनुसार उस समय देश में 40 लाख असुरक्षित गर्भपात हुए थे ।

देश में सुलभ गर्भपात की सुविधा उपलब्ध होने के कारण से बालिका भ्रूण के लिए जीवन असुरक्षित हो गया है । इन सबके पीछे परिवार में पुत्र-प्राप्ति की प्रेरणा इस हद (सीमा) तक काम करती है कि स्वभावत: धर्मभीरू और क़ानून का पालन करने वाली महिलाएं भी क़ानून तोड़कर और जीवन ख़तरे में डालकर गर्भपात के लिए रज़ामन्द हो जाया करती हैं । अस्सी के दशक के अन्त में देश में भ्रूण के लिंग निर्धारण की आधुनिक तकनीक लोकप्रिय होने लगी थी ।

इस संबंध में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पुत्र प्राप्ति की कामना में प्रतिवर्ष लगभग 40 लाख महिलाएं अपने जीवन का ख़तरा उठाकर अवैध गर्भपात कराने पर आमादा (तैयार) होती है । इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आई॰एम॰ए॰) के अनुसार यह संख्या 50 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है । अखिल भारतीय जनसंख्या प्रभाग के अनुसार प्रसव के पूर्व मौत के घाट उतारी जाने वाली बालिकाओं की संख्या चार से पांच करोड़ के बीच बताई गयी है । अगर सरकारी आंकड़ों पर विश्वास किया जाए, तो पूरे देश में कुल 107 बालिका भ्रूणों की ही हत्या हुई । कितने हास्यास्पद हैं ये सरकारी आंकड़े ?

सामान्यत: गर्भपात का निर्णय महिला का नहीं होता । विशेष रूप से दहेज की कुप्रथा, पारिवारिक और आर्थिक कारण उसे इस अपराध के लिए प्रेरित करते हैं । स्थिति तब और भी गंभीर तथा ख़तरनाक हो जाया करती है, जब अर्थाभाव तथा ग़रीबी की वजह से महिलाएं बालिका भ्रूण की हत्या के लिए झोलाछाप डॉक्टरों की सहायता लेती हैं, जो कभी-कभी जानलेवा सिद्ध होती है । बरसाती कुकुरमुत्तों की भांति विभिन्न नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित नर्सिंग होमों और जच्चा-बच्चा केन्द्रों (प्रसूतिगृहों) में भी यह काम चोरी-छिपे तौर पर अच्छी रक़म लेकर किया जाता है । इस प्रकार के घिनौनी कृत्य केवल क़ानून बनाने से नहीं रुक सकता । इसके लिए सामाजिक चेतना जागृत करने की आवश्यकता है । इसके लिए महिला संगठनों को भी आगे आना होगा । इसके अतिरिक्त सरकार की भी यह ज़िम्मेदारी है कि वह एम॰टी॰पी॰ एक्ट को कड़ाई से लागू करे, नर्सिंग होमों तथा अल्ट्रासाउंड मशीनों का पंजीकरण करे, वर्ष 1994 के पी॰एन॰डी॰टी॰ एक्ट का उल्लंघन करने वाले चिकित्सकों के विरुद्ध कठोर क़ानूनी कार्रवाई की जाए तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों और गर्भपात केन्द्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाए ।

व्यंग्य

चुनाव

चुनाव नज़दीक आ रहे हैं
सभी राजनेताओं के
नाख़ून बढ़ने लगे तेज़ी से
उनकी आंखों से ख़ून टपकने लगा
उनके दिल में शैतान बैठ गया
उनके हाथ-पैर विकराल हो गये
वे रक्तबीज की तरह बढ़ने लगे
उनके जबड़े शेर की तरह हो गये
पैरों के नाख़ून शेर के पंजे की
तरह और हाथों में शस्त्र आ गये
उनके दिमाग़ से मनुष्यता हट गयी
और दिलों में नरसंहार
की इच्छा जाग उठी ।
वे पूरी तरह राक्षस दिखायी
देने लगे
फिर वही हुआ जो चुनाव
पूर्व होता आया है
सामूहिक नरसंहार, आगज़नी
धार्मिक फ़साद
और चुनाव जीतते ही
वे पांच वर्ष के लिए
अंतर्ध्यान हो गये ।

देवेन्द्र कुमार मिश्रा
पाटनी कॉलोनी, भरतनगर,
चंदनगांव, छिंदवाड़ा

डॉन की हत्या

■ इक़बाल अंसारी

"भाई, आपटे बस्ती के दुर्गा मंदिर का पुजारी त्रिलोक चन्द चतुर्वेदी आया है... मिलने को बोलता है।" छोटी-छोटी आंखों और फूले-फूले गालों वाले रघु, ने अन्दर आकर कहा।

बड़े से कमे में क़ीमती फर्नीचर सजा था। दरवाज़ों पर रेशमी पर्दे लगे थे और फ़र्श पर उच्च कोटि का क़लीन बिछा था। कमरे में इस समय चार व्यक्ति बैठे थे। वह दाहिनी ओर बड़े दीवान पर बैठा था, जिसे रखु ने 'भाई' कहकर समंबोधित किया था। उसके शरीर पर मलमल का कुर्ता और सफ़ेद पजामा था। कुर्ते के भीतर से सफ़ेद सैन्डो बनियान झलक रही थी। सर पर सफ़ेद गोल टोपी थी, जिसके चारों ओर काले घुंघराले बाल दिखाई दे रहे थे। गौरे रंग के उस व्यक्ति के कंधे चौड़े थे और गर्दन मोटी थी। उसकी मज़बूत बांहों से उसके स्वास्थ्य और शक्ति का अन्दाज़ा होता था। उसकी चौड़ी मूछें काली और सुन्दर थी। उसके चौड़े ललाट पर एक निशान भी था।

इस व्यक्ति का नाम अफ़ज़ल ख़ान था और यह काले नाके से आपटे बस्ती तक के 6 वर्ग किलों मीटर क्षेत्र के अन्डर वर्ल्ड का बादशाह था...डॉन... भाई।

आपटे बस्ती के दुर्गा मंदिर का पुजारी...? अफ़ज़ल ख़ान ने कुछ सोचते हुए दुहराया और पूछा, "क्यों मिलना चाहता है ?"

"नहीं बताया, बोलता है अफ़ज़ल ख़ान से ही बात करने का, पुजारी है, इस करके मैंने कुछ लफड़ा नहीं किया। रघु गुस्से में था।

"अच्छा किया, जाओ उसे अन्दर लेकर आओ... और तमीज़ से लाना, इज़्ज़त से बात करना उसके साथ मज़हबी आदमी है, अफ़ज़ल ख़ान ने सख़्ती से कहा थोड़ी देर बाद 60-65 वर्ष का एक व्यक्ति कमरे में आया। वह दुबला-पतला होने के बावजूद दुब्ला नहीं लगता था, उसकी स्वास्थ्य अच्छा था और वह काफ़ी फुर्तीला था। उसने बादामी रंग का कुर्ता और सफ़ेद धोती पहनी हुई थी। उसके सर पर बाल कम थे और अभी पूरी तरह सफ़ेद नहीं हुए थे। उसने माथे पर तिलक लगा रखा था।"

"आइए पंडित जी," अफ़ज़ल ख़ान दीवान से उतर कर खड़ा हो गया। तशरीफ़ रखिए उसने एक सोफ़े की ओर इशारा किया। फिर वह कमरे में मौजूद एक व्यक्ति से बोला-"गोडबोले! जटाशंकर हलवाई के यहां से पंडित जी के लिए गर्म दूध लेकर आओ मलाई के साथ।"... "और हां गिलास एकदम साफ़ होना चाहिए।"

नहीं, अफ़जल ख़ान! पंडित जी ने हाथ उठाकर कहा, मेरा व्रत है, आधी रात से पहले कुछ नहीं लूंगा, कष्ट न करो। दो मिनट के लिए आया हूं, अकेले में कुछ बात करनी है। अफ़ज़ल ख़ान ने कमरे में मौजूद लोगों की ओर देखा और वे सभी तुरन्त ही बाहर चले गये।

पंडित जी सोफ़े पर बैठ चुके थे, अफ़ज़ल ख़ान भी उनके सामने वाले सोफ़े पर बैठ गया।

"देख कर अच्छा लगा कि तुम तमीज़ और तहज़ीब अब तक नहीं भूले हो," पंडित जी ने कहा।

अफ़ज़ल ख़ान ने कुछ कहना चाहा मगर पंडित जी हाथ उठाकर बोले "सुनो, मेरी बात सुनो! मैं छिपता-छिपाता यहां तक आया हूं, किसी को मेरे यहां आने की ख़बर नहीं, बस तुम्हारे ही इन लोगों ने मुझे देखा है। इन्हें भी मना कर देना कि ये मेरे आने की बात किसी से नहीं कहे, नहीं तो पुलिस वाले मुझे मार डालेंगे।

"पुलिस वाले आपको मार डालेंगे?"

अफ़ज़ल ख़ान ने हैरत और गुस्से में कहा, "मुझे उन पुलिसवालों के नाम बता दीजिए, मैं..." "बकवास मत करो, पंडित जी झिंझलाकर बोले, जो कह रहा हूं उसे सुनो।"

"परसों करीम टिर्की की हत्या हुई है, तुमने खुद उसे बीज सड़क पर गोली मारी है, मुहल्ले के बहुत से लोगों ने देखा है।"

करीम टिर्की गुंडा था और अब पुलिस की दलाली करने लगा था। वह पुलिस का इंफार्मर बन गया था। पुलिस ने उसे एरिया के डॉन अफ़ज़ल ख़ान के पीछे लगा दिया था। पुलिस अफ़ज़ल ख़ान हर नाजायज़ धंधा करता है, मगर पुलिस को हफ़्ता नहीं देता था।

पंडित जी कह रहे थे कि, "पुलिस को यक़ीन है कि करीम टिर्की की हत्या तुमने की है, लेकिन पुलिस को सबूत चाहिए, गवाही चाहिए, चश्मदीद गवाह । जब तक चश्मदीद गवाही नहीं होगी, तुम्हें गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता ।"

पुलिस इलाक़े के लोगों पर दबाव डाल रही है कि वे गवाही दें । नया ए॰सी॰पी॰ बहुत कड़क है । लोग कहते हैं कि वह अन्दर-अन्दर चूना सालवे का आदमी है । वह इलाक़े की जनता की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि यहां चूना सालवे की हुकूमत के लिए तुम्हें ख़त्म कर देना चाहता है । तुम नहीं रहोगे तो इस इलाक़े पर भी चूना सालवे का राज हो जाएगा । हमारे लिए तो कोई बात नहीं । हम पर आज भी एक डॉन का राज है, कल भी एक डॉन का राज होगा ।

"मैं तो तुम्हें यह बताने आया हूं कि ए॰सी॰पी॰ लोगों पर तुम्हारा नाम लेने के लिए दबाव डाल रहा है । अब तक तो कोई भी गवाही देने के लिए राज़ी नहीं हुआ है, लेकिन अब ए॰सी॰पी॰ ने आख़िरी हथियार उठा लिया है, जिसके आगे इलाक़े का हर व्यक्ति विवश हो जाएगा ।"

"और वह आख़िर हथियार क्या है, पंडित जी...?" अफ़ज़ल ख़ान ने, बड़े नार्मल स्वर में पूछा उसके चेहरे, आवाज़ या अन्दाज़ से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे थोड़ी भी घबराहट या परेशानी हो ।

"ए॰सी॰पी॰ ने कल दोपहर तक का समय इलाक़े के लोगों को दिया है, कि वे करीम टिर्की के हत्यारे का नाम लेलें, नहीं तो वह घरों से बहु-बेटियों को उठवा लेगा और लोगों के सामने पुलिस के जवान उनका बलात्कार करेंगे ।"

"इलाक़े के लोगों पर तुम्हारा आतंक तो बैठा हुआ है, इसलिए करीम टिर्की की हत्या के बारे में कोई तुम्हारा नाम नहीं ले रहा है, लेकिन अब ए॰सी॰पी॰ की धमकी के आगे, लोग हथियार डाल देंगे । हर घर में बहु-बुटियां हैं । कोई भी तुम्हारे हाथों मरना तो पसन्द करेगा, लेकिन अपनी बहु-बेटियों की इज़्ज़त लुटते नहीं देख सकेगा ।"

"ए॰सी॰पी॰ भोंसले के बारे में मशहूर है कि वह जो कहता है, वह कर दिखाता है, इसलिए मैं सबकी नज़रें बचाकर तुम्हें बताने आया हूं कि लोग तुम्हारा नाम बताने को मजबूर हो जाएंगे ।"

तुम खुद को हम लोगों की जगह पर रखकर देखो कि ऐसी स्थिति में तुम क्या करते लोगों की मजबूरी को समझना बस मुझे यही कहना था ।

"बहुत-बहुत शुक्रिया पंडित जी, अफ़ज़ल ख़ान ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा । वह अब भी एकदम नार्मल था । मैं इसे हमेशा याद रखूंखा कि आपने मुझे ख़तरे से सचेत किया ।"

सुनो अफ़ज़ल ख़ान, हम पर दोहरी मार पड़ रही है, एक तरफ़ तुम्हारी और दूसरी तरफ़ पुलिस की । पुलिस की मार ज़्यादा कष्टदायक है । उससे बचने के लिए लोग ज़ुबान खोलेंगे और उन्हें तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का प्रकोप झेलना पड़ेगा । मैं लोगों के लिए तुम से दया की भीख मांगने आया हूं । मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि डॉन होते हुए भी तुम धार्मिक हो और पुलिस का कोई धर्म नहीं होता ।

"पंडित जी आप महान है, अपने इलाक़े के लोगों के बचाव के लिए एक बुरे आदमी के पास आये हैं । तुम बुरे आदमी हो... चूना सालवे भी बुरा है । हर डॉन बुरा होता है, लेकिन हमारी पुलिस किसी भी डॉन से ज़्यादा बुरी है । इसलिए कि हर डॉन उसका पाला हुआ है ।"

"पंडित जी! अफ़ज़ल ख़ान ने बड़ी अपनाइयत से कहा—यह विश्वास लेकर जाइए कि आपके इलाक़े के लोगों पर कोई अत्याचार नहीं होगा । मैं आपसे वादा कर रहा हूं।"

पंडित जी ने भी उसे धन्यवाद देते हुए बड़ी अपनाइयत से कहा— सुनो तुम आज ही बल्कि अभी यहां से हट जाओ, कहीं अंडर ग्राउंड हो जाओ अपने सारे साथियों को भी अंडरग्राउंड कर दो... मैं देखता हूं, पंडित जी क्या कर सकात हूं वैसे आपकी राय बड़ी मुनासिब है । अफ़ज़ल ख़ान ने पंडित जी की बात काट कर कुछ सोचते हुए कहा ।

पंडित त्रिलोक चन्द चतुर्वेदी ने इधर-उधर देखा, फ़िर अपने आप से कहने लगे, बुरा अफ़ज़ल ख़ान भी है, बुरा चुना सालवे भी है, लेकिन हम से, पूरी आपटे बस्ती से कहा जाएगा कि अफ़ज़ल ख़ान और चूना सालवे में से एक को चुन ले तो सभी अफ़ज़ल ख़ान को चुनेंगे । पंडित जी, अब मैं चलूं, कहते हुए उठ गये । अफ़ज़ल ख़ान खुद पंडित जी के छोड़ने के लिए बाहर आया ।

पंडित जी चले गये । अफ़ज़ल ख़ान धीरे-धीरे कमरे में वापस आ गया । "चूना सालवे, उससे बुदबुदाते हुए कहा, तो यह सब चूना सालवे के लिए हो रहा है ।" फिर वह दीवान पर बैठ गया ।

अगले दिन सुबह के सभी स्थानीय अख़बारों में पहला शीर्षक था कि पिछली रात ए॰सी॰पी॰ भोंसले की उनके फ्लैट में गोली मारकर हत्या कर दी गयी ।

हृदय रोगों का उपचार

■ डॉ॰ आरती लालचंदानी

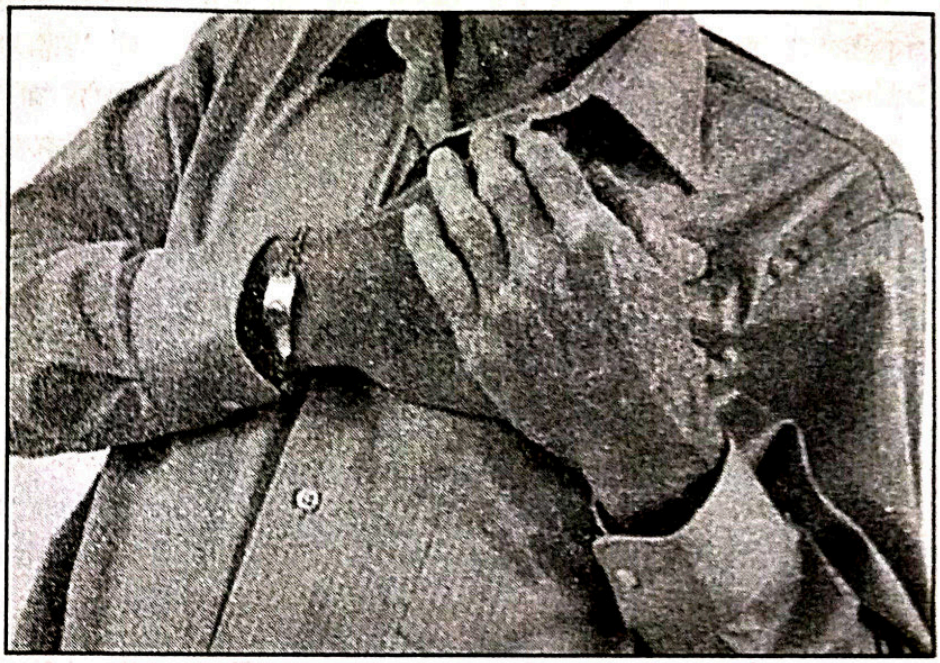

साइलेंट इस्कीमिया यानी बग़ैर लक्षण के जो हृदय रोग होता है वह बहुत कम मरीज़ों में होता है । उसका कारण अधिकतर डायबिटीज का मर्ज़ होता है । डायबिटीज के मरीज़ों में दर्द महसूस करने वाली नसें बेकार हो जाती हैं अत: गंभीर रोग होते हुए भी एंजाइना यानी सीने में दर्द प्राय: होता ही नहीं । ऐसे मरीज़ों में ब्लड शुगर-रक्त में शक्कर की मात्रा अत्यधिक होती है साथ ही अन्य बहुत से लक्षण डायबिटीज के होते हैं जो हृदय रोग के सूचक अवश्य पाये जाते हैं । वैसे भी डायबिटीज के मरीज़ों की नियमित हृदय की जांच अनिवार्य होती है । सभी डॉक्टर या फेमिली डॉक्टर भी इस तथ्य से भलीभांति परिचित होते हैं जो ई॰सी॰जी॰, इकोकार्डियोग्राफ़ी के मरीज़ों का करवा ही लेते हैं ।

जिन मरीज़ों में हृदय रोग का पारिवारिक इतिहास है उनकी भी हृदय की जांच 40 वर्ष की उम्र के बाद ज़रूरी है । क्योंकि लक्षण न होते हुए भी उनमें हृदय रोग की शुरुआत या साइलेंट इस्कीमिया हो सकता है । प्रारंभिक अवस्था में ही इस बीमारी का इलाज कराने से बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है । साथ ही हृदय की धमनियों को बन्द होने से बचाया जा सकता है ताकि मरीज़ की आयु हृदय रोग से घटने न पाये ।

जिन मरीज़ों का ब्लड प्रेशर ऊंचा रहता है उन्हें भी हृदय रोग की संभावना अधिक होती है । अत: उन्हें भी सतर्क रहना चाहिए । लक्षण का इन्तिज़ार नहीं करना चाहिए । फिर भी हृदय रोग एक ऐसी बीमारी है जिसमें अधिकतर कुछ न कुछ लक्षण होते हैं । हृदय रोग के लक्षण अधिकतर असहनीय होने के कारण मरीज़ अवश्य निदान व इलाज चाहता है । इसके साथ ही क़रीब 80 प्रतिशत हार्ट अटैक के मरीज़ों में घबराहट एक ऐसा लक्षण है जिससे डॉक्टर को भी यह अनुमान हो जाता है कि मामला गंभीर है । हार्ट अटैक होने से इतनी ज़्यादा घबराहट होती है कि मरीज़ को ऐसा एहसास होता है कि अब बचेंगे ही नहीं । मरीज़ अच्छी तरह पहचान लेता है कि यह हृदय का ही दर्द है । एक बार दिल का दौरा पड़ जाने पर क़रीब 15 मिनट के बाद बिल्कुल आराम हो जाता है । हृदय मांसपेशी की एक हिस्सा जब निर्जीव हो जाता है तब अधिकतर दर्द ग़ायब हो जाता है । यदि जटिलताएं न पैदा हों तो मरीज़ ठीक हो जाता है । उसे यदि फिर कोई तकलीफ़ नहीं है तो आमतौर पर उसे ऑपरेशन कराने की आवश्यकता ही नहीं ।

क्या है एंजियोग्राफी ?

हृदयरूपी पम्प मांसपेशी का बना होता है । इसका लगातार सुचारू रूप से कार्य करने के लिए रक्त आपूर्ति की आवश्यकता होती है । यह इसे तीन मुख्य धमनियों द्वारा मिलता है-एक बाईं ओर की, दूसरी दाहिनी ओर की व तीसरी बगल की (सरकमफ्लेस) कोरोनरी आर्टरी ।

एंजियोग्राफ़ी हृदय की धमनियों को देखने की तकनीक

का नाम है । इस जांच में जांच व पेट के जोड़ पर सुन्न करके धमनी में एक डाई (एक्स-रे में दिखने वाला पदार्थ) इंजेक्शन द्वारा डाला जाता है जो रक्त संचार से हृदय की धमनियों में चला जाता है, क्योंकि इसे कैथेटर द्वारा धमनियों के मुख तक डाल दिया जाता है । फिर एक्स-रे द्वारा इस डाई को देखा जाता है । ये डाई धमनियों को पूरी तरह दिखलाती है इससे पता चलता है कि कहां रुकावट, सिकुड़न, कमज़ोरी या घुमाव आदि है । जहां धमनी में रक्त संचार कोलेस्ट्रोल के कारण रुका होता है वहां डाई में भी रुकावट साफ़ नज़र आती है ।

यदि 2 या 2 से अधिक धमनियों में काफ़ी अधिक रुकावट है या सिकुड़न है साथ ही मरीज़ को तकलीफ़ भी है तो दवाओं के अलावा धमनियों में रक्त का बहाव पुनः स्थापित करने के लिए कोरोनरी एंजियोप्लास्टी या कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट आपरेशन करवाना पड़ता है ।

क्या होता है कोरोनरी एंजियोप्लास्टी

कोरोनरी एंजियोप्लास्टी वह तकनीक है जिससे बग़ैर ऑपरेशन अथवा चीर-फाड़ के केवल मोटी-मोटी सुइयों द्वारा महीन नलियां यानी कैथेटर हृदय के अन्दर धमनियों में घुसेड़ कर उनके सिर पर लगे गुब्बारे में बाहर से ही हवा भर कर फुला-फुलाकर धमनियों के अन्दर का रास्ता चौड़ा किया जाता है तथा अन्दर चिकनाई व कोलेस्ट्रोल के गोले को महीन टुकड़ों में तोड़ कर बहा दिया जाता है । यह तकनीक कोरोनरी एंजियोग्राफ़ी की तरह ही सरल होती है ।

इस तकनीक से ये परेशानी कभी-कभी हो सकती है कि खुली हुई धमनी फिर चिपक जाती है व 3 महीने के भीतर ही अक्सर फिर रुकावट हो जाती है । अतः आजकल स्टेंट यानी तम्बू लगा दिये जाते हैं ताकि ये खोली हुई धमनी चिपके न । ये स्टेंट या तम्बू भी कैथेटर के ज़रिये धमनी के अन्दर पहुंचाकर खोल दिया जाता है, जिससे ये खड़ा हो जाता है जो धमनी को पिचकने नहीं देता । ये एक से अधिक स्थान पर रुकावट होने से एक से अधिक मात्रा में यानी जगह-जगह लगाना पड़ सकता है ।

स्टेंट इम्पलांटेशन

यह बग़ैर आपरेशन ही हृदय की धमनियों को खोलकर उन्हें इसी अवस्था में खुला रखकर हृदय की मांसपेशी को सुरक्षित रखने का एक आसान तरीक़ा है । यह एक नयी आधुनिक तकनीक है ।

क्या है अथैरैक्टमी

यह भी हृदय की धमनी को खोलने का एक तरीक़ा है । इस तकनीक में एक लंबे कैथेटर पर हीरे का टुकड़ा चढ़ाकर उसे एक मोटर के सहारे 180 हज़ार आर॰पी॰एम॰ पर घुमाया जाता है । जिससे कोलेस्ट्रोल के गोले अति सूक्ष्म टुकड़ों में टूटकर ख़ून के प्रवाह के साथ बह जाते हैं हीरे की जगह इसकी नोक पर कोई धारदार कटर या चाकू भी लगाया जा सकता है । इसे आगे-पीछे, दाएं-बाएं करके धमनी के अन्दर फंसा (ऐथरोमा का गोला खोला जा सकता है । यह तकनीक लाभकारी न होने के कारण प्रचलित नहीं है ।

क्या होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ऑपरेशन

यह एक बड़ा आपरेशन होता है जिसमें सीने की हड्डियों को काट कर खोला जाता है फिर हृदय को खोलकर उसकी धमनियों में जहां-जहां रुकावट होती है उसे शरीर के अन्य स्थानों से धमनियों को लेकर जोड़कर बाईपास किया जाता है । ये धमनी पैर या सीने के ही अन्दर से निकाल कर लगायी जाती हैं । डायबिटीज के मरीज़ों में यह आपरेशन कम ही सफल हो पाता है, क्योंकि डायबिटीज में अधिकांश धमनियों में बीमारी होती है । हृदय रोग का नाम सुनकर घबराना नहीं चाहिए । इस बीमारी को नियंत्रण में रखने के लिए हृदय रोग विशेषज्ञ की सलाह से दवा लेते रहना चाहिए ।

UNITED ELECTRONIC SPARES

Deals :
Electronic Spare Parts,
TV, DVD, DTH & All Types of Remote,
CFL Glass & CFL Kit, USB Set, Fan,
Iron, Mixer, Mobile Accessories,
0-25 KVA To 10 KVA Stabiliser &
Inverter, CFL Inverter &
12 V 7.2AH Battery

Shop No-8, Hotel Ashoka Complex,
L.T. Road, Ramgarh Cantt, Jharkhand



डोपिंग : खेलों में एक कलंक

■ ए॰ एन॰ शिब्ली

एक ज़माना था जब किसी ने डोपिंग का नाम भी नहीं सुना था। अब एक ऐसा ज़माना आ गया है जब आये दिन ऐसी ख़बरें सुनने को मिलती हैं कि फ़लां देश के फ़लां खिलाड़ी को डोपिंग टेस्ट में फेल पाया गया। हालांकि डोपिंग के संबंध में सख़्त क़ानून मौजूद है। अगर कोई खिलाड़ी डोपिंग का दोषी पाया जाता है तो उसे न सिर्फ़ टीम से निकाला जाता है, टूर्नामेंट से बाहर किया जाता है, बल्कि आजीवन प्रतिबध का भी प्रावधान है इसके बावजूद डोपिंग के मामले सामने आते रहते हैं। दुनिया के कई देशों के खिलाड़ी तो डोपिंग की बुराई में लिप्त हैं ही भारत के भी बहुत खिलाड़ी इस बुराई में फंसे हैं।

अभी हाल ही में खेल मंत्री विजय गोयल ने संसद में बताया कि पिछले चार साल में 379 भारतीय खिलाड़ी डोप टेस्ट में नाकाम रहे हैं। गोयल ने लिखित जवाब में पिछले चार साल में राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी से मिली सूचना के अनुसार डोप टेस्ट में विफल रहे खिलाड़ियों की सूची दी। वर्ष 2013 में 95 खिलाड़ी पॉजीटिव पाये गये, जबकि 2014 में यह आंकड़ा 95 और 2015 में 120 रहा। इस साल अक्तूबर तक 68 खिलाड़ी डोप टेस्ट में विफल रहे।

गोयल ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा, "भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल विकास आचार संहिता 2011 बनाया जो तीन जनवरी 2011 से लागू है। सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों को इसके प्रावधानों पर अमल करना अनिवार्य है, जिसमें डोपिंग जैसे अनैतिक चलन से बचने के लिए सरकारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन शामिल है।" सवाल यह था कि क्या सरकार ने भविष्य में डोपिंग से बचने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण और खेल महासंघों को कोई दिशा-निर्देश दिये हैं।

संसद में दिये गये गोयल के आंकड़े से यह बात साबित है कि भारत में भी डोपिंग की बुराई ने ख़तरनाक रूप धारण कर लिया है।

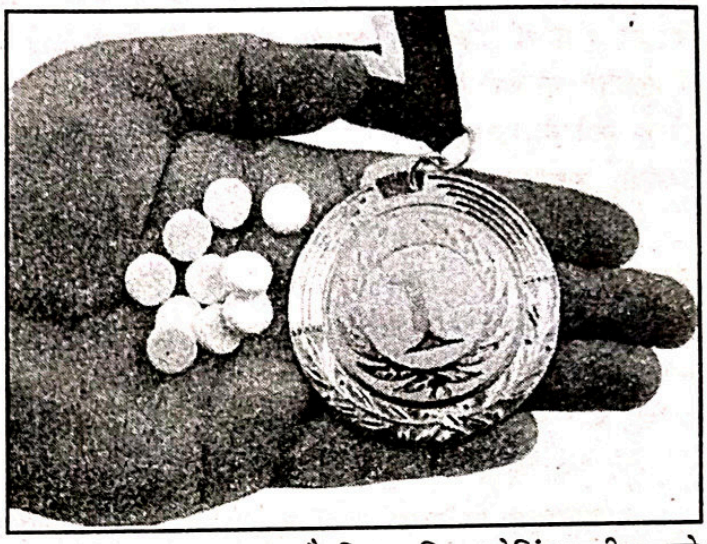

एक ख़ास प्रश्न यह है कि आख़िर डोपिंग सही मायने में है क्या ? डोपिंग का मतलब है कि खिलाड़ियों द्वारा उन पदार्थों का सेवन करना जो उनकी शारीरिक क्षमता बढ़ाने में मदद करें। इससे वह अपनी क्षमता से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। डोपिंग के अंतर्गत कई प्रकार के ड्रग्स को प्रतिबंधित किया गया है। इनमें सबसे सामान्य स्टिमुलैंट्स और हॉर्मोन्स हैं। इनका सेवन करने से व्यक्ति के शरीर में कई साइड इफेक्ट के भी ख़तरे होते हैं। इसलिए इन्हें खेल शासी निकायों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।

अब सवाल यह है कि इतनी सख़्ती के बावजूद खिलाड़ी डोपिंग करते क्यों हैं ? आख़िर वह ऐसी दवा क्यों ले लेते हैं, जिससे वह शक के दायरे में आ जाते हैं और उन्हें बेइज़्ज़त करके टीम से भी निकाला जाता है और खेलने पर पाबन्दी भी लगायी जाती है। डोपिंग का सबसे बड़ा कारण है खेलों में मिलने वाले पैसे और फिर सफल होने के बाद खेलों से मिलने वाली शोहरत।

दुनिया में ऐसी कई मिसालें हैं जब कोई खिलाड़ी एक समय में किसी हैसियत में नहीं था, मगर एक बड़े टूर्नामेंट में एक मैडल जीतने के बाद ही उसकी हैसियत भी बढ़ गयी, उसे इनाम में मिलने लगे, इज़्ज़त भी मिलने लगी और बहुत पढ़ा-लिखा नहीं होने के बावजूद एक अदद अच्छी-सी

नौकरी भी मिल गयी ।

आख़िर कौन नहीं चाहता कि देश में उसकी भी इज़्ज़त हो, उसे भी शोहरत मिले, उसे भी पैसे मिलें बस यही लालच खिलाड़ियों को कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर कर देती है, जिससे उन्हें लगता है, कि उनका प्रदर्शन दूसरे खिलाड़ियों से बेहतर हो जाएगा । एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में खिलाड़ी किसी भी हद तक चले जाते हैं । डोपिंग भी इसी वजह से होती है । खिलाड़ी कोई ऐसी दवा ले लेते हैं, जिससे उनमें कुछ अलग ही ताक़त आ जाती है और उनका प्रदर्शन नार्मल से बेहतर हो जाता है ।

पहले डोपिंग बहुत होती भी नहीं थी और खिलाड़ियों पर इसका शक भी नहीं होता था, मगर जब ऐसा नज़र आने लगा की फ़लां खिलाड़ी अचानक बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखा गया तो फिर आयोजकों को शक हुआ और यही कारण है कि अब हर बड़े आयोजन से पहले खिलाड़ियों का डोप टेस्ट होता है ।

इतिहास पर नज़र डालें तो डोपिंग का सबसे पहला मामला 1904 के ओलंपिक खेलों में सामने आया था । तब जांच में पता चला था की धावक थॉमस हिक ने दौड़ जीतने के लिए कच्चे अंडे, इंजेक्शन और ब्रांडी का इस्तेमाल शक्तिवर्धक के तौर पर किया था । अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स फेडरेशन ऐसी पहली संस्था थी जिसने 1928 में डोपिंग पर नियम बनाया और खिलाड़ियों पर प्रतिबंध भी लगाए । 1968 के ओलंपिक में पहली बार डोप टेस्ट किये गये । डोप टेस्ट होते रहे और खिलाड़ियों पर शक भी होता रहा मगर डोप को लेकर पहली बार हंगामा तब मचा जब 1988 में बेन जॉनसन को प्रतिबंधित दवा के सेवन का दोषी पाया गया ।

ओलंपिक जैसे बड़े आयोजन से पहले बहुत से खिलाड़ी डोपिंग टेस्ट में फेल होते हैं और उन्हें बेइज़्ज़त करके बाहर किया जाता है । कई बार ऐसा भी हुआ कि खिलाड़ियों ने मैडल तो हासिल कर लिया, मगर बाद में जब उसे डोप टेस्ट में फेल पाया गया तो उससे मैडल भी छीन लिया गया और आगे भी खेलने पर पाबन्दी लगा दी गयी ।

दुनिया के दूसरे देशों के खिलाड़ी तो डोपिंग में फंसते ही रहे हैं, अब अफ़सोस की बात यह है कि भारतीय खिलाड़ी भी इस बुराई में लिप्त हो रहे हैं । गोयल ने जो आंकड़े पेश किये हैं उस पर चिंता की ज़रूरत है । आख़िर इतनी सख़्ती के बावजूद क्यों भारत के खिलाड़ी भी इस बुराई में फंस रहे हैं । अभी हाल में डोप टेस्ट में ऐन मौक़े पर नाकाम रहने के कारण रियो ओलंपिक नहीं खेल सके हरियाणा के फर्राटा धावक धरमबीर सिंह पर राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी ने आठ साल का प्रतिबंध लगा दिया । 200 मीटर के धावक धरमबीर को बेंगलूरू में 11 जुलाई को इंडियन ग्रां प्री के दौरान डोप टेस्ट में पाजिटिव पाया गया था । दूसरी बार डोपिंग में पकड़े जाने के कारण नाडा की डोपिंग निरोधक अनुशासन समिति ने उन पर आठ साल का प्रतिबंध लगाया । इससे पहले 2012 में अनिवार्य डोप टेस्ट नहीं देने के कारण धरमवीर से राष्ट्रीय अंतर प्रांत चौंपियनशिप में जीता 100 मीटर का स्वर्ण पदक छीन लिया गया था ।

धरमवीर ने इंडियन ग्रां प्री में 200 मीटर में राष्ट्रीय रिकार्ड के साथ 20.45 सेकंड का समय निकाला था । इससे शक की सुई उन पर घूमने लगी थी, क्योंकि उनका प्रदर्शन पिछले कुछ अर्से से अच्छा नहीं था और उन्होंने राष्ट्रीय शिविर की बजाय रोहतक में अपने कोच के साथ अभ्यास किया था । भारत के अब तक कई खिलाड़ियों पर डोप का डंक लग चूका है । इन खिलाड़ियों में नर्सिंग यादव, इंदरजीत सिंह, अश्विनी कुंजी, प्रियंका पंवार, हरी कृष्णन, मनदीप कौर और सिनी जोस शामिल हैं । देखना यह है कि भारत आने वाले दिनों में डोपिंग के इस अभिशाप से कैसे निबटता है ।

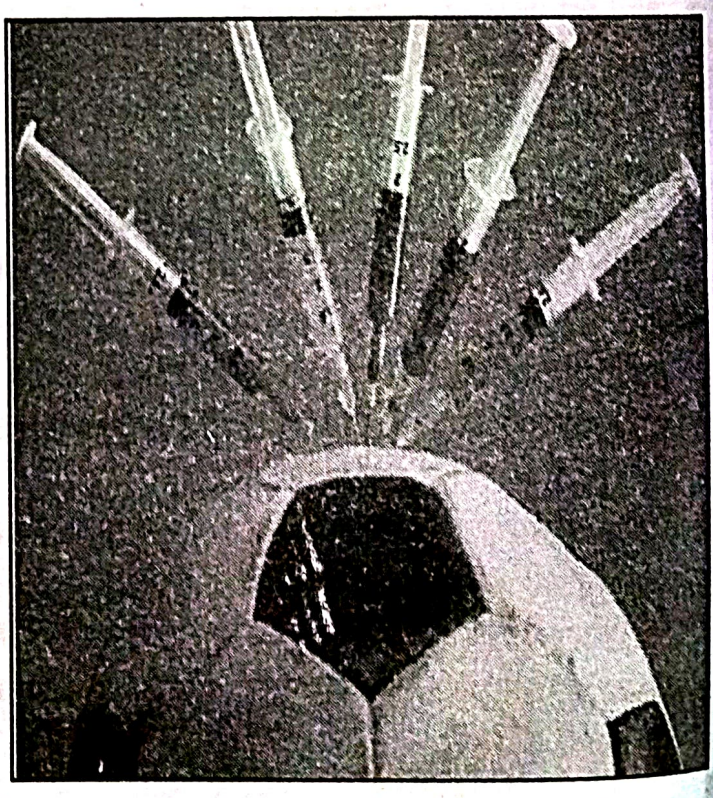

उर्दू पत्रकारों का स्वतंत्रता आन्दोलन में योगदान

● संपादन प्रभाग

उर्दू पत्रकारिता का 185 साल का इतिहास उर्दू के पत्रकारों की क़ुरबानियों से भरा हुआ है । इस अवधि में भारत के विभिन्न इलाक़ों से समाचार पत्र और पत्रिकाएं जारी हुईं, जिनका उद्देश्य व्यापार नहीं, बल्कि देश और क़ौम की ख़िदमत थी, विशेष रूप से 1857 ईसवी से 1947 ईसवी तक उर्दू के समाचार पत्रों का प्रकाशन स्वतंत्रता आन्दोलन से जुड़ा हुआ था । ''इंक़िलाब ज़िंदाबाद'' के नारों और ''सरफ़रोशी की तमन्ना'' ने उर्दू पत्रकारों के दिलों को गरमा रखा था और देश भक्ति की इसी भावना को उन्होंने भारत के आम लोगों में पैदा करने की कोशिश की, इनमें हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब सम्मिलित थे ।

उर्दू का पहला समाचार पत्र ''जामे जहांनुमा'' था, जिसके संपादक मुंशी सदासुख मिर्ज़ापुरी, मालिक हरिहर दत्त और प्रकाशक एक अंग्रेज़ विलियम होप किंग थे । इस समाचार पत्र में कभी व्यंग्य और कभी मज़ाक़ की शैली में अंग्रेज़ों के अत्याचारों को आलोचना का निशाना बनाया जाता था ।

यह साप्ताहिक समाचार पत्र 1822 ईसवी में प्रकाशित हुआ, इसके एक साल बाद 1823 ईसवी में अंग्रेज़ शासकों ने अध्यादेश जारी करके बंगाल में अख़बार निकालने के लिए लायसेंस प्राप्त करने की पाबंदी लगा दी । इसके ख़िलाफ़ ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय ने पहले सुप्रीम कोर्ट में और फिर इसके बाद ब्रिटिश सम्राट से अपील की । राजा साहब उस वक़्त फ़ारसी का साप्ताहिक ''मिरातुल अख़बार'' निकालते थे । यह अपील अस्वीकृति होने पर उन्होंने लाइसेंस लेने से इन्कार करके अपना अख़बार बंद कर दिया ।

उस वक़्त के हालात की सख़्ती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ''जामे जहांनुमा'' के बाद तेरह साल तक उर्दू का कोई समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ । दूसरा समाचार पत्र जिसका हमें ज़िक्र मिलता है वह ''देहली उर्दू अख़बार'' है । यह साप्ताहिक पत्र मौलाना मुहम्मद हुसैन के पिता मौलवी मुहम्मद बाक़र ने 1836 ईसवी में निकालना शुरू किया और 1857 ईसवी तक यह निरंतर प्रकाशित होता रहा । इसमें दिल्ली दरबार की ख़बरों के साथ-साथ वहां की कुव्यवस्था पर भी आलोचनाएं होती थीं ।

ऐसी ख़बरें और रिपोर्टें प्रकाशित की जाती थीं, जिनसे आम लोग अंग्रेज़ों के ज़ुल्मो-सितम और चालाकी व मक्कारी का अंदाज़ा कर सकें । दिल्ली पर अंग्रेज़ों के दोबारा क़ब्ज़े के बाद मौलाना मुहम्मद बाक़र को गिरफ़्तार करके बाग़ियों की मदद और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बग़ावत के आरोप में दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ उन्हें तोप से उड़ा दिया गया । मुहम्मद हुसैन आज़ाद के नाम भी गिरफ़्तारी का वारंट था, लेकिन वो अंग्रेज़ों के हाथ न आये । मौलवी मुहम्मद बाक़र उत्तरी भारत में उर्दू पत्रकारिता के संस्थापक, लीथो मुद्रण के आविष्कारक और आज़ाद पत्रकारिता के अमीन थे । उनके समकालीन ''सादिक़ अल-अख़बार'' के संपादक जमीलुद्दीन हिज्र पर भी बग़ावत का मुक़दमा चला और तीन साल की सज़ा सुनाकर उनकी जायदाद ज़ब्त कर ली गयी । इसी तरह कलकत्ता के अख़बार ''गुलशने नव बहार'' को प्रेस एक्ट की ख़िलाफ़वर्ज़ी करके, बग़ावती लेखों को प्रकाशित करने के आरोप में बंद कर दिया गया और अख़बार का प्रेस ज़ब्त हो गया । इस अख़बार के संपादक अब्दुल क़ादिर ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बर्ख़ास्तगी के ख़िलाफ़ खुलकर आवाज़ उठायी थी । अख़बार उर्दू और फ़ारसी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था ।

1859 ईसवी में मुंशी नवलकिशोर ने लखनऊ से ''अवध अख़बार'' जारी किया । इस अख़बार ने जंगे आज़ादी में सीधे तौर पर हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इसमें और आगरा से प्रकाशित मुकुन्दलाल के मासिक ''तारीख़े बग़ावत हिन्द'' में अंग्रेज़ अफ़सरों और उनके हमदर्द देसी कर्मचारियों पर अक्सर आलोचना होती थी और जंगे आज़ादी के सेनानियों के ख़िलाफ़ चलने वाले मुक़दमों की कार्रवाई भी प्रकाशित की जाती थी । अजमेर से मुंशी अयोध्या प्रसाद ने साप्ताहिक ''ख़ैरख़्वाह ख़ल्क़'' के नाम से और बंगलौर से मुहम्मद शरीफ़ ने ''मंशूरे मुहम्मदी'' के नाम से जो अख़बार निकाले, उनको भी स्वतंत्रता आन्दोलन की भरपूर हिमायत करने पर गुस्से का सामना करना पड़ा । इसी तरह मेरठ के अख़बार ''जल्व-ए-तूर'' के संपादक सैयद ज़हीरुद्दीन तूर को आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने पर तोप से उड़ा दिया गया । ''साइंटफ़िक सोसायटी'' अलीगढ़ के एडीटोरियल स्टाफ़ के सदस्य मौलाना मुहम्मद इस्माईल को एक लेख लिखने के अपराध में तीन साल अंडर ग्राउंड रहना पड़ा और अंत में उनकी जायदाद ज़ब्त करके नीलाम कर दी गयी । उर्दू के पत्रकारों की इस क़ुरबानी से अंदाज़ा होता है कि भारत में जागरूकता पैदा करने और ग़ुलामी के ख़िलाफ़ लोगों के दिलों में नफ़रत की आग भड़काने में उर्दू पत्रकारों की कितनी मुख्य भूमिका रही है ।

बीसवीं शताब्दी के आरंभ से पहले ही उर्दू में लगभग हर तरह के अख़बार और पत्रिकाएं निकलने लगी थीं और इनमें सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और व्यंग्यात्मक व हास्यस्पद हर तरह के अख़बार थे । इनका क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा था । ऐसा ही एक अख़बार ''अवध पुंज'' था, जिसके संपादक मुंशी सज्जाद हुसैन काकोरवी ने व्यंग्य व हास्य के परदे में अंग्रेज़ सरकार से ज़्यादा पश्चिमी सभ्यता व संस्कृति और अख़बारी कार्टूनों के ज़रिये अंग्रेज़ पदाधिकारियों को मज़ाक़ का निशाना बनाकर उनके दबदबे को कम करने की कोशिश की ।

उन्नीसवीं शताब्दी की उर्दू पत्रकारिता और पत्रकारों की यह परंपरा बीसवीं शताब्दी में भी क़ायम रही, बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा ताक़तवर हो गयी । मशहूर लेखकों, साहित्यकारों और शायरों ने पत्रकारिता को अपनाकर पत्रकारिता व साहित्य के रिश्ते को ही मज़बूत नहीं किया, बल्कि पत्रकारिता का स्तर भी बुलंद कर दिया । इन लोकप्रिय साहित्यकारों और शायरों में मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान और मौलाना मुहम्मद अली जौहर के नाम सूची में सबसे ऊपर हैं । मौलाना हसरत मोहानी की पत्रिका ''उर्दू-ए-मुअल्ला'' ज़फ़र अली ख़ान का दैनिक पत्र ''ज़मींदार'' और मौलाना आज़ाद का ''अल-हिलाल'' और मौलाना मुहम्मद अली जौहर का ''हमदर्द'' वास्तव में अख़बार नहीं बल्कि तहरीक थे, जिनकी वजह से पूरे देश में सामाजिक व राजनैतिक विवेक, जुल्म व ज़्यादती का मुक़ाबला करने का हौसला और भारतवासियों में मिल-जुलकर आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने की भावना पैदा हुई । इस दौर के दूसरे अख़बारों में बिजनौर से हामिद अल-अंसारी ग़ाज़ी के संपादन में शुरू होने वाले अख़बार ''मदीना'' को भी एक मुख्य स्थान प्राप्त हुआ ।

इसके बाद में बने संपादकों में लोकप्रिय पत्रकार अबू सईद बज़्मी का नाम भी आता है, जो भोपाल में पैदा हुए और पत्रकारिता की सेवा करते हुए स्वतंत्रता सेनानी की हैसियत से बार-बार विभिन्न मुक़दमों में गिरफ़्तार होकर क़ैद और दूसरी सज़ाओं को भुगतते रहे । ऐसे ही एक पत्रकार विष्णु सहाय आज़ाद थे, जिन्होंने अपने अख़बार ''आज़ाद'' के माध्यम से अत्यंत ही बहादुरी के साथ अंग्रेज़ों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की, कि उनके किसी ऐसे क़ानून की पाबंदी नहीं की जा सकती, जो बुनियादी हक़परस्ती और सच्चाई के ख़िलाफ़ हो ।

इनके अलावा महाशय कृष्ण के लाहौर से प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र ''प्रताप'' लाला लाजपत राय के 'वन्दे मातरम्' जमीअतुल उलमा हिन्द के ''अल-जमीअत'' कांग्रेस के ''क़ौमी आवाज़'' मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी के ''सच'' और ''सिद्क़े जदीद'' मौलाना अब्दुल मजीद सालिक और ग़ुलाम रसूल महर के ''इन्क़िलाब'' (लाहौर) सरदार दीवान सिंह मफ़तून के ''रियासत'' (दिल्ली) ख़ुशहाल चंद के ''मिलाप'' (लाहौर) वे समाचार-पत्र और उनमें काम करने वाले पत्रकार हैं, जिन्होंने सत्यवादिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का परचम बुलंद करते हुए हर तरह की क़ुरबानियों से कभी मुंह न मोड़ा । स्वतंत्रता आन्दोलन हो या असहयोग आन्दोलन या फिर भारत छोड़ो आन्दोलन इन सबमें उर्दू प्रेस और इसके पत्रकारों ने जितना बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, वह कभी भुलाया नहीं जा सकता है ।

ब्याज मुक्त अर्थव्यवस्था की ज़रूरत

■ एच॰ अब्दुर्रक़ीब

आज दुनिया एक आर्थिक और वित्तीय संकट से दो-चार है। 2007-2008 ईसवी में अमेरिका में हाशिये पर जीवन व्यतीत करने वाली ग़रीब जनता के मकानों के लिए क़र्ज़ और फिर उनके रहन-सहन पर अदायगी में अपर्याप्त जटिल प्रक्रियाओं ने बड़े-बड़े उद्योगपतियों और बैंकों को दिवालियापन के दहाने पर खड़ा कर दिया।

इस संकट ने एक तरफ़ आधुनिक अर्थव्यवस्था के नकारात्मक प्रभावों और हानिकारक परिणामों को दुनिया के सामने उभार कर पेश कर दिया है, तो दूसरी तरफ़ इसने पहली बार इस्लाम की आर्थिक व्यवस्था की तरफ़ पूरी दुनिया को गंभीरता के साथ ग़ौर करने और इस पर अमल करने का रुझान पैदा किया है, यहां तक कि वेटिकन के पोप ने पश्चिमी बैंकों को इस्लामी पूंजी निवेश के सिद्धांतों को वैश्विक आर्थिक संकट के हल के रूप में पेश किया और कहा, "जिन नैतिक सिद्धांतों पर इस्लामी पूंजी निवेश स्थापित है, वह बैंकों को ग्राहकों से क़रीब करेगी और जो सेवा वे करते हैं उसकी सही स्प्रिट की प्राप्ति भी संभव हो सकेगी।"

ख़ुद हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्यात प्राप्त कृषि वैज्ञानिक डॉ॰ स्वामी नाथन ने कहा कि इस्लामी बैंकिंग किसानों की आत्महत्या को रोक सकती है और विदर्भ के किसानों की आत्महत्या की समस्या को हल कर सकती है।

इस्लामी पूंजी निवेश में धन के केन्द्रीयकरण (Concentration of Wealth) में ब्याज से परहेज़ और सट्टाबाज़ारी के बजाय आर्थिक गतिविधियों पर ज़ोर दिया गया है। ब्याज, सट्टा और जुआ से बचने के अतिरिक्त अन्य वर्जित चीज़ों में पूंजी निवेश से दूर रहने का आदेश है—जैसे शराब, जुआ, हानिकारक हथियारों का व्यापार, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली दवाएं, परंपरागत बैंकिंग, बीमा की कंपनियों और विलासिता की वस्तुओं में पूंजी निवेश पर रोक है।

कृषि, वस्त्र, मकान, सड़क और पानी की सुलभता इत्यादि में पूंजी निवेश को प्राथमिकता दी जाती है। अब सूरतेहाल यह है कि इस्लामी निवेश और बैंकिंग न केवल मुस्लिम देशों में बल्कि आधुनिक सेकुलर और विकासशील देशों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग और स्विट्ज़रलैंड में परवान चढ़ रहा है और इन देशों में न केवल बैंकिंग के क़ानूनों में गुंजाइश और कहीं संशोधन व परिवर्तन किया गया है, बल्कि सिंगापुर में इस्लामी पूंजी निवेश के लिए टेक्स में 5 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है। इस तरह आज लंदन, पेरिस, सिंगापुर, हांगकांग इत्यादि भी इस्लामी निवेश और बैंकिंग के केन्द्र बन चुके हैं।

हालिया दिनों में इसकी शुरुआत उस वक़्त हुई, जब 2005 ईसवी में भारत सरकार ने रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया से इस्लामी बैंकिंग पर ग़ौर करके इनके किन घटकों को देश में प्रचलित किया जाए, पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को कहा। इस सिलसिले में उसने आनंद सिंहा के नेतृत्व में एक वर्किंग ग्रुप बना दिया। वास्तव में इस उच्च स्तरीय कमेटी ने देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग की उपलब्धता की सिफ़ारिश पहली बार की, लेकिन रिज़र्व बैंक ने आनंद सिंहा कमेटी के परिणाम को यह कहकर ब्याज मुक्त इस्लामी बैंकिंग को शामिल करने के लिए देश के बैंकिंग क़ानून में संशोधन करने की ज़रूरत पड़ेगी और यू॰पी॰ ए॰ सरकार यह कहती रही कि संसद में बहुमत के बिना ऐसा करना संभव नहीं है। देश के अनेक संगठनों और संस्थाओं ने सरकार पर ज़ोर दिया कि आनंद सिंहा की कमेटी में कोई इस्लामी निवेश का विशेषज्ञ शामिल नहीं था और इस कमेटी ने उन आधुनिक और सेकुलर देशों के क़ानूनों की समीक्षा नहीं की है, जहां उन्हीं परंपरागत बैंकिंग के साथ इस्लामी बैंकिंग भी शामिल है, जैसे ब्रिटेन, जापान, सिंगापुर इत्यादि। अंततः सरकार ने रिज़र्व बैंक से एक नयी कमेटी का गठन करके नये सिरे से इस मसले का जायज़ा लेने को कहा।

गत वर्ष अप्रैल के महीने में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की 80वें साल गिरह के अवसर पर देशवासियों के वित्तीय समावेशन का विशेष चर्चा करते हुए

कहा कि आर०बी०आई० को एक लघु समयावधि की रिपोर्ट तैयार करनी है, जो पांच साल के अन्दर देश की जनता की 90 प्रतिशत आबादी को वित्तीय समावेशन के दायरे में ले आये ।

प्रधानमंत्री के इस निर्देश पर जुलाई 2015 ईसवी में आर०बी०आई० के गवर्नर रघुराम राजन ने एक कमेटी बनायी, जिसका नाम (Committee on medium term path on financial inclusion) रखा गया और आर०बी०आई० के कार्यकारिणी निदेशक दीपक मोहंती को कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया ।

इस कमेटी के गठन के बाद कमेटी के चेयरमैन और सदस्यों ने देश भर के चयनित लोगों और संस्थाओं से वित्तीय समावेशन की पृष्ठभूमि में बातचीत की । ICIF को भी इस कमेटी के चेयरमैन से मुलाक़ात के लिए आमंत्रित किया गया और वहां ब्याज मुक्त पूंजीनिवेशऔर बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गयी ।

कमेटी की दरख़्वास्त पर लेखक ने संकलित और लिखित तौर पर विभिन्न सिफ़ारिशों पर आधारित मेमोरेंडम पेश किया, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों और हाशिये पर ज़िन्दगी गुज़ारने वाले वर्गों के वित्तीय समावेशन के लिए प्राथमिक तौर से मौजूदा बैंकों में ब्याज मुक्त खिड़कियां खोलने का मशविरा प्रारंभिक क़दम की हैसियत से पेश किया, जिसे कमेटी ने स्वीकार करके रिपोर्ट में नुमाया तौर पर पेश किया है । देश के इतिहास में देश के सबसे बड़े बैंकों के रेगूलेटर रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की किसी रिपोर्ट में जो विधिवत रूप से सरकारी तौर पर जारी की गयी हो और ब्याज मुक्त बैंकिंग के बारे में जो विवरण आया है, वह आने वाले समय के लिए ख़ुशख़बरी है, जिसका स्वागत किया जाता है ।

इस मुख्य कमेटी की रिपोर्ट जो पांच पृष्ठों पर आधारित लेख है, इसका शीर्षक है–Interest Free Banking-Reaching Out to Winder Base, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की वेबसाइट्स में यह पूरी रिपोर्ट मौजूद है । मालूम हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने इन सिफ़ारिशों को भारत सरकार के पास भेज दिया है और कहा है कि अब केवल एक अधिसूचना केन्द्र सरकार से आ जाए, तो रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया इस ब्याज मुक्त खिड़की को परंपरागत बैंकों में खोलने के लिए नियम-सिद्धांत तैयार करके अमल में लाने की कोशिश करेगा ।

डॉ० रघुराम राजन ने अपने पद से अलग होने से पहले रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की जो सालाना रिपोर्ट 2015-2016 प्रकाशित की है, उसमें भी ब्याज मुक्त खिड़कियों को परंपरागत बैंकों में खोलने की सिफ़ारिश कर दी है । अब चूंकि रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने क़ानून में संशोधन व परिवर्तन के बजाय केन्द्र सरकार और वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना के संचालन पर ब्याज मुक्त खिड़की खोलने की बात की है, अब हमारा काम यह है कि हम सरकार पर ज़ोर डालें कि वह जल्द से जल्द इस अधिसूचना को जारी करे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सऊदी अरब के दौरे के बाद इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से संबंधित संस्था ICD के तहत कई एक योजनाओं पर भारत सरकार और रिज़र्व बैंक ग़ौर कर रहा है, जिसमें से एक अहम ग़ैर-बैंक वित्तीय संस्थान की स्थापना भी है, जो केरला की चेयरमैन फाइनांस की तरह ब्याज मुक्त पूंजीनिवेश के ज़रिए छोटे कारोबारियों और मीडियम पैमाने पर व्यापार करने वाले SMES की ज़रूरत पूरी करेगी ।

हालिया दिनों में यह ख़बर आयी है कि महाराष्ट्र के एक बी०जे०पी० के मंत्री सुभाष देशमुख ने अपने लोक मंगल को कोआपरेटिव सोसायटी के ज़रिए कुछ लोगों को इस्लामी पूंजी निवेश के रूप में ब्याज मुक्त ऋण दिये हैं और यह अपील भी की है कि दूसरी सोसायटियां भी इस पर अमल करें ।

आज दुनिया के 75 देशों में इस्लामी और ब्याज मुक्त बैंकिंग और संबंधित पूंजी निवेश के इदारे काम कर रहे हैं । न केवल मुस्लिम देशों, बल्कि सेकुलर विकास शील और औद्योगिक लिहाज़ से नुमाया देशों जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, सिंगापुर और ब्राजील इत्यादि में ये सफलता- पूर्वक चल रहे हैं । मलेशिया के इस्लामी बैंकों में 40 खातादार चीनी मूल के बौद्ध मत को मानने वाले और दूसरे धर्मों को मानने वाले हैं और ब्रिटेन में 20 प्रतिशत ग़ैर-मुस्लिम इससे लाभ उठा रहे हैं ।

इस्लामी समुदाय में पूंजी और धन-दौलत के संबंध में वित्तीय साक्षरता की बहुत कमी है, जिसकी वजह से इस्लामी समुदाय में आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गयी है, जिसकी बहुत ज़रूरत है । इसके अलावा परंपरागत पूंजी निवेश और इस्लामी निवेश में क्या अंतर है, इसको अच्छे अंदाज़ में उजागर करने की ज़रूरत है ।

इस्लाम की आर्थिक शिक्षाएं

पुस्तक : कुरआन की आर्थिक शिक्षाएं
लेखक : फ़रहत हुसैन
मूल्य : 15.00 पृष्ठ : 36
प्रकाशक : एम॰एम॰आई॰ पब्लिशर्स, नयी दिल्ली-25

■ **मुहम्मद इलियास हुसैन**

इस्लाम का आर्थिक सिद्धांत जनकल्याण पर आधारित ब्याज-मुक्त आर्थिक व्यवस्था की परिकल्पना को व्यावहारिक रूप प्रदान करता है । लगभग पूरी दुनिया में पिछले 20-25 वर्षों में ब्याज-मुक्त अर्थव्यवस्था की परिकल्पना पर आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ विचार करने लगे हैं । अब अर्थशास्त्रियों का ध्यान उभरती इस्लामी अर्थव्यवस्था की ओर खींचने लगा है । अधिकांश इस्लामी देशों में ब्याज-मुक्त बैंकिंग व्यवस्था चल रही है । अपने देश भारत में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों में 'इस्लामिक विंडो' खोलने का सराहनीय प्रस्ताव दिया है, ताकि देश में इस्लामी शरीअत के मुताबिक़ ब्याज-मुक्त बैंकिंग की शुरुआत की जा सके । केंद्र और रिज़र्व बैंक दोनों ही लंबे समय से इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने की संभावना तलाश रहे हैं । इस संबंध में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा है ।

'कुरआन की आर्थिक शिक्षाएं' पुस्तक के विद्वान लेखक फ़रहत हुसैन ने अपनी किताब 'कुरआन की आर्थिक शिक्षाएं' में कुरआन की आर्थिक शिक्षाओं के विविध पक्षों को प्रस्तुत करके एक सराहनीय काम किया है । आज पूरी दुनिया के अधिकांश देश आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं । साम्यवाद जो कि आर्थिक हित और समृद्धि के ऊंचे दाव लेकर आया था, हारकर पूंजीवादियों के लिए मैदान छोड़ गया है । पूंजीवादी देश तेज़ी और मन्दी के व्यापार चक्रों के चक्रवात में फंसे हैं । पूंजीवाद अपने खूंख़ार पंजों से पूरी दुनिया को नोच-खसोट रहा है । उपभोक्ता संस्कृति, हथियारों की सौदागरी और वर्चस्वाद ने दुनिया भर में उथल-पुथल और अशान्ति बरपा कर रखा है । ऐसे में एक नयी व्यवस्था की ओर सभी की नज़रें लगी हुई हैं । वह नयी व्यवस्था है तेज़ी के साथ उभरती इस्लामी आर्थिक व्यवस्था और उसकी ब्याज-मुक्त बैंकिंग व्यवस्था ।

मुस्लिम अर्थशास्त्रियों ने बड़ी ही सशक्त और वैज्ञानिक शैली में पूर्ण विश्वास के साथ इस्लामी आर्थिक व्यस्था को एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पेश किया है और पूरी लगन से इस काम में लगे हुए हैं । पिछले बीस-पचीस सालों से पाश्चात्य अर्थशास्त्री भी ब्याज-मुक्त अर्थव्यवस्था और मुस्लिम अर्थशास्त्रियों के विचारों को महत्व देने लगे हैं । इस किताब में स्वामित्व, धन-सम्पत्ति, जीविकोपार्जन, उत्पादन के साधन, उपभोक्ता व्यवहार, लोक-वित्त, आर्थिक विकास, मानव-मूल्यों पर आधारित अर्थव्यवस्था और इस्लामी आर्थिक प्रणाली की विशेषताएं नौ अध्याय हैं ।

सम्पूर्ण जगत और उसमें मौजूद सारी चीज़ों का मालिक अल्लाह है । अल्लाह ने ज़मीन पर इन्सान की ज़रूरतों की पूर्ति व्यवस्था की और मानव को सभी प्रकार के संसाधनों के प्रयोग का अधिकार दिया । कुरआन में है–

"वही तो है, जिसने तुम्हारे लिए धरती की सारी चीज़ें पैदा की हैं ।" (2:29)

"तुम्हें ज़मीन में अधिकारों के साथ बसाया और तुम्हारे लिए यहां पर जीवन-सामग्री जुटाई ।" (7:10)

इन्सान को अल्लाह ने सम्पत्ति के उपयोग का संतुलित अधिकार दिया है–

"एक दूसरे के माल अनधिकृत तरीक़े से न खाओ । आपसी रज़ामन्दी से व्यापारिक लेन-देन होना चाहिए ।" (4:29)

मां की कोख में ही बेटी को मार देने वाले समाज ने बेटी को धन-सम्पत्ति के अधिकारों से वंचित रखा है । लेकिन इस्लाम ने आज से लगभग पन्द्रह सौ साल पहले ही बेटी को रिश्तेदारों की सम्पत्ति में अधिकार दे दिया था । इस्लाम में मां-बाप और नातेदारों की सम्पत्ति में औरत-मर्द दोनों का हिस्सा है–

"पुरुषों के लिए उस माल में हिस्सा है जो मां-बाप तथा नातेदारों ने छोड़ा हो और औरतों का भी उस माल में हिस्सा है जो मां-बाप तथा रिश्तेदारों ने छोड़ा हो ।" (4:7)

इस्लाम में व्यापार को अच्छा कहा गया है और ब्याज को वर्जित ठहराया गया है–"अल्लाह ने व्यापार को वैध और सूद को वर्जित ठहराया ।" (2:275)

इस्लाम ने औरतों को तलाक़ देने पर उन्हें मेहर देने का प्रावधान किया है । आज इस बात की मांग होने लगी है कि हिन्दू औरतों को भी मेहर देने का प्रावधान होना चाहिए–"औरतों को उनके मेहर खुशी-खुशी अदा करो ।" (4:4)

वंचितों और मजबूरों का भी धनिकों के धन में हक़ है । कुरआन में है–

"उनके माल में हक़ है मदद मांगने वाले का और वंचित रह जाने वाले का ।" (51:19)

"अल्लाह के नेक बन्दे वे हैं जो ख़र्च करने में न अति करते हैं और न कंजूसी, बल्कि इन दोनों के बीच संतुलन पर रहते हैं ।"

इस प्रकार हम देखते हैं कि लेखक ने तर्कसंगत ढंग से कुरआन की आर्थिक शिक्षा के प्राय: हर पहलू पर रोशनी डाली है ।

(पृष्ठ 17 का शेष)

वास्तव में मानव धर्म के सभी क्षेत्रों में वास्तविक प्रश्न सीमाओं ही का है और हर जगह मनुष्य ने उसी में ठोकर खायी है अर्थात हर बात की जो सीमा है उसके अन्दर नहीं रहना चाहता । दो अधिकार हैं और दोनों को अपनी-अपनी सीमाओं के भीतर रहना चाहिए । एक अधिकार उपदेशकरण और धर्म प्रचार का है और एक रुचि के अनुसार उसे ग्रहण एवं स्वीकार करने का है ।

हर मनुष्य को इसका अधिकार है कि वह जिस बात को ठीक समझता है उसे दूसरों को भी समझाए किंतु इसका अधिकार नहीं है कि दूसरों के अधिकार को अस्वीकार कर दे अर्थात यह बात झुठला दे कि जिस प्रकार उसे एक बात के मानने, न मानने का अधिकार है वैसा ही दूसरे को भी मानने, न मानने का अधिकार है और एक व्यक्ति दूसरे के लिए उत्तरदायी नहीं ।

हमने यहां जिस बात को अधिकार कहा है, कुरआन उसे प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य ठहराता है अर्थात वह कहता है कि जिस बात को तुम सच समझते हो तुम्हारा कर्तव्य है कि उसे दूसरों तक पहुंचाओ । यदि इसमें सुस्ती करोगे तो ईश्वर के समक्ष उत्तरदायी होंगे किंतु साथ ही याद रखो, कर्तव्य उपदेशकरण और धर्म प्रचार का है बलात् एवं शक्ति प्रयोग का नहीं है और उत्तरदायित्व इसका है कि तुमने धर्म संदेश पहुंचा दिया या नहीं ? इसका नहीं है कि दूसरों ने माना या नहीं ।

विचार करो, कुरआन ने कितनी सत्यता एवं न्याय के साथ विषय के दोनों पक्षों की रक्षा की है और फिर उसकी सीमाबंदी कर दी है । उसने एक ओर उपदेशकरण एवं धर्म प्रचार पर ज़ोर दिया ताकि सत्य की मांग और स्थापना की आत्मा शांत न हो, दूसरी ओर मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी सुरक्षित कर दी, ताकि शक्ति द्वारा बलात् एवं ग़लत हस्तक्षेप किया जा सके । सीमाकरण की यही वह सीमा है जो यहां वास्तविकता एवं न्याय की स्थिति को यथावत् शेष रखती है । उसे अपने स्थान से इधर-उधर कर दो तो दोनों में से कोई बात अवश्य अनुचित हो जाएगी । यदि धर्म प्रचार एवं उपदेश का पग सीमा से आगे बढ़ेगा तो विश्वास ग्रहण एवं अन्य सोच-विचार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता शेष न रहेगी । यदि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्राप्ति में अधिक बढ़ जाओगे और सत्य एवं न्याय प्राप्ति की सीमा पार कर जाओगे तो सत्य एवं न्याय की मांग और स्थापना की व्यवस्था खंडित हो जाएगी अर्थात सत्य और न्याय की मांग और स्थापना की व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाएगी ।

कुरआन की बहुत-सी बातों की तरह इस बात के समझने में भी दुनिया ने बड़ी देर लगायी और इतिहास को बारह शताब्दियों तक इस बात की प्रतीक्षा करनी पड़ी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का विश्वास भेद तथा मतों में अन्तर के कारण वध न करे और इतनी बात समझ ले कि उपदेशकरण और शक्ति प्रयोग में बहुत अन्तर है । अब डेढ़ सौ वर्ष से यह बात संसार की बौद्धिक मान्यताओं में स्वीकार समझी जाती है किंतु उसे पता नहीं कि उसकी घोषणा का इतिहास अमेरिका और फ्रांस के मानवाधिकार की घोषणा से आरंभ नहीं हुई है, इससे बारह सौ वर्ष पूर्व आरंभ हो चुकी थी । (तर्जुमानुल कुरआन, भाग-2, पृष्ठ 172-174)

इस विषय की इतनी विस्तृत और गंभीर विवेचना के बाद अब किसी को इस बात के मानने में संदेह बाक़ी नहीं रह सकता कि इस्लाम में ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने की इजाज़त मौजूद नहीं है ।

पब्लिक स्कूलों की उपादेयता

■ डॉ॰ विभा सिंह

हर मां-बाप की यही चिंता होती है कि उनका बच्चा बड़ा होकर 'कुछ' बने । कुछ बने मतलब कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आई॰ए॰एस॰, पी॰सी॰एस॰ वग़ैरह । परंतु अभी के बच्चे न डॉक्टर बन पाये हैं न वकील लेकिन इससे किसी की तमन्ना कम नहीं होती । इसके लिए मां-बाप अपने बच्चे की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देते हैं–एक तरफ़ मां-बाप की यह महत्वाकांक्षा तो दूसरी तरफ़ अंग्रेज़ी का बोलबाला, दोनों ने मिलकर पब्लिक स्कूलों को जन्म दिया ।

आज शहर हो या गांव हर जगह आपको पब्लिक स्कूल और नर्सरी स्कूल तथा निजी महाविद्यालय मिल जाएंगे । जहां पर भावी डॉक्टर, वकील और इंजीनियर का निर्माण हो रहा है । यह और बात है कि इसके बावजूद हमारे यहां की शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं है । इधर नयी शिक्षा नीति के तहत विद्यालयों और महाविद्यालयों के निजीकरण की बात उठ रही है । तब यह प्रश्न सहज ही उठना चाहिए कि पब्लिक स्कूल और कॉलेज समाज के किन लोगों का भला कर रहे हैं ? क्या इससे अमीर और ग़रीब सभी के बच्चे लाभ उठा रहे हैं ? उठा पाएंगे ?

आर्थिक रूप से समाज में तीन वर्ग पाये जाते हैं–एक उच्च वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग, तीसरा निम्न वर्ग । निम्न वर्ग के लोग मध्यम वर्ग में प्रवेश पाना चाहते हैं और मध्यम वर्ग से लोग उच्च वर्ग में । उच्च वर्ग के लिए अपने वर्ग में इन दोनों वर्गों को प्रवेश नहीं देना चाहते । इसलिए हमारे समाज में तीन तरह के पब्लिक स्कूल पाये जाते हैं ।

चूंकि एक आम धारणा है कि पब्लिक स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है इसलिए सभी अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में ही पढ़ाना चाहते हैं । लेकिन इसके लिए सभी के पास उतने पैसे नहीं होते । इसलिए पब्लिक स्कूल खोलने या चलाने वाले भी व्यक्ति की आय के आधार पर ही अपने स्कूल के स्तर का निर्माण करते हैं । जिन पब्लिक स्कूलों का स्तर ऊंचा है, जहां आधुनिक युग की सभी सुविधाएं



उपलब्ध हैं वहां उच्च वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं । यही लोग आगे चलकर समाज को उच्च पदों पर क़ाबिज होते हैं । जो पब्लिक स्कूल कम सुविधाएं और कम फ़ीस लेते हैं, उनके यहां मध्यमवर्गीय बच्चे पढ़ते हैं । एक वे पब्लिक स्कूल हैं जो केवल पब्लिक स्कूल के नाम पर लोगों का शोषण करते हैं इनके यहां न कोई सुविधा होती है न पढ़ाई परंतु फ़ीस सरकारी स्कूल से अधिक होती है । पढ़ाई सरकारी स्कूल के बराबर । इसी बात को हमारे समाज के लोग समझ नहीं पाते ।

पब्लिक स्कूलों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाले सत्येन्द्र कुमार से मैंने पूछा कि पब्लिक स्कूल और सरकारी स्कूलों में क्या अंतर है ? उत्तर में वे बताते हैं कि बहुत अंतर है । सरकारी स्कूल के अध्यापक बच्चों के प्रति कोई ज़िम्मेदारी नहीं महसूस करते । न ही वे पढ़ाते हैं । इसका कारण यह है कि उन्हें स्थायी नौकरी मिल जाती हैं जिसे खोने का भय उन्हें नहीं होता । सरकार को चाहिए कि जिन सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम घटिया आये वहां के

शिक्षकों को दंड दे । इससे वे ज़िम्मेदारी महसूस करेंगे । दूसरी बात सरकार की शिक्षा नीति भी बहुत ग़लत है । आज के युग में अंग्रेज़ी का बोलबाला है जबकि सरकारी स्कूलों में आठवीं कक्षा में अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है । बच्चा क्या सीखेगा ? अंग्रेज़ी को पहली कक्षा से ही पढ़ाना चाहिए ।

अंग्रेज़ी न होने की वजह से लोग पब्लिक स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना उचित समझते हैं । तीसरी बात आठवीं के बाद अंग्रेज़ी की अनिवार्यता को सरकारी स्कूलों में समाप्त कर दिया जाता है । जिससे बहुत सारे छात्र-छात्राएं नवीं से अंग्रेज़ी छोड़ देते हैं । अंग्रेज़ी छोड़ते ही उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है । किसी हद तक सत्येंद्र की बात सही भी है । परंतु इस बात से यह भी सहमत है कि पब्लिक स्कूलों में भी समाज की तरह तीन स्तर होते हैं । बेहतर तो उच्च वर्ग वालों के स्कूल ही होते हैं । बाक़ी के तो सरकारी स्कूलों से भी बदतर है । इन स्कूलों में प्रधानाध्यापक के अलावा सभी अध्यापक कम पढ़े-लिखे होते हैं और इनके यहां कोई सुविधा भी नहीं होती ।

पब्लिक स्कूल में अपने दो बच्चों को पढ़ाने वाली सुश्री मीना अपने बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हैं । उनसे जब पूछा गया कि ट्यूशन की क्या ज़रूरत है आपके बच्चे तो पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं । इस पर वह कहती हैं तो क्या हुआ ? पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं 'यह तो केवल दिल की तसल्ली के लिए है बाक़ी पढ़ाई उनमें भी सरकारी स्कूलों जैसी ही होती है । उन्हीं के पास खड़ी श्रीमती शीला कहती हैं कि दूसरे पब्लिक स्कूल में जाने से कम से कम बच्चे उन गंदे बच्चों से दूर तो रहते हैं जिससे वे उनके बुरे संस्कारों से बच जाते हैं । श्रीमती राधिका जी का कहना है कि मेरी गली में सभी के बच्चे पब्लिक स्कूल में भेज दूं । ऐसे ही कई लोगों से पूछने के बाद हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी पब्लिक स्कूलों में उतनी ही पढ़ाई नहीं होती है जितना कि लोग सोचते हैं ।

यदि हम मान लें कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, वहां पब्लिक स्कूलों जैसी सुविधाएं नहीं होतीं तब भी एक अच्छा भारतीय नागरिक होने के कारण क्या हम लोगों के कुछ कर्तव्य नहीं बनते कि हम देश के सभी नागरिकों को शिक्षित बनाएं ? सवाल यह उठता है कि सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ाई क्यों नहीं होती ? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों में समाज के सभी वर्गों के बच्चे नहीं पढ़ते । यदि समाज के सभी वर्गों के बच्चे एक साथ पढ़ें तो सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई होगी । हां जैसे पब्लिक स्कूलों में पढ़ाने वाले अपने बच्चों के ऊपर जितना ख़र्च करते हैं जितनी फ़ीस देते हैं, जितना 'डोनेशन' देते हैं । उतना ही सरकारी स्कूलों में भी दें ।

कहने का तात्पर्य यह है कि समाज को जो उच्च और मध्यम तबक़ा है वह सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों में सबसे अधिक फ़ीस दें । निम्न वर्ग को नि:शुल्क शिक्षा दी जाए । इससे सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों में पूंजी की कमी नहीं आएगी और सबको एक-जैसी शिक्षा भी मिल पाएगी । परंतु हमारे समाज का उच्च तबक़ा और मध्यम वर्ग सरकार से तो मनचाही सुविधाएं लेते हैं परंतु जब देने की बात आती है तो मुकर जाते हैं ।

यह कौन नहीं जानता कि सरकारी अस्पतालों में निम्न वर्ग के लोग देखते रहते हैं और उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग अपने-अपने 'स्रोत' से पूरी सुविधा उठाते हैं । परंतु दुर्भाग्य ही है कि इस पर इस तरह कोई न तो सोचता है न ही तैयार होता है । इसलिए हम शिक्षा में पीछे हैं और कब तक रहेंगे कहा नहीं जा सकता । रही बात पब्लिक विद्यालयों और महाविद्यालयों की तो उन्हें खुलने से रोका भी नहीं जा सकता । जब तक कि हमारी मानसिकता नहीं बदलती और हमारे समाज से 'वर्ग' ग़ायब नहीं हो जाता । यदि समाज में आर्थिक रूप से वर्ग रहेंगे तो पब्लिक विद्यालय भी रहेंगे ।

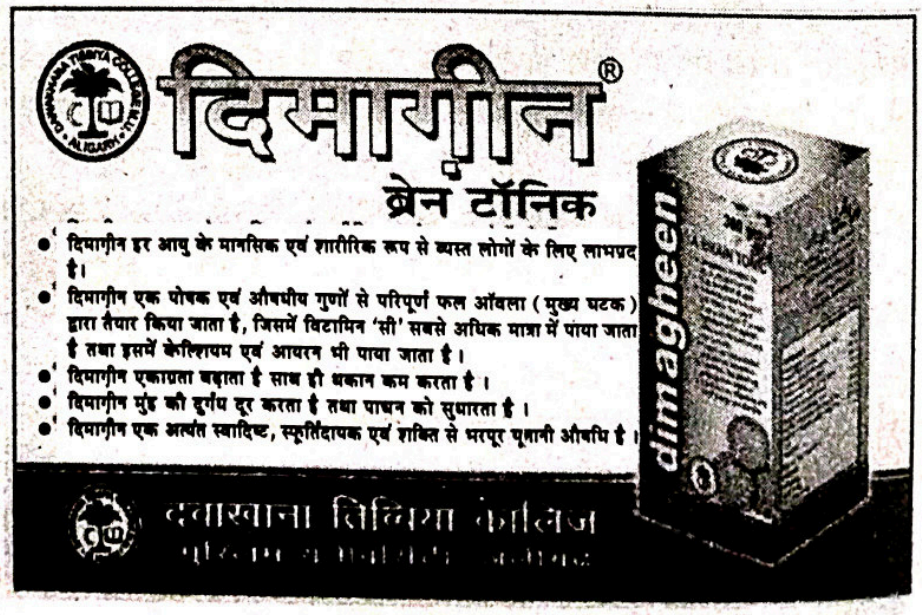

आधी-अधूरी खाद्य सुरक्षा

■ ज़ाहिद ख़ान

तत्कालीन यू॰पी॰ए॰ सरकार जब साल 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक लेकर आयी, तो यह उम्मीद बंधी थी कि इस विधेयक के अमल में आ-जाने के बाद देश की 63.5 फ़ीसद आबादी को क़ानूनी तौर पर तय सस्ती दर से अनाज का हक़ हासिल हो जाएगा। अफ़सोस, इस क़ानून को बने तीन साल से ज़्यादा हो गये, मगर यह आज भी पूरे देश में अमल में नहीं आ पाया है। नौ राज्यों के नागरिक भोजन अधिकार क़ानून से वंचित हैं। केंद्र सरकार द्वारा बार-बार चेताए जाने के बावजूद गुजरात समेत कुछ राज्यों की सरकारों ने अपने यहां इस महत्वपूर्ण क़ानून को लागू करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखायी है। यही वजह है कि अब सर्वोच्च न्यायालय को खुद आगे आना पड़ा है।

क़ानून को लागू करने में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताते हुए सख़्त लफ़्ज़ों में कहा है कि क्या गुजरात भारत का हिस्सा नहीं है ? क्या संसद का बनाया क़ानून गुजरात पर लागू नहीं होता ? सूखाग्रस्त राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून, मनरेगा, मधयाह्न भोजन जैसी ग़रीब हितैषी योजनाओं पर अमल में ढिलाई से ख़फ़ा न्यायमूर्ति मदन बी॰ लोकुर और न्यायमूर्ति आर॰के॰ अग्रवाल के खंडपीठ ने सवाल उठाया कि क्या कोई राज्य सरकार इस तरह संसद से पारित क़ानून को लागू करने से इन्कार कर सकती है ? ज़ाहिर है, अदालत के सभी सवाल और चिंताएं वाजिब हैं। इन राज्यों में वंचित तबक़ों को कुपोषण और भुखमरी से निजात दिलाने के लिए इस क़ानून का अमल में आना बेहद ज़रूरी है।

यह कोई पहली बार नहीं है जब सर्वोच्च न्यायालय ने समाज कल्याण से संबंधित मनरेगा, खाद्य सुरक्षा क़ानून और मध्याह्न भोजन योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में केंद्र सरकार से जवाब तलब किया हो। इससे पहले भी, पिछले महीने की अठारह तारीख़ को केंद्र से अदालत ने जानना चाहा था कि जिन राज्यों में यह क़ानून लागू नहीं हुआ है, क्या वहां प्रभावितों को न्यूनतम आवश्यक रोज़गार और आहार मुहैया उपलब्ध कराया जा रहा है ? ज़ाहिर है, अदालत के बार-बार आगाह किये जाने के बाद भी जब सरकार नहीं जागी, तब जाकर अदालत को सख़्त रुख़ इख़्तियार करना पड़ा। ख़ासतौर पर अदालत, गुजरात सरकार के रवैये से ज़्यादा ख़फ़ा थी। अदालत का कहना था कि 'खाद्य सुरक्षा क़ानून, पूरे भारत के लिए है और गुजरात है कि इसका कार्यान्वयन नहीं कर रहा है। कल कोई कह सकता है कि वह आपराधिक दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता और साक्ष्य अधिनियम को लागू नहीं करेगा।'

सर्वोच्च न्यायालय एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, ओड़िशा, झारखंड, बिहार, हरियाणा और चंडीगढ़ सूखा प्रभावित हैं, लेकिन इनमें से आधे राज्यों मसलन बिहार, गुजरात और हरियाणा ने अपने आपको सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया है।

वहीं उत्तर प्रदेश ने अपने कुछ इलाक़ों को ही सूखाग्रस्त घोषित किया है। इन राज्यों में सक्षम प्राधिकारी समुचित राहत उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। 'स्वराज अभियान' की ओर से दाख़िल इस याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से पूरे देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून लागू कराने की मांग की गयी है।

याचिका में इसके अलावा सरकार से और भी कई मांगें हैं। मसलन, सूखा प्रभावित किसानों को फ़सल के नुक़सान की स्थिति में समय पर और समुचित मुआवज़ा दिया जाए। बहरहाल, याचिका की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार से तो जवाब तलब किया ही, हरियाणा सरकार से भी पूछा कि उसने अपने प्रदेश को अभी तक सूखाग्रस्त राज्य क्यों घोषित नहीं किया ? वहीं उत्तर प्रदेश सरकार से अदालत का सवाल था कि आख़िर बुंदेलखंड को अब तक सूखा प्रभावित घोषित क्यों नहीं

किया गया है ?

कई राज्यों में इस साल भयंकर सूखा पड़ा है । सूखा प्रभावित राज्यों में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, ओड़िशा, झारखंड, बिहार, हरियाणा और छत्तीसगढ़ शामिल हैं । इन राज्यों में ग्रामीण ग़रीबों के लिए उपलब्ध कृषि संबंधी रोज़गार में सूखे की वजह से बेहद कमी आयी है ।

इन लोगों को एक तरफ़ मनरेगा में काम नहीं मिल पा रहा है, तो दूसरी तरफ़ भोजन अधिकार क़ानून लागू न होने के कारण वे सस्ते अनाज से भी वंचित हैं । ऐसे विषम हालात में अपने दायित्वों के निर्वाह में केंद्र और राज्य सरकारें, दोनों ही नाकाम रही हैं ।

हमारे संविधान का अनुच्छेद-21 देश के हर नागरिक को जीने के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है । अलबत्ता इसे कभी ठीक से परिभाषित नहीं किया गया । सर्वोच्च न्यायालय और कई बार कुछ उच्च न्यायालयों ने भी अनुच्छेद-21 का हवाला देते हुए कुपोषण या भुखमरी के मामलों में सरकारों से जवाब तलब किये हैं । वहीं अनुच्छेद-14 के तहत नागरिकों को क़ानून के समक्ष समानता की गारंटी हासिल है । यह अनुच्छेद देश की सीमाओं के अंदर सभी व्यक्तियों को क़ानून का समान संरक्षण प्रदान करता है ।

खाद्य सुरक्षा क़ानून संसद ने सर्वसम्मति से पारित किया था और तत्कालीन केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस क़ानून को अपने यहां लागू करने के लिए पूरा एक साल का समय दिया था । वह भी इसलिए कि क़ानून का फ़ायदा किसको मिले और किसको नहीं, यानी लाभार्थियों की बाबत आख़िरी फ़ैसला राज्य सरकार को ही करना था । क़ानून को बने तीन साल से ज़्यादा हो गये, लेकिन आज भी कई राज्य सरकारें अपने यहां इस क़ानून को लागू करने में संजीदा नहीं हैं । केंद्र सरकार, क्रियान्वयन की समय-सीमा तीन बार बढ़ा चुकी है । आख़िरी समय-सीमा तीस सितंबर, 2015 तय की गयी थी ।

कुछ राज्य सरकारें अब भी अपने यहां इस क़ानून को लागू करने के लिए और समय मांग रही हैं । बार-बार समय-सीमा बढ़ाए जाने के बाद भी जब राज्य सरकारें नहीं जागीं, तो पिछले दिनों केंद्र सरकार ने इन राज्यों को सख़्त लहजे में चेतावनी देते हुए यहां तक कह दिया था कि 'अब इस मामले में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को कोई रियायत नहीं मिलेगी । जो राज्य अपने यहां इस क़ानून को लागू करने में नाकाम रहे हैं, उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केंद्र द्वारा दिया जाने वाला ए॰पी॰एल॰ और बी॰पी॰एल॰ परिवारों के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन रोक दिया जाएगा । उन्हें इस मद में केंद्र की ओर से कोई खाद्यान्न या रक़म नहीं मिलेगी ।' सरकार का यह फ़ैसला सही भी है । जब तक सरकार इस दिशा में कोई सख़्त क़दम नहीं उठाएगी, तब तक राज्य सरकारें इस क़ानून को यूं ही लटकाए रखेंगी, जिसका ख़ामियाजा इन राज्यों की ग़रीब जनता को भुगतना पड़ेगा ।

भोजन अधिकार क़ानून देश के सभी राज्यों में इसलिए और ज़रूरी है कि इस क़ानून का दायरा काफ़ी विस्तृत है । क़ानून में बेसहारा और बेघर लोगों, भुखमरी और आपदा प्रभावित व्यक्तियों जैसे विशेष समूह के लोगों के लिए भी अनाज उपलब्ध कराने का प्रावधान है । यही नहीं, क़ानून में गर्भवती महिलाओं और दुग्धपान कराने वाली माताओं के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था की गयी है । पौष्टिक आहार का अधिकार मिलने के अलावा उन्हें छह महीने तक एक हज़ार रुपये प्रतिमाह की दर से नक़द-लाभ भी दिया जाता है ।

इसके अलावा आठवीं कक्षा तक के बच्चों को स्कूल में मुफ़्त भोजन मिलने की सुविधा है । क़ानून की एक अहम बात और, हर शख़्स को उसके हक़ के मुताबिक़ सस्ता अनाज मुहैया न होने की सूरत में राज्य सरकार को उसे खाद्य सुरक्षा भत्ता देना होगा । यानी वंचित लाभार्थी सरकार से खाद्य-भत्ता पाने के हक़दार होंगे ।

ज़ाहिर है, भोजन अधिकार क़ानून के इन्हीं सब अनिवार्य प्रावधानों को देखते हुए, राज्य सरकारें इस क़ानून को लागू करने से कतरा रही हैं । उन्हें मालूम है कि यह क़ानून एक बार उन्होंने अपने राज्य में लागू कर दिया, तो जनता के प्रति उनकी जवाबदेही पहले की बनिस्बत और बढ़ जाएगी । इन प्रदेशों में जो लोग खाद्यान्न से वंचित हैं, उन सभी को अनाज या पौष्ठिक आहार देना होगा । क़ानून के अमल में आ जाने के बाद अपनी ज़िम्मेदारियों से मुंह चुराना संभव नहीं हो पाएगा । यही वजह है कि जानते हुए भी वे अपने राज्यों में इस क़ानून को लटकाए हुए हैं ।

अपने देश को जानिए

हर देश की पहचान कुछ विशेष चिन्हों से होती है । देश का नक़्शा या मानचित्र हमें देश की भौगोलिक स्थिति की सूचना देता है । राष्ट्र ध्वज सभी महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों, राष्ट्रीय पर्वों और अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर देश की निशानी के रूप में प्रयोग किया जाता है । राष्ट्र चिन्ह का उपयोग मुद्रा और सरकारी मुहरों पर होता है । राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत सभी राष्ट्रीय पर्वों पर, अन्तर्राष्ट्रीय अवसरों पर, पुलिस, सेना व सेना से संबंधित अन्य विभागों के विशेष अवसरों पर, तथा स्कूलों में गाया जाता है । राष्ट्रीय पशु, पक्षी, वृक्ष, फूल और फल हमें अपने देश की विशेषताओं से परिचित कराते हैं ।

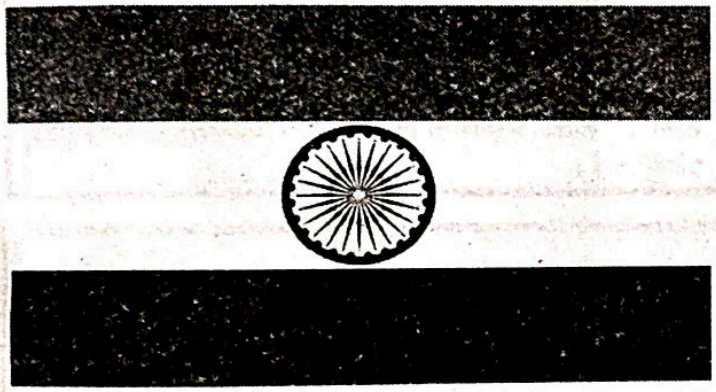

हमारा राष्ट्रीय ध्वज खादी की अलग-अलग रंगों वाली तीन पट्टियों से बना है । सबसे ऊपर केसरी रंग, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा रंग है । केसरी रंग राष्ट्र की शक्ति का प्रतीक है । यह हमें साहस, त्याग और बलिदान की याद दिलाता है । बीच में सफ़ेद रंग चक्र के साथ शांति, सत्य और पवित्रता का सूचक है । हरा रंग दृढ विश्वास और अपने देश की उपजाऊ मिट्टी की याद दिलाता है । सफ़ेद रंग के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र न्याय और गति का प्रतीक है । चक्र की 24 तीलियां हैं जो दिन और रात के चौबीस घंटों की प्रतीक हैं । अपने राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निश्चित है । चौड़ाई और लंबाई दो व तीन के अनुपात में होती है । बीच के सफ़ेद रंग के हिस्से पर गहरे नीले रंग का चक्र, सफ़ेद रंग के चौड़ाई के अनुपात में होता है । हमारे देश का राष्ट्रीय गीत जन-गण-मन रवींद्रनाथ टेगोर ने लिखा है ।

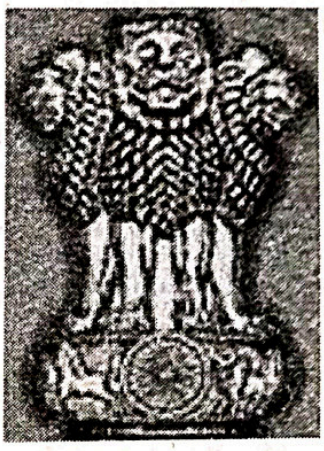

उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास सारनाथ की प्रसिद्ध सिंह लाट की प्रतिकृति अपने देश का राष्ट्रीय चिन्ह है । सारनाथ की यह सिंह लाट सम्राट अशोक ने 300 ई॰पू॰ में बनवाई थी । यह वही जगह है जहां गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला धर्म उपदेश दिया था और शांति तथा विश्व के उद्धार के लिये चार आदर्श सत्यों का मार्ग दिखाया था । चारों दिशाओं की ओर मुंह किये हुए ये चार सिंह (एक पीछे अदृश्य) एक गोल शीर्ष फलक पर है । शीर्ष फलक के चारों ओर चारों दिशाओं के रक्षक पशु उत्कीर्ण हैं । उत्तर दिशा की ओर शेर, दक्षिण दिशा की ओर घोड़ा, पूर्व दिशा की ओर हाथी और पश्चिम दिशा की ओर सांड या बैल है । शीर्ष फलक एक संपूर्ण खिले हुए कमल के फूल पर आधारित है । राष्ट्र चिन्ह के नीचे देवनागरी लिपी में सत्यमेव जयते लिखा है जिसका अर्थ है कि केवल सत्य की ही विजय होती है ।

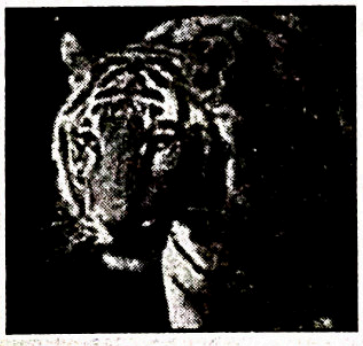

पीले रंग का काली धारियों वाला यह बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है । यह अपनी शक्ति और आकर्षक बनावट के लिये लोकप्रिय है । यह एक दुर्लभ पशु है इसलिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टायगर के नाम अन्तर्गत बाघ संरक्षण का एक कार्यकम शुरू किया है ।

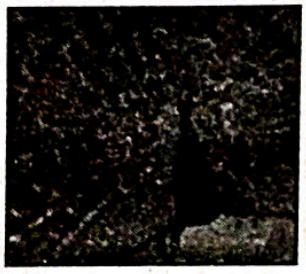

रंग-बिरंगे पंखों वाला मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है । ये छोटे झुंड बनाकर पानी के पास रहते हैं । नर जब अपने रंगबिरंगे पंख फैला कर उसे पंखा जैसे बनाता है तो उसकी सुंदरता देखते ही बनती है ।

कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है । यह पानी में पैदा होता है और बड़े-बड़े पत्तों के साथ पानी के ऊपर खिलता है । एक के ऊपर एक बहुत-सी पंखुरियों की सतहों वाला यह फूल सुंदर रंगों के कारण आंखों को तो भाता ही है, साथ- साथ सुगंध भी फैलाता है । पुराने ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है ।



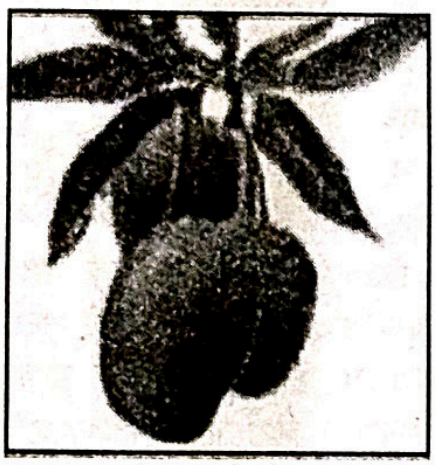

आम हमारा राष्ट्रीय फल है । विश्व के उष्ण कटिबंध में यह लगभग हर जगह पाया जाता है । पौष्टिक तत्वों से भरा यह फल भारत में कई रंग-रूप और किस्मों में पाया जाता है । कहते हैं कालिदास ने इसके गुन गाएं हैं , सिकन्दर ने इसे खाकर अपनाया था, अकबर ने तो इसके 100,000 पौधे बिहार राज्य में दरभंगा के लाखीबाग में लगावाए थे ।

बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है । यह अपनी टहनियों से ही नयी जड़ें उगा कर नया पौधा तैयार कर लेता है । इस कारण यह पौधा अमर माना गया है । इसकी घनी छांह गर्मी में बड़ी शीतलता प्रदान करती है । गांवों के जीवन का यह प्रमुख केन्द्र होता है । चौपाल में गांव के सभी लोग यहीं मिलते हैं ।



● दीपिका जोशी

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि०), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़ल इन्क्लेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस, 2035, कासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-110006 से मुद्रित । फोन : 011-26949430, 09818799223
संपादक : डॉ० मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है ।



Asian Optics
a multibrand showroom
SNP Area, Sakchi ,Jsr.
2221184
Main Road, Golmuri ,Jsr.
2341175

अक़ायद व इबादात पर हमारी अहम पुस्तकें

आवागमनीय पुर्नजन्म	डॉ० मुहम्मद अहमद	50.00
अनेकेश्वरवाद की वास्तविकता	मौलाना अमीन अहसन इस्लाही	70.00
एकेश्वरवाद की वास्तविकता	मौलाना अमीन अहसन इस्लाही	35.00
एक ईश्वर की धारणा	मुहम्मद फारूक खाँ	40.00
परलोक की छाया में	मुहम्मद फारूक खाँ	90.00
पहेली जीवन की	मुहम्मद फारूक खाँ	12.00
रिसालत	मुहम्मद फारूक खाँ	45.00
लोगोः हिसाब का समय निकट आ चुका है	मौलाना सैय्यद जलालुद्दीन उमरी	14.00
खुदा की गुलामी इंसान की बुलन्दी	मौलाना सैय्यद जलालुद्दीन उमरी	18.00
जीवन मृत्यु के पश्चात्	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	12.00
बनाव और बिगाड़	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	12.00
शान्ति-मार्ग	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	15.00
सोचने की बातें	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	10.00
प्यारी माँ के नाम इस्लामी संदेश	मौलाना नसीम ग़ाज़ी फलाही	07.00
मानव जीवन और परलोक	शोबा-ए-दावत	22.00
मुक्ति-मार्ग	इनामुर्रहमान खाँ	10.00
मौत के बाद क्या?	डॉ० शाहिद अली	10.00
मरने के बाद क्या होगा?	बिन्तुल इस्लाम	60.00
सत्य की खोज	मौलाना वहीदुद्दीन खाँ	16.00
नबी करीम (सल्ल०) की दुआएँ (पाकेट साइज़)	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	64.00
रमज़ान कैसे गुज़ारें?	खुर्रम मुराद	22.00
रोज़ा और उसका असली मक़्सद	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	10.00
इबादत	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	16.00
इस्लाम में पाकी और सफाई	मौलाना नसीम ग़ाज़ी फलाही	20.00
नमाज़ में आप क्या पढ़ते हैं?	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	18.00
इमान की कसौटी	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	08.00
खुतबाते हरम	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	18.00
नमाज़	मौलाना नसीम ग़ाज़ी फलाही	12.00

MMI PUBLISHERS
D-307,Dawat Nagar,Abul Fazal Enclave,Jamia Nagar,New Delhi-110025
Phone: 26981652,26984347 Fax: 26987858
E-mail:mmipublishers@gmail.com Website: www.mmipublishers.net

Posted on 20-21 December 2016
January 2017
E-mail: kantihindimonthly@yahoo.com
Publishing Date: 18.12.2016
Total Pages-52 (With Covers)

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका
कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2015-2017
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2015-2017
Posted in the P.S.O. (Periodical Channel, New Delhi-1

2017 / ۱۴۳۸ھ

January / جنوری — ربیع الآخر / جمادی الاولیٰ

SUN اتوار	MON پیر	TUE منگل	WED بدھ	THU جمعرات	FRI جمعہ	SAT ہفتہ
1 ۲	2 ۳	3 ۴	4 ۵	5 ۶	6 ۷	7 ۸
8 ۹	9 ۱۰	10 ۱۱	11 ۱۲	12 ۱۳	13 ۱۴	14 ۱۵
15 ۱۶	16 ۱۷	17 ۱۸	18 ۱۹	19 ۲۰	20 ۲۱	21 ۲۲
22 ۲۳	23 ۲۴	24 ۲۵	25 ۲۶	26 ۲۷ 13th Jan لوہڑی Lohri	27 ۲۸ 14th Jan مکر سنکرانتی Makar Sankranti	28 ۲۹ 26th Jan یوم جمہوریہ Republic Day
29 ۱	30 ۲	31 ۳				

February / فروری — جمادی الاولیٰ / جمادی الآخرۃ

SUN اتوار	MON پیر	TUE منگل	WED بدھ	THU جمعرات	FRI جمعہ	SAT ہفتہ
			1 ۴	2 ۵	3 ۶	4 ۷
5 ۸	6 ۹	7 ۱۰	8 ۱۱	9 ۱۲	10 ۱۳	11 ۱۴
12 ۱۵	13 ۱۶	14 ۱۷	15 ۱۸	16 ۱۹	17 ۲۰	18 ۲۱
19 ۲۲	20 ۲۳	21 ۲۴	22 ۲۵	23 ۲۶	24 ۲۷ 1st Feb بسنت پنچمی Basant Panchmi	25 ۲۸ 24th Feb مہا شیوراتری Maha Shivratri
26 ۲۹	27 ۳۰	28 ۱				

March / مارچ — جمادی الآخرۃ / رجب المرجب

SUN اتوار	MON پیر	TUE منگل	WED بدھ	THU جمعرات	FRI جمعہ	SAT ہفتہ
			1 ۲	2 ۳	3 ۴	4 ۵
5 ۶	6 ۷	7 ۸	8 ۹	9 ۱۰	10 ۱۱	11 ۱۲
12 ۱۳ 13th Dhulendi دھولینڈی	13 ۱۴	14 ۱۵	15 ۱۶	16 ۱۷	17 ۱۸	18 ۱۹
19 ۲۰	20 ۲۱	21 ۲۲	22 ۲۳	23 ۲۴	24 ۲۵	25 ۲۶
26 ۲۷	27 ۲۸	28 ۲۹	29 ۳۰	30 ۱	31 ۲	1st March ہولی Holi

April / اپریل — رجب المرجب / شعبان المعظم

SUN اتوار	MON پیر	TUE منگل	WED بدھ	THU جمعرات	FRI جمعہ	SAT ہفتہ
30 ۳	31 ۴	1 ۵	2 ۶	3 ۷	4 ۸	5 ۹
6 ۱۰	7 ۱۱	8 ۱۲	9 ۱۳	10 ۱۴	11 ۱۵	12 ۱۶
13 ۱۷	14 ۱۸	15 ۱۹	16 ۲۰	17 ۲۱	18 ۲۲	19 ۲۳
20 ۲۴	21 ۲۵	22 ۲۶	23 ۲۷	24 ۲۸	25 ۲۹	26 ۳۰
27 ۱	28 ۲	29 ۳	30 ۴			

May / مئی — شعبان المعظم / رمضان المبارک

SUN اتوار	MON پیر	TUE منگل	WED بدھ	THU جمعرات	FRI جمعہ	SAT ہفتہ
	1 ۵	2 ۶	3 ۷	4 ۸	5 ۹	6 ۱۰
7 ۱۱	8 ۱۲	9 ۱۳	10 ۱۴	11 ۱۵	12 ۱۶	13 ۱۷
14 ۱۸	15 ۱۹	16 ۲۰	17 ۲۱	18 ۲۲	19 ۲۳	20 ۲۴
21 ۲۵	22 ۲۶	23 ۲۷	24 ۲۸	25 ۲۹ 1st May لیبر ڈے Labor Day	26 ۳۰ 10th May بدھ پورنیما Budha Purnima	27 ۱ 10th May شب برات Shab-e-Barat
28 ۲	29 ۳	30 ۴	31 ۵			

June / جون — رمضان المبارک / شوال المکرم

SUN اتوار	MON پیر	TUE منگل	WED بدھ	THU جمعرات	FRI جمعہ	SAT ہفتہ
				1 ۶	2 ۷	3 ۸
4 ۹	5 ۱۰	6 ۱۱	7 ۱۲	8 ۱۳	9 ۱۴	10 ۱۵
11 ۱۶	12 ۱۷	13 ۱۸	14 ۱۹	15 ۲۰	16 ۲۱	17 ۲۲
18 ۲۳	19 ۲۴	20 ۲۵	21 ۲۶	22 ۲۷	23 ۲۸	24 ۲۹
25 ۱ 23rd June جمعۃ الوداع Jumat-ul-Vida	26 ۲ 26th June عید الفطر Eid-ul-Fitar	27 ۳	28 ۴	29 ۵	30 ۶	

July / جولائی — شوال المکرم / ذی قعدہ

SUN اتوار	MON پیر	TUE منگل	WED بدھ	THU جمعرات	FRI جمعہ	SAT ہفتہ
30 ۷	31 ۸	1 ۹	2 ۱۰	3 ۱۱	4 ۱۲	5 ۱۳
6 ۱۴	7 ۱۵	8 ۱۶	9 ۱۷	10 ۱۸	11 ۱۹	12 ۲۰
13 ۲۱	14 ۲۲	15 ۲۳	16 ۲۴	17 ۲۵	18 ۲۶	19 ۲۷
20 ۲۸	21 ۲۹	22 ۳۰	23 ۱	24 ۲	25 ۳	26 ۴
27 ۵	28 ۶	29 ۷				

August / اگست — ذی قعدہ / ذی الحجہ

SUN اتوار	MON پیر	TUE منگل	WED بدھ	THU جمعرات	FRI جمعہ	SAT ہفتہ
		1 ۸	2 ۹	3 ۱۰	4 ۱۱	5 ۱۲
6 ۱۳ 7th August رکشا بندھن Raksha Bandhan	7 ۱۴	8 ۱۵	9 ۱۶	10 ۱۷	11 ۱۸	12 ۱۹
13 ۲۰	14 ۲۱	15 ۲۲ 15th August جنم اشٹمی Janmashtami	16 ۲۳	17 ۲۴	18 ۲۵	19 ۲۶
20 ۲۷	21 ۲۸	22 ۲۹	23 ۳۰	24 ۱	25 ۲	26 ۳
27 ۴	28 ۵	29 ۶	30 ۷	31 ۸	1 ۹	2 ۱۰
3 ۱۱	4 ۱۲	5 ۱۳	6 ۱۴	7 ۱۵	8 ۱۶	9 ۱۷
10 ۱۸	11 ۱۹	12 ۲۰	13 ۲۱	14 ۲۲	15 ۲۳ 15th August یوم آزادی Independence Day	16 ۲۴
17 ۲۵	18 ۲۶	19 ۲۷	20 ۲۸	21 ۲۹	22 ۳۰	23 ۱
24 ۲	25 ۳	26 ۴	27 ۵	28 ۶	29 ۷	30 ۸
31 ۹						

September / ستمبر — ذی الحجہ / محرم الحرام

SUN اتوار	MON پیر	TUE منگل	WED بدھ	THU جمعرات	FRI جمعہ	SAT ہفتہ
					1 ۱۰	2 ۱۱
3 ۱۲ 1st September عید الاضحیٰ Eid-ul-Azha	4 ۱۳ 30th September بنک کی چھٹی Bank Holiday	5 ۱۴ 30th September دسہرہ Dusehra	6 ۱۵ 30th September یوم عاشورہ Muharram	7 ۱۶	8 ۱۷	9 ۱۸
10 ۱۹	11 ۲۰	12 ۲۱	13 ۲۲	14 ۲۳	15 ۲۴	16 ۲۵
17 ۲۶	18 ۲۷	19 ۲۸	20 ۲۹	21 ۳۰	22 ۱	23 ۲
24 ۳	25 ۴	26 ۵	27 ۶	28 ۷	29 ۸	30 ۹

October / اکتوبر — محرم الحرام / صفر المظفر

SUN اتوار	MON پیر	TUE منگل	WED بدھ	THU جمعرات	FRI جمعہ	SAT ہفتہ
1 ۱۱	2 ۱۲	3 ۱۳	4 ۱۴	5 ۱۵	6 ۱۶	7 ۱۷
8 ۱۸	9 ۱۹	10 ۲۰	11 ۲۱	12 ۲۲	13 ۲۳	14 ۲۴
15 ۲۵	16 ۲۶	17 ۲۷	18 ۲۸	19 ۲۹	20 ۳۰	21 ۱
22 ۲	23 ۳	24 ۴	25 ۵	26 ۶	27 ۷	28 ۸
29 ۹	30 ۱۰	31 ۱۱				

November / نومبر — صفر المظفر / ربیع الاول

SUN اتوار	MON پیر	TUE منگل	WED بدھ	THU جمعرات	FRI جمعہ	SAT ہفتہ
			1 ۱۲	2 ۱۳	3 ۱۴	4 ۱۵
5 ۱۶	6 ۱۷	7 ۱۸	8 ۱۹	9 ۲۰	10 ۲۱	11 ۲۲
12 ۲۳	13 ۲۴	14 ۲۵	15 ۲۶	16 ۲۷	17 ۲۸	18 ۲۹
19 ۱	20 ۲	21 ۳	22 ۴	23 ۵	24 ۶ 4th November گرو نانک جینتی Guru Nanak Jayanti	25 ۷ 30th November میلاد النبی Milad-un-Nabi
26 ۸	27 ۹	28 ۱۰	29 ۱۱	30 ۱۲		

December / دسمبر — ربیع الاول / ربیع الآخر

SUN اتوار	MON پیر	TUE منگل	WED بدھ	THU جمعرات	FRI جمعہ	SAT ہفتہ
31 ۱۳	1 ۱۴ 1st December میلاد النبی Milad-un-nabi	2 ۱۵ 25th December کرسمس ڈے Christmas Day	3 ۱۶	4 ۱۷	5 ۱۸	6 ۱۹
7 ۲۰	8 ۲۱	9 ۲۲	10 ۲۳	11 ۲۴	12 ۲۵	13 ۲۶
14 ۲۷	15 ۲۸	16 ۲۹	17 ۳۰	18 ۱	19 ۲	20 ۳
21 ۴	22 ۵	23 ۶	24 ۷	25 ۸	26 ۹	27 ۱۰
28 ۱۱	29 ۱۲	30 ۱۳	31 ۱۴			